सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	**v**
कार्यकारी सारांश	--	**vii-viii**
अध्याय-I: प्रस्तावना	--	**1-7**
प्रस्तावना	1.1	1
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम	1.2	1-2
संगठनात्मक ढ़ांचा	1.3	2-4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	4
लेखापरीक्षा कसौटियाँ	1.5	4-5
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि	1.6	5-6
क्षेत्र परिसीमा	1.7	6
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी के लिये योजनाएँ	1.8	6-7
अध्याय-II: वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन	--	**9-25**
प्रस्तावना	2.1	9
2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में वृक्षारोपण की स्थिति	2.2	9-10
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	10
वनीकरण का नियोजन एवं प्रबन्धन	2.4	10-11
कार्य योजनाओं की प्रस्तुति में विलम्ब	2.5	11
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना नहीं तैयार किया जाना	2.6	11-12
कार्य योजना के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना	2.7	12
कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण	2.7.1	12-13
टीक (सागौन) का वृक्षारोपण	2.7.2	13-14
बांस का वृक्षारोपण	2.7.3	14
राज्य में अभिलिखित वन आवरण में कमी	2.8	14-15
वानिकी क्षेत्र को पर्याप्त बजट का आवंटन न होना	2.9	15-16
वन संरक्षण कोष नहीं बनाया जाना	2.10	16
वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक	2.11	17
वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग	2.12	17-19
गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा अनिवार्य वृक्षारोपण न किया जाना	2.13	19
नर्सरी की क्षमता से अधिक पौधे उगाना	2.14	20
वृक्षारोपण कार्यो हेतु उच्च दरों पर भुगतान	2.15	21
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण	2.16	21

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया	2.17	21-22
पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय	2.18	22-23
वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान न करना	2.19	23-24
समूहों/व्यक्तियों को पौधों का अप्रलेखित वितरण	2.20	24
निष्कर्ष	--	24-25
अध्याय-III: प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण	--	**27-37**
प्रस्तावना	3.1	27
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत व्यय	3.2	27-28
सीए वृक्षारोपण के लिए अवनत वन भूमि की त्रुटिपूर्ण पहचान	3.3	28-29
सीए चार्जेज की कम वसूली	3.4	29-30
लागत वृद्धि का प्रावधान कम/नहीं होना	3.5	30
कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज वसूलने एवं सीएटी योजना लागू करने में विफलता	3.6	30-31
निजी उद्यमियों का बिना वन अनुमति के कार्य करना	3.7	31-32
स्टेज I अनुमोदन की शर्तों को पूर्ण किए बिना बांध का निर्माण	3.8	32-33
प्रतिपूरक वनीकरण के वृक्षारोपण कार्य पर सेंटेज चार्जेज आरोपित न किया जाना	3.9	33-34
सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा करने में विफलता	3.10	34-35
प्रयोक्ता एजेंसियों पर एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि आरोपित नहीं किया जाना	3.11	35
पट्टा समझौतों का पंजीकृत नहीं किया जाना तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूला नहीं/कम वसूला जाना	3.12	36
निष्कर्ष	--	37
अध्याय-IV: अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र	--	**39-51**
प्रस्तावना	4.1	39
वृक्षारोपण का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुरक्षण	4.2	39-40
सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में कमियाँ	4.3	40
ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपर्याप्त डाटा बेस अपलोड किया जाना	4.4 – 4.4.2	40-43
वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता	4.5	43
आरक्षित वन ब्लॉकों में कुल उपलब्ध क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण	4.6	43-44
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत विफल वृक्षारोपण	4.7	45-46

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुश्रवण में कमी	4.8	46-47
आंतरिक नियंत्रण तंत्र	4.9	47
आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया जाना	4.9.1	47
वन भूमि का अतिक्रमण	4.10	47-48
प्रभागीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त क्षेत्रीय निरीक्षण	4.11	48-49
वृक्षारोपण कार्य के विरुद्ध भुगतान	4.12	49-50
राज्य कैम्पा द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का न तैयार करना एवं विधानमण्डल में नहीं रखा जाना	4.13	50-51
निष्कर्ष	-	51

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
कार्य योजनाओं को प्रेषित करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	2.1	53-54
कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.2	55
टीक (सागौन) वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.3	56
बांस के वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.4	57
वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में सम्मिलित सीए वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.5	58
गौण खनिज पट्टाधारकों द्वारा न किये गये अनिवार्य वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.6	59
नर्सरियों की क्षमता से अधिक उगाए गए पौधों को दर्शाने वाला विवरण	2.7	60
वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.8	61
पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय को दर्शाने वाला विवरण	2.9	62
अनुरक्षण के प्रावधानों के बिना वृक्षारोपण के प्राक्कलन को दर्शाने वाला विवरण	2.10	63-65
प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	3.1	66
प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण के लिए कम आरोपण को दर्शाने वाला विवरण	3.2	67
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए लागत वृद्धि की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	3.3	68
पहुंच मार्ग के लिए बिना वन अनुमति के परिचालन करने वाले निजी उद्यमियों को दर्शाने वाला विवरण	3.4	69
सेंटेज चार्जेज नहीं लगाए जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.5	70

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
प्रयोक्ता एजेंसियों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की न लगाई गई अतिरिक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण	3.6	71
गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु पंजीकृत नहीं हुए पट्टा समझौता और नहीं/कम चार्ज किये गये भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराये को दर्शाने वाला विवरण	3.7	72
वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता को दर्शाने वाला विवरण	4.1	73-74
आरक्षित वन ब्लॉकों में उपलब्ध कुल क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	4.2	75
वन भूमि पर अतिक्रमण को दर्शाने वाला विवरण	4.3	76

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2016–17 से 2021–22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का लक्ष्य वृहद वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से देश में विशेष रूप से बंजर, अवनत और अनुत्पादक भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को मूलतः बढ़ाना है। राज्य सरकार ने 1998 में उत्तर प्रदेश वन नीति को अंगीकृत एवं कार्यान्वित किया। अक्टूबर 2017 में, राज्य सरकार ने अपनी नई राज्य वन नीति तैयार एवं अंगीकृत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. सरकार (वन विभाग) को वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से अवनत वन भूमि के पुनर्जनन के साथ लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और वन एवं वन्यजीव के सतत् प्रबन्धन के लिए राज्य के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबन्धन, संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

वन आवरण में वृद्वि के उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चला रही है और उसने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 101.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष उपलब्धि 103.78 करोड़ पौधे की थी।

उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षारोपण गतिविधियों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी, हरित पट्टी विकास योजना, कुल वन आवरण योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान, राज्य वन विभाग ने वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर ₹ 3,459.69 करोड़[1] व्यय किये।

'वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम' की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिये की गयी थी कि क्या वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित एक्शन प्लान, योजनाएं और कार्यक्रम मितव्ययिता से, प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू किये गये थे, निधियाँ उपलब्ध थी, निधि प्रवाह को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ समन्वित किया गया था और निधियों का उपयोग वन विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया गया था; वन भूमि का व्यपवर्तन और पट्टे का निष्पादन/नवीनीकरण विद्यमान कानूनों/नियमों के अनुसार था और विभाग के पास अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण के लिये पर्याप्त प्रणाली थी।

लेखापरीक्षा में क्या पाया गया और हम क्या संस्तुति करते हैं?

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृक्षारोपण गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में कमियाँ थी जिनकी चर्चा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गयी है।

नियोजनः लेखापरीक्षा ने वन विभाग के प्रभागों और ग्राम्य विकास विभाग की कार्य योजनाओं के तैयार करने में कमियाँ पायी। कार्य योजनाओं के निर्देशों[2] का पालन भी नहीं किया गया। वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर व्यय का अतिरेक किया गया।

वृक्षारोपण गतिविधियों का कार्यान्वयनः वन विभाग ने गलत तरीके से वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में वन भूमि के व्यपवर्तन के सापेक्ष एवं बीटिंग अप[3] में किये गये वृक्षारोपण को सम्मिलित किया जो अनुमन्य नहीं था।

---

1 कैम्पा निधि से ₹ 1,216.79 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

2 कार्य योजनाओं के निर्देश कार्य योजनाओं में सम्बन्धित वन प्रभागों के लिए निर्धारित गतिविधियों को संदर्भित करते हैं।

3 बीटिंग अप वृक्षारोपण के अगले वर्षा ऋतु में मृत पाये गये पौधों का प्रतिस्थापन है।

ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) के द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान किये गये वृक्षारोपण में मृत्यु दर अधिक थी।

कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपणः वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) चार्जेज एवं सेन्टेज चार्जेज की कम वसूली की। वन विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया और प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आन्तरिक नियंत्रण तंत्रः वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग अपर्याप्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के कारण वृक्षारोपण गतिविधियों का उचित अनुश्रवण करने में विफल रहे क्योंकि वन विभाग कैम्पा निधि से की गयी वृक्षारोपण गतिविधियों के समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए बनाये गये ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर आवश्यक डाटा अपलोड करने में विफल रहा। विभाग वृक्षारोपण कार्यो के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन और अनुश्रवण के उद्देश्य से बनाये गये पीएमएस पोर्टल पर डाटा की सटीकता बनाये रखने में विफल रहा। वन विभाग वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और नये अतिक्रमण को रोकने में भी विफल रहा। गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके संदिग्ध वृक्षारोपण कार्यों के भुगतान के प्रकरण भी देखे गए।

अभिलिखित वन क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी इंगित करती है कि वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियाँ राष्ट्रीय/राज्य वन नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है किः

- **वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग राज्य में वन के सतत् प्रबंधन के लिए वैध कार्य योजनाएं समय पर तैयार कर सकते है और उनके निर्देशों का कठोरता से पालन कर सकते है।**
- **राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत कर सकती है।**
- **वन विभाग को प्रतिपूरक वनीकरण के दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए एवं विद्यमान निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज, अतिरिक्त एनपीवी और सेंटेज चार्जेज आरोपित एवं वसूल करने चाहिए।**
- **वन विभाग ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर पूर्ण एवं सही डाटा अपलोड करना और मॉड्यूलों की सभी फील्ड को भरना सुनिश्चित कर सकता है। अग्रेतर, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गए वृक्षारोपण का अनुश्रवण और आवधिक रिर्पोटिंग, विभाग द्वारा वन विभाग के समन्वय से सुनिश्चित की जा सकती है।**
- **वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के समन्वय से वन भूमि के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाना सुनिश्चित कर सकता है।**
- **वन अधिकारियों को वृक्षारोपण गतिविधियों के कुशल अनुश्रवण के लिए निर्धारित निरीक्षण करना चाहिए और वृक्षारोपण गतिविधियों का सत्यापन करना चाहिए।**
- **वन विभाग गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाने का दावा किए गये वृक्षारोपण कार्यों के भुगतान के मामलों की जाँच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय कर सकता है।**

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

प्रस्तावना

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 48ए में निर्दिष्ट है कि राज्य, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। वन सम्पूर्ण समुदाय के लिए उपयोगी होता है एवं एक सामुदायिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है जो लाखों ग्रामीण लोगों विशेषकर आदिवासी समुदायों की आवश्यकता को पूर्ण करता है।

वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

1.2 राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 का लक्ष्य वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से देश में विशेष रूप से बंजर, अवनत और अनुत्पादक भूमि पर वन/वृक्ष आवरण को बड़ी मात्रा में बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने 1998 में उत्तर प्रदेश वन नीति को अंगीकृत एवं कार्यान्वित किया। उ.प्र. सरकार ने 2017 में अपनी नई राज्य वन नीति तैयार एवं अंगीकृत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. सरकार (वन विभाग) को वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से अवनत वन भूमि के पुनर्जनन के साथ लोगों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और वन एवं वन्यजीव के सतत् प्रबन्धन के लिए राज्य के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबन्धन, संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर)[1], 2021 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14,817.89 वर्ग किलोमीटर का वन आवरण है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल[2] का 6.15 प्रतिशत है। वन आवरण घनत्व वर्गों के संदर्भ में, राज्य में अत्यंत सघन वन (वीडीएफ)[3] के अन्तर्गत 2,626.61 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन (एमडीएफ)[4] के अन्तर्गत 4,029.37 वर्ग किलोमीटर और खुले वन के अन्तर्गत (ओएफ)[5] 8,161.91 वर्ग किलोमीटर है (**चार्ट 1.1**)। राज्य में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान कुल वन क्षेत्र में 139 वर्ग किलोमीटर[6] की वृद्धि हुई। राज्य में वर्ष 2017–2021 के दौरान, अभिलिखित वन क्षेत्र[7] के बाहर वन आवरण में 239 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि[8] हुई, हालाँकि, इसी अवधि में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर[9] (1.08 प्रतिशत) की कमी हुई। इसके अतिरिक्त, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर राज्य में 7,421 वर्ग किलोमीटर का वृक्ष आवरण है।

---

1 भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन है जो आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का अनुश्रवण कर रहा है तथा अपने द्विवार्षिक प्रकाशन 'भारतीय राज्य वन रिपोर्ट' (आईएसएफआर) में परिणामों को प्रस्तुत कर रहा है।

2 2,40,928 वर्ग किलोमीटर।

3 70 प्रतिशत और उससे अधिक वृक्ष आवरण घनत्व वाली सभी भूमि।

4 40 प्रतिशत एवं अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम वृक्ष आवरण घनत्व वाली सभी भूमि।

5 10 प्रतिशत एवं अधिक परन्तु 40 प्रतिशत से कम वृक्ष आवरण घनत्व वाली सभी भूमि।

6 आईएसएफआर 2017 के अनुसार, कुल वन आवरण 14,679.00 वर्ग किलोमीटर था।

7 अभिलिखित वन क्षेत्र सरकारी अभिलेखों में 'वन' के रूप में अभिलिखित सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित आरक्षित वन और संरक्षित वन सम्मिलित हैं। राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्र या किसी अन्य राज्य अधिनियम या स्थानीय कानून के अन्तर्गत गठित किए गए क्षेत्र भी अभिलिखित वन क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

8 अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण 2017 में 5,436 वर्ग किलोमीटर एवं 2021 में 5,675 वर्ग किलोमीटर था।

9 आईएसएफआर के अनुसार, अभिलिखित वन आवरण क्षेत्र के अंदर वन आवरण 2017 में 9,243 वर्ग किलोमीटर एवं 2021 में 9,143 वर्ग किलोमीटर था।

चार्ट 1.1: उत्तर प्रदेश में वन आवरण घनत्व

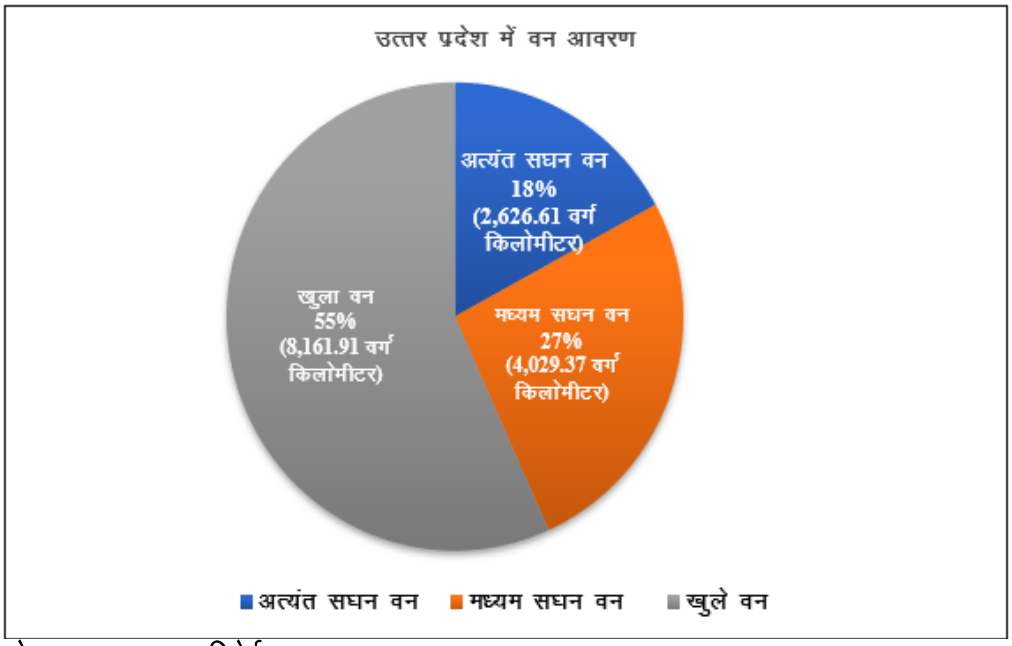

स्रोत: भारत राज्य वन रिपोर्ट, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षारोपण गतिविधियों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं, जैसे सामाजिक वानिकी, हरित पट्टी विकास योजना, कुल वन आवरण योजना, कैम्पा और मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण आदि के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

एनएफपी, 1988 के अनुसार, देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक–तिहाई भाग वन या वृक्ष आवरण के अन्तर्गत रखना राष्ट्रीय लक्ष्य है। पहाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्रों में, मिट्टी के क्षरण एवं भूमि अवक्रमण को रोकने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दो–तिहाई क्षेत्र को ऐसे आवरण के अन्तर्गत बनाए रखना है।

संगठनात्मक ढ़ांचा

1.3 अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, उ.प्र. सरकार, वन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। चार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) विभाग के विभिन्न प्रभागों के प्रमुख हैं, जैसा कि नीचे **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है। पीसीसीएफ को अपर पीसीसीएफ/मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं में अंचल, वन प्रभाग और वन्यजीव प्रभाग सम्मिलित हैं। प्रभागीय स्तर पर, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ)/प्रभागीय निदेशक प्रभाग का प्रभारी होता है जो आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के कर्तव्य के साथ–साथ सभी वानिकी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। वन विभाग द्वारा अपने प्रभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण एवं वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जाती है।

वन विभाग, उ.प्र. सरकार का संगठन चित्र **चार्ट 1.2** में इस प्रकार दिया गया है:

चार्ट 1.2: वन विभाग का संगठन चार्ट

वन विभाग के अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण के कार्य किये। ग्रा.वि.वि. में वृक्षारोपण गतिविधियाँ सम्बन्धित जिला उपायुक्त, श्रम के अधीन कार्यान्वित की गयीं। ग्रा.वि.वि. का संगठन चित्र नीचे **चार्ट 1.3** में दिया गया है:

चार्ट 1.3: ग्राम्य विकास विभाग का संगठन चित्र

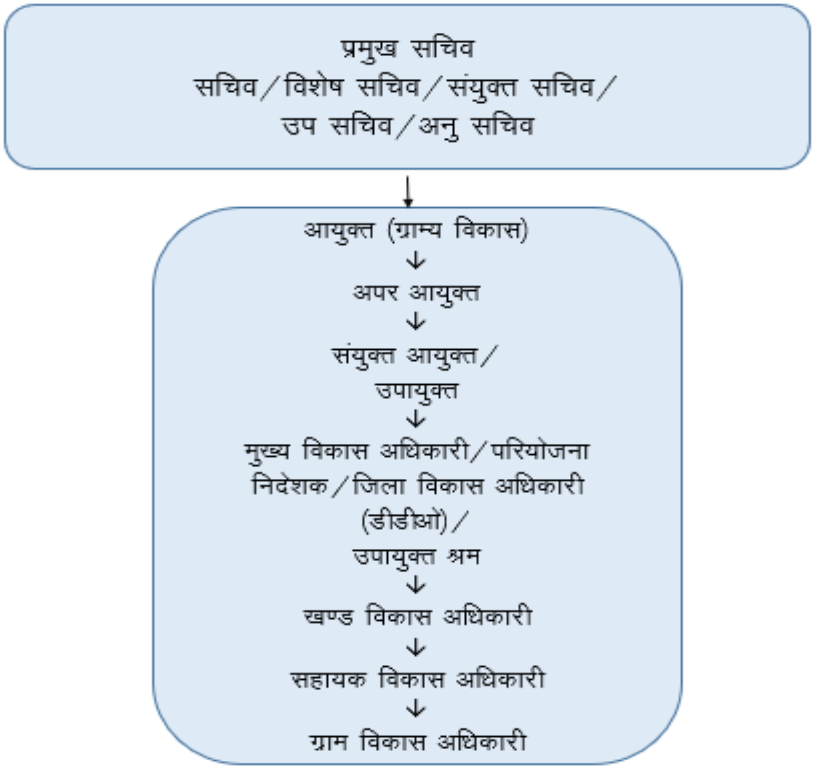

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.4 लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी कि क्या:

- वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित कार्य योजनाएं, एक्शन प्लान, योजनाएँ और कार्यक्रम समय पर तैयार किए गए तथा उन्हें मितव्ययिता से, प्रभावी ढंग से, और कुशलता से लागू किया गया;
- निधियाँ उपलब्ध थीं, निधि प्रवाह को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ समन्वित किया गया एवं वन विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और एक्शन प्लान के अनुसार निधियों का उपयोग किया गया था;
- वन भूमि के व्यपवर्तन एवं पट्टे का निष्पादन/नवीनीकरण की अनुमति विद्यमान कानूनों/नियमों के अनुसार दी गयी और ऐसे व्यपवर्तन की शर्तें पूर्ण की गयी थीं; तथा
- विभाग के पास अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी।

लेखापरीक्षा कसौटियाँ

1.5 लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की गयी हैं:

- भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927;
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वर्ष 1988 में यथासंशोधित;
- वन (संरक्षण) नियम, 2003;
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 1998 एवं 2017;
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014[10];

[10] भारत में वन और जैव विविधता के सतत् प्रबंधन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2014 में समान संहिता अर्थात् राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को अंगीकृत किया ।

- पौधशाला दिग्दर्शिका, 2016[11];
- वृक्षारोपण संहिता, 2016[12];
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005;
- मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013;
- राज्य कैम्पा पर दिशा–निर्देश, 2009;
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों की हस्तपुस्तिका 2004 एवं 2019;
- विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा–निर्देश; तथा
- भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम एवं विनियम एवं निर्देश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के लिए वृक्षारोपण गतिविधियों, भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों, अनुश्रवण और मूल्यांकन आदि से सम्बन्धित वन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2021 से सितम्बर 2022), वन विभाग के मुख्यालय एवं 22 जिलों[13] **(चार्ट 1.4)** में पौधों की संख्या और व्यय के आधार पर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से चयनित 27 वन प्रभागों में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी ।

ग्रा.वि.वि. में, लेखापरीक्षा द्वारा 2016–17 से 2021–22 की अवधि के लिए इन 22 चयनित जिलों में वृक्षारोपण अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी।

चार्ट 1.4: लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिले (पीला रंग)

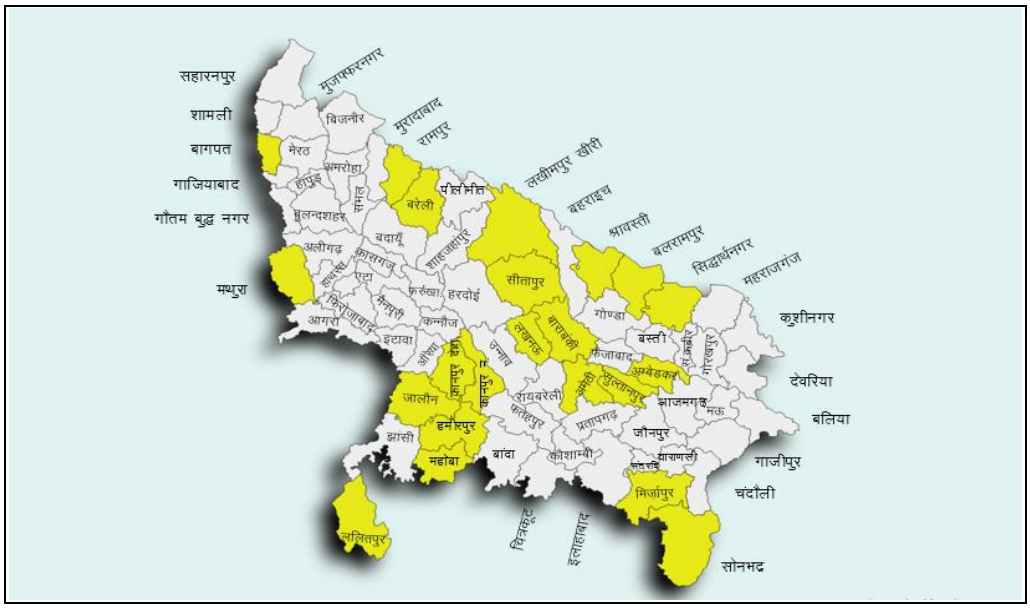

[11] आधुनिक तकनीकों पर आधारित नर्सरी प्रबंधन एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने हेतु वन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश।

[12] वन विभाग ने वृक्षारोपण गतिविधि, नवीनतम नर्सरी तकनीकों और सरकारी आदेशों के संकलन के लिए वृक्षारोपण संहिता तैयार की।

[13] अम्बेडकर नगर, अमेठी, बागपत, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर। चयनित जिलों को चार्ट 1.4 में पीले रंग में दर्शाया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व 13 जुलाई 2021 को वन विभाग के साथ एवं 27 अप्रैल 2022 को ग्राम्य विकास विभाग के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कसौटियों और कार्यविधि पर चर्चा की गयी थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर 15 अप्रैल 2023 को आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गयी और सरकार/विभागों के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

क्षेत्र परिसीमा

1.7 लेखापरीक्षिती इकाइयों द्वारा अभिलेख/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा बाधित हुई। इसके अतिरिक्त, ऐसे दृष्टान्त थे जहां मांगे गए अभिलेख/सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी और इसलिए लेखापरीक्षा में उन अभिलेखों की जाँच नहीं हो सकी तथा इस प्रतिवेदन में लिये गये लेखापरीक्षा मत उस सीमा तक ही सीमित रहे हैं। वन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी:

- 2016–17 से 2021–22 के दौरान वृक्षारोपण स्थलों पर किया गया वास्तविक व्यय;
- राज्य कैम्पा निधि से संविदा जनशक्ति पर किये गये व्यय का विवरण;
- वन प्रभाग के वन ब्लॉकों में निष्पादित पातन का विवरण।
- 25 वन प्रभागों ने निजी उद्यमियों को वन अनुमति से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

- पौधों के लिए वन विभाग को भेजे गये मांगपत्र और उनकी ब्लॉक/ग्राम पंचायतवार प्राप्तियाँ।
- निजी नर्सरियों से पौधों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख ।
- वृक्षारोपण के लिए सामग्री की अभिप्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख ।
- मथुरा जिला के वृक्षारोपण की पत्राचार फाइलें।
- महोबा जिला की वृक्षारोपण फाइलें।
- वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक लखनऊ जिले का वृक्षारोपण एवं उत्तरजीविता प्रतिवेदन।

वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी के लिये योजनाएँ

1.8 वनीकरण उन भूमियों पर नए वन लगाने की प्रक्रिया है, जिनमें ऐतिहासिक रूप से वन नहीं रहा है। वनीकरण सामान्यतः पुनर्वनीकरण[14] की तुलना में अधिक कठिन होता है क्योंकि यह दीर्घ अवधि से हो रहे पारिस्थितिक क्षरण को कुछ वर्षों में पलटने का प्रयास करता है। कृत्रिम पुनर्जनन (एआर) वनीकरण की एक ऐसी विधि है जहां वृक्षारोपण को विकसित करने के लिए कृत्रिम साधन सम्मिलित होते हैं। सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत पारंपरिक रूप से वन क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण और पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायता करता है। इसमें सामुदायिक भूमि, व्यक्तिगत जोत और अन्य सार्वजनिक भूमि, बंजर/अवनत भूमि के उपयोग की परिकल्पना की गयी है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण)

[14] पुनर्वनीकरण से तात्पर्य उस भूमि पर वन की स्थापना से है जहाँ हाल ही में वृक्ष आवरण थे।

अधिनियम, 1980 (एफसीए) के अन्तर्गत गैर–वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और गैर–सीए वृक्षारोपण[15] किया जाता है। राज्य कैम्पा, प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा राज्य कैम्पा खाते में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वनीकरण और गैर–सीए वृक्षारोपण के वित्तपोषण, देखरेख और संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राज्य में सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, ईंधन, चारा, लघु वन उपज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामुदायिक भूमि, अवनत वन भूमि और नहर, रेल और सड़क आदि के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, सामाजिक वानिकी (शहरी क्षेत्र) योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के किनारे और पार्कों में अप्रयुक्त भूमि पर सजावटी और छायादार पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक वानिकी, हरित पट्टी योजना, कुल वन आवरण योजना आदि का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और वन आवरण बढ़ाना है।

[15] प्रतिपूरक वनीकरण स्थल विशिष्ट वृक्षारोपण के लिए जमा की गयी निधि से किया जाता है, जबकि गैर–सीए वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा कैम्पा निधि में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) हेतु जमा की गयी निधि से किया जाता है।

अध्याय-II
वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन

अध्याय-II

वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन

वन विभाग समय पर कार्य योजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहा एवं वैध कार्य योजनाओं के बिना कार्य किया तथा वृक्षारोपण में कार्य योजनाओं के निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा। अग्रेतर, ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश के अनुरूप वृक्षारोपण हेतु कार्य योजनाएँ तैयार नहीं की।

वन विभाग ने वन भूमि के व्यपवर्तन के सापेक्ष किए गए वृक्षारोपण और पहले के वृक्षारोपण के मृत पौधों के प्रतिस्थापन में उपयोग किए गए पौधों को सम्मिलित करने के कारण वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि) द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत किए गए वृक्षारोपण में 2016–17 से 2021–22 के दौरान मृत्यु दर अधिक थी।

प्रस्तावना

2.1 वन विभाग के अपने बजट के अतिरिक्त, गैर–वन उपयोग हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के विरूद्ध प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण और दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों (यूएज) से निधियाँ प्राप्त की जाती है। ऐसी निधियाँ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य कैम्पा के पास जमा की जाती हैं। इन निधियों का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के अनुसार वृक्षारोपण हेतु किया जाता है। कैम्पा निधि से किया जाने वाला व्यय स्थल विशिष्ट होगा और इसका उद्देश्य राज्य के वनों का संरक्षण करना होगा। अग्रेतर, वृक्षारोपण के लिए ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) के पास मनरेगा निधि भी उपलब्ध होती है।

2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में वृक्षारोपण की स्थिति

2.2 राज्य में वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के वृक्षारोपण गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति **तालिका 2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: वृक्षारोपण का वर्ष–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	वन विभाग (लाख में)		अन्य विभाग (जैसे, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग आदि) (लाख में)		कुल वृक्षारोपण (लाख में)		कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष वन विभाग का निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष अन्य विभागों के लिये निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण पर व्यय (₹ करोड़ में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि			
2016-17	500.00	508.46	100.00	110.68	600.00	619.14	83.33	16.67	357.19
2017-18	430.00	452.99	224.58	224.58	654.58	677.57	65.69	34.31	174.19
2018-19	429.51	472.20	695.61	705.01	1,125.12	1,177.21	38.17	61.83	265.94
2019-20	700.00	662.26	1,555.00	1,597.60	2,255.00	2,259.86	31.04	68.96	500.23
2020-21	900.00	1,016.72	1,600.00	1,570.75	2,500.00	2,587.47	36.00	64.00	490.23
2021-22	1,080.00	1,106.00	1,920.00	1,951.00	3,000.00	3,057.00	36.00	64.00	455.12
योग	**4,039.51**	**4,218.63**	**6,095.19**	**6,159.62**	**10,134.70**	**10,378.25**			**2,242.90**

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 के लागू होने से पूर्व वर्ष 2016–17 में वन विभाग के लिये वृक्षारोपण का लक्ष्य राज्य के कुल लक्ष्य का 83 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जो धीरे–धीरे कम होकर 2021–22 में 36 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि में अन्य विभागों का लक्ष्य 17 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वन विभाग एवं ग्रा.वि.वि. के नमूना जाँच किये गए 22 जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य एवं उपलब्धि के सापेक्ष उनपर किये गए व्यय को **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 चयनित जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (लाख में)		उपलब्धि (लाख में)		उपलब्धि (प्रतिशत में)		व्यय (₹ करोड़ में)	
		वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.
1	2016-17	200.25	28.46	204.43	28.29	102.09	99.40	145.77	08.60
2	2017-18	185.99	29.95	195.23	29.49	104.97	98.46	68.35	08.92
3	2018-19	168.65	105.83	181.84	104.02	107.82	98.29	94.48	30.00
4	2019-20	224.36	283.18	230.60	280.62	102.78	99.10	185.01	43.24
5	2020-21	372.00	293.00	375.92	290.73	101.05	99.23	181.31	46.68
6	2021-22	403.28	375.68	410.96	369.34	101.90	98.31	166.11	44.83
योग		**1554.53**	**1,116.10**	**1,598.98**	**1,102.49**	**103.43**	**98.79**	**841.03**	**182.27**

स्रोतः वन विभाग एवं चयनित जनपदों के उप आयुक्त, मनरेगा द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 चयनित जिलों में वन विभाग ने वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जबकि ग्रा.वि.वि. इसे प्राप्त नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3 लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गयी वृक्षारोपण गतिविधियों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में कई कमियाँ देखीं। लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वनीकरण का नियोजन एवं प्रबन्धन

2.4 राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के बिना किसी भी वन में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (एनडब्ल्यूपी कोड), 2014 भी निर्धारित करती है कि सभी वनों को कार्य योजना/स्कीम के निर्देशों के अन्तर्गत सतत् रूप से प्रबंधित किया जाना है।

एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के प्रस्तर 31 में प्रावधान है कि सामान्यतः वन प्रभाग की कार्य योजना को प्रत्येक दस वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए तथा वन प्रभाग की कार्य योजना को तैयार होने में सामान्यतः दो वर्ष लगने चाहिए। कोड के प्रस्तर 2 के अनुसार, कार्य योजना में किसी विशिष्ट वन प्रभाग में वनों के कुशल प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक निर्देश सम्मिलित रहते है। कोड का प्रस्तर 3 यह प्रावधानित करता है कि वन क्षेत्र के प्रबन्धक या स्वामी का कर्तव्य है कि कार्य योजना/स्कीम बनाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, कोड का प्रस्तर 56 निर्धारित करता है कि पीसीसीएफ (विभागाध्यक्ष) द्वारा प्रारंभिक कार्य योजना रिपोर्ट (पीडब्ल्यूपीआर) की स्वीकृति वर्तमान कार्य योजना की समाप्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व दी जानी चाहिए, ताकि कार्य योजना अधिकारी द्वारा कार्य योजना की तैयारी, नामित प्राधिकारी (आरएपीसीसीएफ[1], एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार) द्वारा अनुमोदन एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय डीएफओ को वर्तमान योजना की समाप्ति से पूर्व अनुमोदित कार्य योजना को सौंपा जा सके। अग्रेतर, कार्य योजना का विस्तार जिसे कार्य स्कीम कहा जाता है को भी एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कार्य योजना के सभी प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं।

आरम्भ में, पीसीसीएफ–अनुश्रवण एवं कार्य योजना (पीसीसीएफ–कार्य योजना) के अधीन कार्य योजना प्रभाग, सम्बन्धित प्रभागों के इनपुट से प्रभाग–वार पीडब्ल्यूपीआर तैयार करते हैं। पीसीसीएफ–कार्य योजना पीडब्ल्यूपीआर की जाँच करता है और ड्राफ्ट कार्य योजना को अंतिम स्वीकृति के लिए एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को प्रेषित करता है। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा कार्य योजना के अनुमोदन

[1] क्षेत्रीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।

के नियम एवं शर्तो के अनुसार, राज्य सरकार पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करेगी ताकि कार्य योजना के निर्देश समय से और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं तथा निधि की कमी के कारण कोई विचलन न हो।

कार्य योजनाओं की प्रस्तुति में विलम्ब

2.5 प्रस्तर 2.4 में चर्चा किए गए एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, कार्य योजना/कार्य स्कीम को चालू कार्य योजना की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व समय पर अनुमोदित किया जाना आवश्यक था क्योंकि यह वन क्षेत्र का आवश्यक विवरण, स्टाक की सूची सहित प्रबन्धन की सर्वोत्तम प्रणाली एवं विभिन्न प्रकार के वनों में अपनायी जाने वाली सिल्विकल्चर प्रणाली को प्रस्तुत करता है।

22 चयनित जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले 27 वन प्रभागों के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 प्रभागों के कार्य योजना/कार्य स्कीम बिना अनुवर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम के पूर्व अनुमोदन के वर्ष 2013–14 एवं 2018–19 के मध्य अवधि के दौरान समाप्त हो गयी थी। अनुवर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन में 21 दिनों से 2,302 दिनों[2] की सीमा तक विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन में विलम्ब मुख्य रूप से वन विभाग द्वारा एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को इन प्रभागों के कार्य योजना/कार्य स्कीम को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण हुई, जो पूर्ववर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम की समाप्ति से 35 दिनों से 2,657 दिनों की सीमा तक थी, जैसा कि **परिशिष्ट–2.1** में वर्णित है।

इस प्रकार, 12 वन प्रभागों ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन वन का प्रबंधन 21 दिनों से 2,302 दिनों की सीमा तक बिना वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के, वन के सतत् प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए किया।

उत्तर में, (अप्रैल 2023) विभाग ने बताया कि कार्य योजना/कार्य येाजना के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने में समय लगा क्योंकि सम्बन्धित मण्डल के मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक प्रशासनिक मुखिया के तौर पर सौंपे गए कर्तव्य के साथ–साथ कार्य योजना अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। विभिन्न चरणों में कठोर प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् प्रस्तावों को प्रस्तुत एवं अनुमोदित किया जाता है। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी। विभाग ने अग्रेतर कहा कि कार्य योजना के विस्तार को अनुमोदित करते समय कार्यवाही में सम्मिलित अवधि को भी अनुमति दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएफपी, 1988 के अनुसार किसी भी वन में अनुमोदित कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं है। कार्य योजनाएँ वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है और पीसीसीएफ के विशेष ध्यान की अपेक्षा रखती है। कार्य योजना अधिकारी की जिम्मेदारी को वन प्रभाग के क्षेत्रीय डीएफओ/सीएफ को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है तथा एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान कार्य योजना की समाप्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व पीसीसीएफ (विभागाध्यक्ष) द्वारा पीडब्ल्यूपीआर का अनुमोदन दिया जाना चाहिए।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना नहीं तैयार किया जाना

2.6 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के 2016–17 से 2021–22 के दौरान वर्ष–वार लक्ष्य तय करने के आदेशों[3] में प्रावधान किया गया है कि वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति के

---

[2] 1 अक्टूबर से गणना की गयी क्योंकि कार्य योजना/कार्य स्कीम अपने समापन वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रभावी होती है।

[3] शा0सं0–01/2016/490(1)/14-5-16 दिनांक 30 मार्च 2016, शा0सं0–1343/14-5-2017-31/2014 दिनांक 23 जून 2017, संख्या–1024-14-5-2018-187/2018 दिनांक 12 जुलाई 2018, संख्या–11/2018/1359/14-5-2018-187/2017 दिनांक 6 अक्टूबर 2018 एवं संख्या–881/81-5-2019-03/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2019।

लिए, कार्यान्वयन विभागों द्वारा वृक्षारोपण स्थलों के चयन, चयनित स्थलों में लगाए जाने वाले पौधों के प्राक्कलन, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियाँ चिन्हित करने और वृक्षारोपण के निष्पादन के लिए उत्तरदायी कर्मियों का विस्तृत विवरण देते हुए कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 22 जिलों में से 20 जिलों में ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) द्वारा वृक्षारोपण के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी। दो जिलों–लखनऊ एवं खीरी ने केवल एक वर्ष[4] के लिए ब्लॉक–वार कार्य योजना तैयार की थी। इस प्रकार, ग्रा.वि.वि. ने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कार्य योजना तैयार किए बिना वृक्षारोपण कार्य किया। शेष 20 जिलों में कार्य योजना तैयार न करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताया गया।

अग्रेतर, कार्य योजना 2018–19 में खीरी जिले के सभी चार ब्लॉकों एवं कार्य योजना 2021–22 में लखनऊ के आठ ब्लॉकों में से चार में पौधों की प्राप्ति के लिए नर्सरियाँ चिन्हित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, कार्य योजना के अभाव में, इन जिलों में वृक्षारोपण गतिविधियाँ अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित तरीके से की गयीं।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान ग्रा.वि.वि. ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यों को सम्मिलित करते हुये कार्य योजना को ग्राम–पंचायत स्तर पर तैयार और संरक्षित किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध करने पर भी विभाग, उनकी कही गयी ग्राम–पंचायत स्तर पर तैयार की गयी कार्य योजना को लखनऊ और खीरी जिलों में एक वर्ष को छोड़कर प्रस्तुत करने में विफल रहा।

कार्य योजना के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना

2.7 वन प्रभागों की कार्य योजना को अनुमोदित करते समय, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने निर्धारित किया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अग्रेतर, इसमें कहा गया है कि कार्य योजना के निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और कंपार्टमेंट हिस्ट्री एवं कंट्रोल फॉर्म[5] के वार्षिक अद्यतनीकरण की प्रणाली अस्तित्व में होनी चाहिए। राज्य सरकार पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करेगी ताकि धन की कमी विचलन का कारण न बने। लेखापरीक्षा ने अनुमोदित कार्य योजना के निर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखे:

कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण

2.7.1 वन प्रभागों के कार्य योजना में, कार्य योजना की संपूर्ण प्रचलन अवधि के लिए वृक्षारोपण करने हेतु ब्लॉक वार वृक्षारोपण कूपों को चिन्हित किया जाता है। अग्रेतर, कार्य योजना के अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 18 वन प्रभागों के 537 वन ब्लॉकों में, उनसे सम्बन्धित कार्य योजना के अनुसार 6,792.070 हेक्टेयर क्षेत्र की खाली भूमि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित की गयी थी। तथापि, विभाग ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 21,984.360 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो कि कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से 15,192.290 हेक्टेयर

---

[4] खीरी (वर्ष 2018–19 के लिये 15 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉकों हेतु कार्य योजना) एवं लखनऊ (वर्ष 2021–22 के लिये सभी आठ ब्लॉकों हेतु कार्य योजना)।

[5] कंट्रोल फॉर्म कार्य योजना की अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर अनुश्रवण, मूल्यांकन और प्रतिवेदित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यवृत्त के लिए सभी निर्देशों/सुझावों के लिए निष्पादन मापदण्ड/लक्ष्य/एनोटेशन/मानदण्ड प्रदान करते हैं।

(परिशिष्ट–2.2) अधिक था, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा विचलन के पूर्व अनुमोदन के बिना वृक्षारोपण किया। इस प्रकार, कार्य योजना के निर्देशों का पालन किए बिना वृक्षारोपण किया गया।

वन विभाग ने उत्तर (अप्रैल 2023) में, कहा कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से हरित आवरण में वृद्धि के लिए प्रभागों को वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। तदनुसार, कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार, बंजर भूमि, कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों, खुले एवं अवनत वन क्षेत्रों पर वृक्षारोपण किया जाता है। अग्रेतर, विभाग ने 12 प्रभागों के सम्बन्धित कार्य योजना में निर्देशों को उद्धृत करते हुए कहा कि इन प्रभागों की कार्य योजनाओं में कोई वृक्षारोपण कूप नहीं बनाया गया है एवं वृक्षारोपण स्थलों की पहचान और वार्षिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को सम्बन्धित डीएफओ के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः, इन प्रकरणों में वृक्षारोपण कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार था एवं एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार से विचलन हेतु किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। विभाग ने अग्रेतर कहा कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ सम्बन्धित कार्य योजना में चिन्हित वृक्षारोपण कूप क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण किया गया था, को विचलन के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि सम्बन्धित प्रभागों को विचलन का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति में लिए गए सभी प्रकरण उस अवधि के थे जिसमें सम्बन्धित कार्य योजनाओं में वार्षिक वृक्षारोपण कूप चिन्हित किये गए थे और वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई विवेकाधिकार सम्बन्धित डीएफओ पर नहीं छोड़ा गया था। इसलिए, इन विचलनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी।

टीक (सागौन) का वृक्षारोपण

2.7.2 ललितपुर वन प्रभाग के 2007–08 से 2016–17 और 2019–20 से 2028–29 की अवधि के लिए अनुमोदित कार्य योजना एवं 2017–18 से 2018–19 के लिए अनुमोदित कार्य स्कीम के टीक वर्किंग सर्कल (सागौन कार्यवृत्त) में सागौन के रोपण के लिए कुछ वन ब्लॉक निर्धारित किए गए थे, जिसमें कम से कम 65 प्रतिशत सागौन का रोपण किया जाना था और शेष वृक्षारोपण अन्य स्वदेशी पौधों का किया जाना था। इसी तरह, ओबरा वन प्रभाग के वर्ष 2013–14 से 2022–23 की अवधि के लिए अनुमोदित कार्य योजना में, न्यूनतम 200 सागौन पौधे प्रति हेक्टेयर के रोपण के साथ कुछ वन ब्लॉक को सागौन के रोपण के लिए चिन्हित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 से 2021–22 के दौरान, ललितपुर प्रभाग के चांदपुर, चढ़रा एवं कुर्रट वन ब्लॉकों में आने वाली 127 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 92,000 पौधे लगाए गए, जबकि ओबरा प्रभाग के हथवानी, बकिया एवं सागरदह वन ब्लॉकों के 140 हेक्टेयर में विभिन्न प्रजातियों के 65,060 पौधे लगाए गए। वन विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार, ललितपुर प्रभाग के उपरोक्त वन ब्लॉकों में सागौन के न्यूनतम 59,800 पौधे (92,000 पौधों का 65 प्रतिशत) एवं ओबरा प्रभाग के उपरोक्त वन ब्लॉकों में सागौन के 28,000 पौधे (200 x 140 हेक्टेयर) लगाए जाने की आवश्यकता थी। इसके बजाय, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों का विचलन कर ललितपुर एवं ओबरा वन प्रभागों के उक्त वन ब्लॉकों में क्रमशः सागौन के केवल 30,328 और 4,645 पौधे **(परिशिष्ट–2.3)** लगाए गए थे। इस प्रकार, कार्य योजना के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रभागों में 52,827 सागौन के पौधे[6] कम लगाए गए थे। दोनों प्रभागों द्वारा लेखापरीक्षा को विचलन का

[6] 87,800 – 34,973 = 52,827 सागौन के पौधे।

कोई कारण नहीं बताया गया। केंद्र सरकार से विचलनों का अनुमोदन भी नहीं लिया गया था।

उत्तर (अप्रैल 2023) में, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा कि विशिष्ट प्रजातियों का निर्धारित संख्या में रोपण न करने के प्रकरण के सम्बन्ध में विचलन विवरण अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

तथापि, तथ्य यह है कि इन प्रकरणों में, सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों से विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है जो प्राप्त नहीं किया गया था।

बांस का वृक्षारोपण

2.7.3 ओबरा वन प्रभाग की कार्य योजना (अवधि 2013–14 से 2022–23 के लिए) एवं ललितपुर वन प्रभाग की कार्य योजना (अवधि 2007–08 से 2016–17 एवं 2019–20 से 2028–29 के लिए) में, बैम्बू वर्किंग सर्किल (बांस कार्यवृत्त) में निर्धारित किया गया है कि बांस की सतत् प्राप्ति और उपयोग के लिए बांस के वन को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। अग्रेतर, ओबरा प्रभाग की कार्य योजना में निर्धारित था कि बांस वन क्षेत्र में चिरौंजी, आंवला, अमलतास, नीम, बेल, कंजी, खैर, बबूल, जंगल जलेबी आदि प्रजातियों को अधिकतम 15 प्रतिशत तक लगाया जाना था। ललितपुर प्रभाग की कार्य योजना के अनुसार, बांस वन क्षेत्रों में केवल बांस लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016–17 से 2021–22 के दौरान ओबरा प्रभाग के तरिया रेंज के बांस क्षेत्र में अनुमन्य 15 प्रतिशत के स्थान पर 98 प्रतिशत मिश्रित प्रजातियों का रोपण हुआ। अग्रेतर, ललितपुर प्रभाग में, कार्य योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में केवल बांस के रोपण के लिए विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों के 91 प्रतिशत पौधे लगाए गए थे **(परिशिष्ट–2.4)**।

इस प्रकार, दोनों वन प्रभाग केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना अपने कार्य योजना के निर्देशों से विचलित हो गए तथा बांस की सतत् प्राप्ति और उपयोग के लिए बांस वन के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी विफल रहे।

उत्तर (अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि कार्य योजना के निर्देशों से विचलन के प्रकरणों को अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा और बांस वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षेत्रों को स्थल विशिष्ट योजना तैयार करके प्रबंधित किया जाएगा।

तथापि, तथ्य यह है कि इन प्रकरणों में, सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों से विचलनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी जो प्राप्त नहीं की गयी थी।

संस्तुति

1. वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग राज्य में वन के सतत् प्रबंधन के लिए वैध कार्य योजनाएं समय पर तैयार कर सकते है और उनके निर्देशों का कठोरता से पालन कर सकते है।

राज्य में अभिलिखित वन आवरण में कमी

2.8 उत्तर प्रदेश वन नीति, 2017 के अनुसार, राज्य को राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के लक्ष्य के अनुसार 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना था। फलस्वरूप, वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्विभागीय सहयोग से वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियों के कार्यान्यवन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभागों के वृक्षारोपण अभिलेख और भारतीय राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार, राज्य वन नीति, 1998 और संशोधित राज्य वन

नीति 2017 के कार्यान्वयन, वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन और वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पिछले छः वर्षों के दौरान वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर ₹ 3,459.69 करोड़[7] की धनराशि व्यय करने के बावजूद, राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण में वर्ष 2017 में 9,243 वर्ग किलोमीटर से वर्ष 2021 में 9,143 वर्ग किलोमीटर तक 100 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर और बाहर वन आवरण नीचे **तालिका 2.3** में वर्णित है।

तालिका 2.3: अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर/बाहर वन आवरण

वर्ष	राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत	अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
2017	2,40,928	9,243	3.84	5,436	2.26
2019	2,40,928	9,195	3.82	5,611	2.33
2021	2,40,928	9,143	3.79	5,675	2.36
		कमी 100 वर्ग किलोमीटर		**वृद्धि 239 वर्ग किलोमीटर**	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण 2017 से घट रहा था, तथापि, इन पाँच वर्षों में अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह इंगित करता है कि वन विभाग के पास उपलब्ध वृहद संसाधन और धन व्यय करने के बावजूद अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अभिलिखित वन क्षेत्र में राज्य के वन आवरण को बढ़ाने में सफल नहीं हो सका। इसके विपरीत, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण में, जहां वन विभाग का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, पिछले वर्षों की तुलना में हरित आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गयी थी।

उत्तर में (अप्रैल 2023), विभाग ने अभिलिखित वन क्षेत्र के अन्दर वन आवरण में कमी का कारण उपग्रह डाटा के संग्रह की अवधि, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुमत पेड़ों की खेपों का निःशेष पातन जैसी गतिविधियों को बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017, 2019 और 2021 के लिए वन मानचित्रण के लिए एकत्र किया गया उपग्रह डाटा आईएसएफआर के प्रकाशन से दो वर्षों पूर्व अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि से सम्बन्धित थे। रिपोर्ट, 2017, 2019 और 2021 के लिए वन आवरण के मानचित्रण के लिए एफएसआई द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक भी समान थी। अग्रेतर, पेड़ों का निःशेष पातन वन आवरण में कमी का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि विभाग ने अभिलिखित वन क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2016[8] की अवधि के दौरान 2,02,874 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है, जिसका वन आवरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए था।

वानिकी क्षेत्र को पर्याप्त बजट का आवंटन न होना

2.9 राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में परिकल्पना है कि पर्याप्त पैमाने पर वित्तीय और अन्य संसाधनों के निवेश के बिना नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में वनों के योगदान को देखते हुए ऐसा निवेश वास्तव में पूर्ण रूप से न्यायोचित है। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 भी

---

[7] राज्य कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण पर ₹ 1,216.79 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए।

[8] वृक्षारोपण को वन कैनोपी में विकसित करने के लिए दो वर्षों की अवधि (एसओआर के अनुसार रखरखाव अवधि) को ध्यान में रखते हुए, 2013 से 2016 के दौरान किए गए वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप आईएसएफआर 2019 और 2021 के लिए क्रमशः अक्टूबर–दिसम्बर 2017 और 2019 में एकत्र किए गए उपग्रह डेटा में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई होगी।

निर्धारित करती है कि राज्य सरकार वन विभाग के बजट में राज्य बजट परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक आवंटित करने का प्रयास करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विगत पाँच वर्षों में राज्य बजट के परिव्यय के सापेक्ष वन विभाग का बजट परिव्यय नीचे **तालिका 2.4** के अनुसार बहुत कम था।

तलिका 2.4: वन विभाग को आवंटित बजट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वन विभाग के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य (लाख में)	कुल राज्य बजट परिव्यय	वन विभाग को आवंटन	राज्य बजट परिव्यय के सापेक्ष प्रतिशत	नीति के अनुसार आवंटित किया जाने वाला बजट (2.5 प्रतिशत)
2016-17	500.00	3,87,828.63	1,393.26	0.36	9,695.72
2017-18	430.00	4,28,645.12	980.28	0.23	10,716.13
2018-19	429.51	4,99,136.11	1,105.71	0.22	12,478.40
2019-20	700.00	5,26,809.22	1,731.74	0.33	13,170.23
2020-21	900.00	5,44,571.20	1,369.88	0.25	13,614.28

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि राज्य में वन विभाग का बजट परिव्यय वांछित 2.5 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य के कुल बजट परिव्यय का केवल 0.22 से 0.36 प्रतिशत की सीमा तक था। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले पाँच वर्षों में वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियों में वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों के अनुसार लगभग दोगुना वृद्धि हुई है, लेकिन इन वर्षों में बजटीय आवंटन 0.4 प्रतिशत से कम रहा है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) बताया कि राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को बजट स्वीकृत करती है। संसाधनों पर प्राथमिक मांग विकासात्मक परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए रहती है और ऐसी परिस्थिति में, राज्य सरकार अपने विवेक से विभाग के लिए बजट तय करती है। फिर भी, विभाग समय से बजट प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि यह नीति से सम्बन्धित है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक था।

वन संरक्षण कोष नहीं बनाया जाना

2.10 वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 में कहा गया है कि वाह्य स्रोतों से प्राप्त धन के लिए वन संरक्षण कोष बनाया जाएगा जिसमें उद्योगपति/निजी संस्थानों/व्यक्तियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा और उसका उपयोग वन एवं वन्य जीव के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया जाएगा। ''पाल्यूटर्स पे'' के सिद्धांत पर प्रदूषणकारी एजेंसियों, खननकर्ताओं, वाहनों की बिक्री आदि पर उपकर लगाकर इस कोष में धनराशि संग्रहित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित वन नीति लागू होने के पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अब तक (मार्च 2023) ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया था। संरक्षण कोष यदि बनाया गया होता, तो इससे वनों की सुरक्षा और विकास में सुगमता होती।

वन विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) कहा कि वन संरक्षण कोष का गठन एक नीतिगत मामला है। कोष बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में सरकार/विभाग द्वारा इसी को दोहराया गया था।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक

2.11 सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर) के नियम 62 (3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के साथ–साथ वर्ष के अंतिम माह में व्यय की सीमा को विनियमित करने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत करता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (27 दिसम्बर 2019) ने पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा को संशोधित कर 33 प्रतिशत से 25 प्रतिशत एवं अंतिम माह अर्थात् मार्च में 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच किए गए 23 वन प्रभागों ने वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और वित्तीय वर्षों के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक किया। वर्ष–वार बजट आवंटन एवं मार्च माह में किया गया व्यय नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वार्षिक व्यय की तुलना में मार्च में व्यय की तुलना

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
कुल व्यय	155.93	84.39	106.08	197.98	250.39	284.71
मार्च माह में व्यय	54.03	16.24	35.71	75.07	70.04	113.68
मार्च में व्यय का प्रतिशत	34.65	19.24	33.67	37.92	27.97	39.93

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वन प्रभागों द्वारा वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान मार्च माह में वार्षिक बजट का 19 से 39 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण संहिता के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान एवं 15 अगस्त के आसपास प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण सप्ताह को सम्मिलित करते हुये वृक्षारोपण की प्रमुख गतिविधियाँ सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जुलाई–अगस्त के माह में आयोजित की जाती हैं। इसलिए, मार्च माह में किया गया व्यय का अतिरेक न्यायोचित नहीं था।

उत्तर में (अप्रैल 2023) एवं एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि समय पर बजट व्यय करने के निर्देश सभी डीडीओज़ को समय–समय पर निर्गत किए जाते हैं। कोषवाणी वेबसाइट आने के बाद स्थिति में सुधार हो रहा है।

तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान बना रहा जैसा कि उपरोक्त **तालिका 2.5** से स्पष्ट है।

संस्तुति

2. राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत कर सकती है।

वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग

2.12 भारत सरकार (2004) द्वारा निर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दिशा–निर्देश और स्पष्टीकरण की हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.4 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) स्पष्ट रूप से अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिए न कि वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के हिस्से का विचलन। सीए योजना के अर्न्तगत वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेंसियों (यूए) की लागत पर, इन प्रयोक्ता एजेंसियों को वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण हुई हानि की भरपाई करने के लिये किया जाता है। अग्रेतर, वृक्षारोपण के

पश्चात्, वृक्षारोपण को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए लगातार तीन से पाँच वर्षों तक बीटिंग अप[9] किया जाता है।

बीटिंग अप मृत पाए गए पौधों को प्रतिस्थापित करने के लिए के लिए पहले से किए गए वृक्षारोपण की अनुरक्षण गतिविधि का हिस्सा है एवं इसे अगले तीन से पाँच वर्षों तक किया जाना आवश्यक होता है। अतः इसे वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति का भाग नहीं माना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सीए एवं बीटिंग अप दोनों के अन्तर्गत किये गए वृक्षारोपण को अपनी उपलब्धि में सम्मिलित किया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य एवं प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारियों और अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 12 वन प्रभागों ने वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले सीए के अन्तर्गत लगाये गये 14.79 लाख पौधों को वन विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सम्मिलित किया गया था जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण वनों की हानि की भरपाई के लिए सीए योजना के अन्तर्गत किए गए वृक्षारोपण को वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, राज्य में वन प्रभागों के लिए वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि 14.79 लाख पौधों की सीमा तक बढ़ा दी गयी थी **(परिशिष्ट–2.5)**।

- दो वन प्रभागों ने अपने लिए निर्धारित वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में वृक्षारोपण के दौरान बीटिंग अप में उपयोग किए गए पौधों की संख्या को सम्मिलित कर लिया था, जो कि उचित नहीं था क्योंकि यह वृक्षारोपण अनुरक्षण अवधि के दौरान मृत पाए गए पौधों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इन दोनों प्रभागों ने नीचे **तालिका 2.6** में दिए गए विवरण के अनुसार 1,96,662 पौधों तक लक्ष्य की बढ़ी हुई उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया।

तालिका 2.6: वृक्षारोपण के लक्ष्य की कम उपलब्धि

(पौधों की संख्या)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	बीटिंग अप के रूप में वृक्षारोपण	लक्ष्य की कम उपलब्धि
1	डीएफओ हमीरपुर	2018-19	16,09,042	16,09,220	1,49,250	1,49,072
2	डीएफओ महोबा	2018-19	6,36,090	6,36,138	47,638	47,590
योग			**22,45,132**	**22,45,358**	**1,96,888**	**1,96,662**

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

इस प्रकार, वन विभाग ने 14 वन प्रभागों[10] में सीए और बीटिंग अप वृक्षारोपण को गलत ढंग से सम्मिलित करके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि को बढ़ा दिया।

विभाग ने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विभिन्न योजनाओं के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार, प्रतिपूरक वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी एवं मनरेगा आदि योजनाओं के लक्ष्य को सम्मिलित करते हुये विभागीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अग्रेतर, लक्ष्य प्राप्ति में पौधों की बीटिंग अप को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में, विभाग ने कहा कि वर्ष के अंत

[9] बीटिंग अप वृक्षारोपण के अगले वर्षा ऋतु में मृत पाये गये पौधों का प्रतिस्थापन है।

[10] 12 वन प्रभागों में सीए वृक्षारोपण तथा दो वन प्रभागों में पौधों के बीटिंग अप को वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्ति में सम्मिलित किया गया था।

में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित होने के कारण पौधों के बीटिंग अप को सम्मिलित करके लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि विभाग का वृक्षारोपण लक्ष्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है ताकि उपलब्ध संसाधनों से निधि के अभिसरण द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। अग्रेतर कहा गया कि हमीरपुर एवं महोबा प्रभाग ने लक्ष्य प्राप्ति में बीटिंग अप को सम्मिलित किया परन्तु अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त दिशा–निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीए एक अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिये न कि वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भाग। अग्रेतर, अनुरक्षण गतिविधि के अन्तर्गत बीटिंग अप के लिए उपयोग किए गए पौधों को वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था।

गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा अनिवार्य वृक्षारोपण न किया जाना

2.13 उ.प्र. सरकार ने अपने आदेश दिनांक 4 जून 2008 द्वारा राज्य के सभी डीएफओज़ को निर्देशित किया कि वे खनन पट्टा धारकों को निर्गत की जाने वाली एनओसी में अतिरिक्त शर्त लगाएं कि उन्हें खनन हेतु पट्टे के बराबर क्षेत्र पर या न्यूनतम एक एकड़ भूमि (खनन क्षेत्र एक एकड़ से कम होने की स्थिति में) क्षेत्र पर अपने स्वयं के कोष से सिंचाई और बाड़ लगाने की सुविधा के साथ 200 फलदार/छायादार वृक्ष प्रति एकड़ की दर से लगाने होंगे। शासनादेश ने अग्रेतर आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 वन प्रभागों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों करने के लिए 3,923.589 एकड़ भूमि पर गौण खनिज हेतु वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 380 खनन पट्टे निर्गत किए गए थे। 380 खनन पट्टों में से, 362 खनन पट्टों में फलदार/छायादार वृक्ष लगाने की उपरोक्त शर्त के साथ सम्बन्धित डीएफओ द्वारा पट्टा धारकों को एनओसी निर्गत की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पट्टा धारकों ने कोई वृक्षारोपण नहीं किया जैसा कि राज्य सरकार के आदेश में अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि तीन प्रभागों, अर्थात् अंबेडकर नगर, बलरामपुर एवं उरई द्वारा 145.6866 हेक्टेयर के खनन क्षेत्र के लिए 18 पट्टा धारकों को निर्गत की गयी एनओसी में उपरोक्त आदेश में अपेक्षित वृक्षारोपण के लिए अनिवार्य क्लॉज सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार, उ.प्र. सरकार के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वन विभाग 3,923.589 एकड़ भूमि पर खनन पट्टा धारकों द्वारा 7,84,718 पौधों का रोपण सुनिश्चित करने में विफल रहा **(परिशिष्ट–2.6)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि खनन पट्टे सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं, वन विभाग केवल एनओसी निर्गत करता है। यह भी आश्वासन दिया गया कि एनओसी में वृक्षारोपण की शर्त सम्मिलित करने के लिए पुनः निर्देश निर्गत किया जायेगा। इस मामले को सम्बन्धित जिलाधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि विभाग/जिलाधिकारी द्वारा पट्टा धारकों द्वारा फलदार/छायादार वृक्षों का रोपण सुनिश्चित नहीं किया गया था। अग्रेतर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य वृक्षारोपण शर्त को सम्मिलित किए बिना एनओसी देने में वन प्रभागों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्यक सतर्कता नहीं बरती गयी।

नर्सरी की क्षमता से अधिक पौधे उगाना

2.14 पौधशाला दिग्दर्शिका[11] के अध्याय 2 के प्रस्तर 2.3 में यह निर्धारित किया गया कि नर्सरी क्षेत्र का लगभग 30 से 40 प्रतिशत क्षेत्र पौधे उगाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पौधशाला के शेष क्षेत्र का उपयोग जर्मीनेशन बेड्स, बीज और खाद के भंडारण, कर्मचारियों के रहने के क्षेत्र, वर्षा जल निकासी और नर्सरी उपकरण आदि के भंडारण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें अग्रेतर निर्धारित किया गया कि पॉलिथीन बैग और पौधों के आकार के आधार पर एक हेक्टेयर भूमि में 13,200 से 3,20,000 पौधे उगाए जाने चाहिए।

वन रेंज में बनाये गये पौधशाला रजिस्टर की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान उपरोक्त घनत्व मानदण्डों के अनुसार 16 प्रभागों की 149 नर्सरियों में 1.22 करोड़ पौधे पौधशाला क्षेत्र की क्षमता से अधिक उगाए गए थे **(परिशिष्ट–2.7)** । नीचे दी गयी **छायाचित्र 2.1** पौध उगाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पौधशाला क्षेत्र को दर्शाती है।

छायाचित्र 2.1: पौध उगाान के लिये उपयोग किया जाने वाला पौधशाला क्षेत्र

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त

उत्तर (अप्रैल 2023) में, विभाग ने कहा कि पौधशाला दिग्दर्शिका एक मार्गदर्शक अभिलेख है और इसमें निर्धारित सुझावों/निर्देशों का समय एवं परिस्थितियों के अनुसार लचीले ढंग से पालन किया जाता है। विभाग ने अग्रेतर कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पौधशालाओं में पौधों की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि उन्हें अन्य विभागों के साथ–साथ ग्रामीणों को उनकी सुविधा के अनुसार निकटतम पौधशाला से उपलब्ध कराया जा सके।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि अधिक वृक्षारोपण लक्ष्य के कारण पौधशालाओं में अतिरिक्त पौधे उगाए गए थे। अग्रेतर कहा गया कि नई पौधशाला स्थापना हेतु माडल प्राक्कलन निर्धारित करने वाला कार्यालय आदेश 14 अगस्त 2017 को जारी किया जा चुका है जो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की पौधशाला में 10 मीटर x 1 मीटर के 400 बेड्स का प्रावधान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पौध उगान विभाग की पौधशाला दिग्दर्शिका (पौधशाला के लिए दिशा–निर्देश) में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं था।

[11] वन अनुसंधान वृत्त, कानपुर द्वारा 2016 में प्रकाशित विभाग की पौधशाला के लिए दिशा–निर्देश।

वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान

2.15 सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 21 में कहा गया है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने या अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानक द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड–VII के प्रस्तर 138 में प्रावधान है कि कार्य या आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को भुगतान केवल प्रभागीय अधिकारी, या अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मात्राओं एवं दरों के साथ ही साथ कार्य या आपूर्ति की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक बातों के सम्बन्ध में दावे की सत्यता उत्तरदायी अधिकारी द्वारा स्वीकार न कर ली जाये। वन सर्किल द्वारा निर्गत दरों की अनुसूची (एसओआर) में निर्धारित किया गया है कि एसओआर में बताई गयी दरें अधिकतम होंगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात वन प्रभागों के 37 प्रकरणों **(परिशिष्ट–2.8)** में कार्यों एवं आपूर्ति की गयी मदों के लिए एसओआर दरों की तुलना में अधिक दरों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.58 लाख का अधिक भुगतान हुआ और पक्षकारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक कोई व्यय नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति निर्धारित एसओआर दरों की तुलना में उच्च दरों के भुगतान से सम्बन्धित है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण

2.16 मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी–रोजगार सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था।

लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया

2.17 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया। उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत एवं उ.प्र. सरकार द्वारा वन एवं ग्रा.वि.वि. को सम्मिलित करते हुए अन्य विभागों हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण किया। वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित करने वाले शासनादेश में विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों जैसे नर्सरी की स्थापना, अग्रिम मृदा कार्य आदि को करना प्रावधानित था। जिले में वृक्षारोपण गतिविधियाँ सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) की समग्र पर्यवेक्षण में की गयीं। ग्रा.वि.वि. में वृक्षारोपण सरकारी/सामुदायिक भूमि या किसानों की भूमि पर किया गया था। वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्य में से ग्रा.वि.वि. का लक्ष्य 3,397.94 लाख पौधे थे जो राज्य के कुल वृक्षारोपण लक्ष्य का 33.53 प्रतिशत था।

वृक्षारोपण के प्राक्कलन ग्राम पंचायत–वार तैयार किये गये थे और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्वीकृति दी गयी थी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण कार्य संपन्न कराते हैं।

वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2017–18 से 2018–19 के दौरान ग्रा.वि.वि. द्वारा पौधे क्रय किये गये थे। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान वन विभाग द्वारा पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे। वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भुगतान ब्लॉक स्तर पर मनरेगा निधि

से किया जा रहा था। मनरेगा के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय

2.18 उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण मानदण्ड तय करने के लिए एक आदेश (10 जुलाई 2003) निर्गत किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृत पौधों की बीटिंग अप अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगी। इसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक व्यय के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायित्व तय करेंगे। अग्रेतर, ग्रा.वि.वि. ने वृक्षारोपण और तीन वर्षों के लिए रखरखाव हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए (अप्रैल 2018)।

उ.प्र. सरकार के आदेशों[12] (नवम्बर 2019) में आगे प्रावधान किया गया कि सफल वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जायेंगेः

- सभी ग्राम पंचायतों की मासिक बैठक ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जानी थी। ग्राम प्रधान को लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी थी।

- निर्धारित प्रोफार्मा में रोपित किये गए पौधों की संख्या और उनकी उत्तरजीविता का ग्राम–वार सारांश खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को प्रस्तुत करना था। सीडीओ हर माह पौधों की उत्तरजीविता की रिपोर्ट डीएफओ को सौंपेंगे। डीएफओ सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे और रिपोर्ट जिला वृक्षारोपण समिति को सौंपेंगे।

- जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) को अपनी मासिक बैठकों में विभागवार लक्ष्य एवं वृक्षारोपण का अनुश्रवण कर वृक्षारोपण की सफलता को सुनिश्चित करना था तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। अग्रेतर, रोपे गए पौधे की आगामी दो वर्षों तक या पौधे के पेड़ बनने तक सुरक्षा और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना था। डीपीसी की बैठक में तकनीकी सहयोग डीएफओ द्वारा दिया जाना था।

उ.प्र. सरकार के आदेश (जुलाई 2003) में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों हेतु पहले तीन वर्षों के लिए पौधों की उत्तरजीविता (बीटिंग अप से पहले) के निम्नलिखित मानदण्ड प्रावधानित हैं जैसा कि **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: विभिन्न क्षेत्रों के लिये पौधों की उत्तरजीविता के मानदण्ड

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	पश्चिमी गंगेय क्षेत्र	पूर्वी गंगेय क्षेत्र	तराई क्षेत्र	विंध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र
1	0	95	95	95	95
2	1	79	90	91	75
3	2	68	83	83	69
4	3	59	76	75	64

स्रोतः वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार का आदेश

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 जिलों में वृक्षारोपण और पौधों की उत्तरजीविता को नीचे **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

[12] उ.प्र. सरकार आदेश संख्या 881/81–5–2019–03/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2019 एवं 923/81–5–2019–03/2019 दिनांक 29 नवम्बर 2019।

चार्ट 2.1: वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 जिलों में वृक्षारोपण और उत्तरजीविता

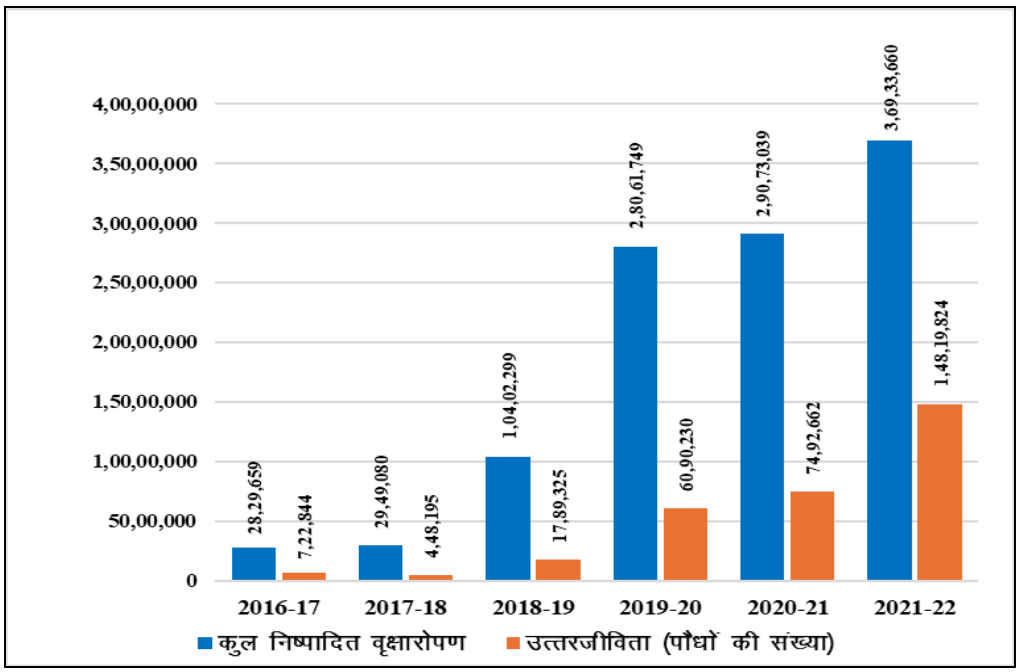

लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्रा.वि.वि. ने नमूना जाँच किए गए 22 जिलों में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 11,02,49,486 पौधे का रोपण किया। तथापि, चयनित 22 जिलों में केवल 3,13,63,080 पौधे (28.45 प्रतिशत) ही जीवित थे जो निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम थे। यह देखा गया कि रोपे गए पौधों की खराब उत्तरजीविता का प्राथमिक कारण पौधों के रख–रखाव की कमी थी जैसे कि कम्पोस्ट खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया गया था, लगाए गए पौधों को स्वयं[13] से जीवित रहने तक संरक्षित नहीं किया गया था, पौधों के सिंचाई में कमी आदि।

इस प्रकार, वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान ग्रा.वि.वि. द्वारा वृक्षारोपण पर ₹ 88.77 करोड़[14] का व्यय कम जीवितता प्रतिशत और गैर–रखरखाव/सुरक्षा की कमी के कारण निष्फल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप असफल वृक्षारोपण हुआ **(परिशिष्ट–2.9)**।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में, विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वन विभाग द्वारा कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति और रखरखाव की कमी के कारण वृक्षारोपण की मृत्यु दर प्रभावित हुई।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि ग्रा.वि.वि. वृक्षारोपण के खराब रख–रखाव के कारण पौधों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने में विफल रहा जो पौधों की उच्च मृत्यु दर में फलित हुआ। अग्रेतर, यदि वन विभाग द्वारा कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति की गयी थी, तो इसे वन विभाग के साथ उठाया जाना चाहिए था और इसका समाधान किया जाना चाहिए था क्योंकि वृक्षारोपण की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना ग्रा.वि.वि. का उत्तरदायित्व था।

वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान न करना

2.19 शासनादेशों (मार्च 2016 से नवम्बर 2019) में प्रावधान था कि वृक्षारोपण के रखरखाव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

---

[13] दो वर्ष या रोपे गये पौधे के वृक्ष बनने तक।

[14] निष्फल व्यय की गणना मानदंडों से नीचे नहीं बचे पौधों की संख्या और प्रति पौधारोपण लागत को गुणा करके की गयी जैसा कि परिशिष्ट–2.9 में वर्णित है।

ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) वन विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन तैयार करता है। वन विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलनों में पौधों के रोपण और वृक्षारोपण के वर्ष से आगामी दो वर्षों तक रखरखाव का प्रावधान किया गया है। ग्रा.वि.वि. में वृक्षारोपण के प्राक्कलन ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाते है।

नमूना जाँच किए गए जिलों के वृक्षारोपण के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 13 जिलों में 125 प्राक्कलनों में, वृक्षारोपण के वर्ष से आगामी दो वर्षों तक पौधों के रखरखाव का प्रावधान वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए वृक्षारोपण के प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–2.10** में दर्शाया गया है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने स्वीकार किया कि कुछ प्राक्कलनों में वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया गया था।

समूहों/व्यक्तियों को पौधों का अप्रलेखित वितरण

2.20 वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वृक्षारोपण लक्ष्यों के आदेशों में, उ.प्र. सरकार ने प्रावधान किया कि रिक्त सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण को जनोन्मुख एवं प्रभावशाली बनाने हेतु, किसानों एवं आम नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया गया था। तदनुसार, सरकारी भूमि के साथ–साथ किसानों की निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया गया। अग्रेतर, मनरेगा दिशा–निर्देशों एवं उ.प्र. सरकार के आदेश (अप्रैल 2018) के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए एमआईएस पोर्टल पर कार्य आईडी बनाई जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बागपत जिला में, ग्रा.वि.वि. ने एमआईएस पोर्टल पर कार्य आईडी बनाए बिना वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान समूहों/व्यक्तियों को मूल्य ₹ 68.62 लाख[15] के कुल 9,80,321 पौधे[16] वितरित किए गए, जिससे वृक्षारोपण का अनुश्रवण एवं उसकी उत्तरजीविता कठिन हो गयी।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में, विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूहों/व्यक्तियों को पौधे वितरित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पौधों का वितरण उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार एमआईएस से सम्बन्धित कार्य आईडी बनाये बिना किया गया था।

निष्कर्ष

वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग ने कार्य योजनाओं के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के कारण वैध कार्य योजनाओं के बिना कार्य किया। कार्य योजनाओं के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र में वन आवरण 100 वर्ग किलोमीटर कम हो गया जो यह दर्शाता है कि राज्य में वृक्षारोपण और वन संरक्षण के प्रयास वांछित स्तर के नहीं थे। वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान बजट आवंटन वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियों में वृद्धि के अनुरूप नहीं था एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक था।

वन विभाग ने वन भूमि के व्यपवर्तन और बीटिंग अप के वृक्षारोपण को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में त्रुटिपूर्ण तरीके से सम्मिलित

---

[15] पत्र संख्या 78/14-5-2016-67/87 टी.सी. दिनांक 26 अप्रैल 2016 द्वारा वन विभाग की पौधशाला द्वारा पौधों की बिक्री हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 7.00 प्रति पौधे की दर से गणना की गयी।

[16] बागपत ब्लॉक–2,25,939 पौधे, छपरौली ब्लॉक–1,52,705 पौधे, बड़ौत ब्लॉक–2,35,774 पौधे, पिलाना ब्लॉक–2,31,987 पौधे और खेकड़ा ब्लॉक–1,33,916 पौधे।

किया। विद्यमान निर्देशों के अनुसार गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण सुनिश्चित नहीं किया गया।

ग्राम्य विकास विभाग वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान मानदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अध्याय-III

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण

अध्याय-III

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण

वन विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से पूर्व में ही रोपित वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) हेतु चिन्हित किया। विभाग ने गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) चार्जेज, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज एवं सेंटेज चार्जेज की कम वसूली की।

वन विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया एवं प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।

प्रस्तावना

3.1 राज्य कैम्पा, 2009 पर एमओईएफ के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अन्तर्गत गैर–वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण को वित्तपोषित करना, देखरेख करना और संवर्धन करना सम्मिलित होगा। यह प्राप्त धनराशि का प्रबंधन करेगा और एकत्र किए गए धन का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के लिए करेगा। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार, प्रयोक्ता एजेंसियों को गैर–वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर दो स्टेजों में पूर्व अनुमोदन देती है–प्रथम सैद्धांतिक या स्टेज I[1] अनुमोदन; तथा दूसरा, सैद्धांतिक (स्टेज I) अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने पर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिये अंतिम या स्टेज II[2] अनुमोदन। अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के स्टेज II (अंतिम) अनुमोदन की शर्तों में से एक यह नियत करती है कि चिन्हित की गयी गैर–वन भूमि[3] या अवनत वन भूमि[4] पर राज्य वन विभाग द्वारा स्टेज II अनुमति निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा और तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेंसी (यूए) द्वारा राज्य कैम्पा निधि में जमा की गयी धनराशि से अनुमोदित योजना के अनुसार अनुरक्षित किया जायेगा।

प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत व्यय

3.2 प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 भारत के लोक लेखा एवं प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के अधीन निधि की स्थापना और उसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सीए, अतिरिक्त सीए, दण्डात्मक सीए, शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण हुई वन की हानि की भरपाई के लिए ऐसी एजेंसियों से वसूल की गयी अन्य सभी धनराशियाँ जमा करने का प्रावधान करता है। राज्य कैम्पा में एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य प्राधिकरण के अनुमोदन से सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

---

[1] स्टेज I में, प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी जाएगी जिसमें सामान्य रूप से सीए के लिए समतुल्य गैर–वन भूमि के हस्तांतरण और सीए रोपित करने के लिए धन के प्रावधान से सम्बन्धित शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुपालन के लिए दी जाती हैं।

[2] राज्य सरकार से निर्धारित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक अनुमोदन निर्गत किया जाता है, जिसे स्टेज II अनुमति भी कहा जाता है।

[3] व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के बराबर गैर–वन भूमि पर सीए रोपित किया जाता है।

[4] प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर सीए का रोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।

सीए के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल–विशिष्ट योजनाओं के लिए किया जाता है। गैर–प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि में व्यपवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य से प्राप्त धन सम्मिलित होती है तथा वन और वन्य जीवन के प्रबंधन में व्यय की जाती है। राज्य कैम्पा में प्राप्त धनराशि एवं उसके व्यय का वर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: राज्य कैम्पा में प्राप्त धनराशि एवं व्यय का वर्ष–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक जमा	कैम्पा कोष में प्राप्त धनराशि	कुल	निधि से कुल व्यय	वर्ष के अन्त में शेष धनराशि
2016-17	146.58	107.88	254.46	127.50	126.96
2017-18	126.96	150.92	277.89	97.66	180.23
2018-19	180.22	161.73	341.95	194.92	147.03
2019-20	147.03	7.71	154.74	120.22	34.52[5]
2019-20[6]	--	1,819.63	1,819.63	62.31	1,757.31
2020-21	--	--	1757.31	252.06	1,505.25
2021-22	--	--	1541.71[7]	362.12	1,179.59
योग		**2,247.87**		**1,216.79**	

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 के अन्त में ₹ 1,179.59 करोड़ के कैम्पा कोष अप्रयुक्त रह गये।

सीए वृक्षारोपण के लिए अवनत वन भूमि की त्रुटिपूर्ण पहचान

3.3 दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.8 (ii) नियत करता है कि गैर–वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत सीए की योजना, स्थल विशिष्ट होनी चाहिए, एवं इसमें वर्ष–वार की जाने वाली संक्रियाओं सहित विस्तृत कार्य अनुसूची सम्मिलित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मेरठ में 17.9668 हेक्टेयर एवं बागपत में 28.3240 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के दो टुकड़े एनएच–334बी (मेरठ–बागपत रोड) के चौड़ीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को व्यपवर्तित (अक्टूबर 2020) किए गए थे। उपरोक्त व्यपवर्तन के सम्बन्ध में, हमीरपुर वन प्रभाग के राठ रेंज के कैथा एवं अंगीठा वन ब्लॉकों में स्थित क्रमशः 73 हेक्टेयर एवं 20 हेक्टेयर की अवनत वन भूमि को सीए के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राज्य कैम्पा में ₹ 3.00 करोड़ जमा किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कैथा आरक्षित वन ब्लॉक की भूमि का कुल क्षेत्रफल केवल 122.0410 हेक्टेयर था, जिसमें से 70 हेक्टेयर (2017–18 में 30 हेक्टेयर, 2018–19 में 20 हेक्टेयर एवं 2020–21 में 20 हेक्टेयर) पर पहले ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण हो चुका था। इस प्रकार, उस वन ब्लॉक में सीए वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 73 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष भविष्य में वृक्षारोपण हेतु केवल 52.0410 हेक्टेयर भूमि ही बची थी।

इस प्रकार, वन विभाग ने 20.959 हेक्टेयर ऐसी भूमि की पहचान की, जिस पर पहले से ही वृक्षारोपण था।

---

[5] तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान धनराशि अप्रयुक्त रही।

[6] 2019–20 में, तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत उपलब्ध निधि को राज्य कैम्पा निधि में हस्तान्तरित कर दिया गया था।

[7] इसमें (1,505.25 + 36.46 = 1,541.71) 2020–21 का समापन शेष एवं वर्ष 2019–20 में बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत अप्रयुक्त पड़ी धनराशि ब्याज सहित सम्मिलित है।

उत्तर (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने कहा कि सीए के लिए अन्य भूमि की पहचान की जाएगी और भारत सरकार से उचित अनुमोदन मांगा जाएगा।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

सीए चार्जेज की कम वसूली

3.4 गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी, जो गैर–वन भूमि पर वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों पर सीए चार्जेज आरोपित करने के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने के अधीन था। अग्रेतर, दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार, व्यपवर्तित वन क्षेत्र से दोगुना अवनत वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर सीए रोपित किया जायेगा एवं उसका अनुरक्षण किया जाएगा। वन भूमि के व्यपवर्तन के स्टेज I अनुमोदन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, सीए का अनुरक्षण 10 वर्षों के लिए किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से यह चार्जेज जमा किये जायेगे। इन चार्जेज में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उचित प्रावधान भी सम्मिलित किये जा सकते है।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014 एवं 2022 के मध्य की अवधि के 20 प्रकरणों में, 10 वन प्रभागों ने स्टेज I अनुमोदनों में निर्धारित शर्तें के अनुसार वृक्षारोपण के अनुरक्षण पर 10 वर्षों के स्थान पर, केवल पाँच से आठ वर्षों तक के लिये ही सीए चार्जेज को गणना में लिया था। इस प्रकार, स्टेज I अनुमोदन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन में, प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 7.50 करोड़ (₹ 0.48 करोड़ के सेंटेज चार्जेज[8] सहित) के सीए चार्जेज आरोपित और वसूले नहीं गये थे **(परिशिष्ट–3.1)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, 2019 के अनुसार वृक्षारोपण के अनुरक्षण हेतु वर्षों के बंधन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, नियमानुसार सात से 10 वर्ष तक अनुरक्षण के लिए धनराशि वसूली गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों को दिए गए स्टेज I अनुमोदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सीए वृक्षारोपण का अनुरक्षण 10 वर्षों तक किया जाना था। अग्रेतर, अन्य मामलो में, अनुरक्षण चार्जेज 10 वर्षों के लिए लगाये गये थे। अतः प्रयोक्ता एजेंसियों से अनुरक्षण धनराशि की कम वसूली की गयी।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 वन प्रभागों ने 2016 एवं 2022 के मध्य की अवधि के दौरान वन भूमि के व्यपवर्तन के 49 प्रकरणों में 1,100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से 2,20,959 वृक्षों के स्थान पर 1,34,001 वृक्षों के लिये सीए की धनराशि की गणना की और चिन्हित अवनत भूमि पर वृक्षारोपण के बाद दस वर्षो तक के अनुरक्षण की गणना की गयी। परिणामस्वरूप, लगाए जाने वाले 86,958 वृक्षों के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 9.80 करोड़ की धनराशि के सीए चार्जेज आरोपित और वसूले नहीं गये **(परिशिष्ट–3.2)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023), विभाग ने कहा कि सीए के सम्बन्ध में स्थल विशिष्ट योजना का प्रावधान दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.8 (ii) में दिया गया था, जिसमें प्रावधानित था कि अवनत वन भूमि में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1,000 वृक्ष लगाए जाने थे।

[8] उ.प्र. सरकार के आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार सेंटेज चार्ज की दर 6.875 प्रतिशत है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान गैर–वन भूमि पर लागू था जबकि लेखापरीक्षा आपत्ति अवनत वन भूमि से सम्बन्धित है। कार्य योजना के निर्देश के अनुसार, अवनत वन भूमि पर 1,100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाना था। परिणामस्वरूप, सीए चार्जेज के रूप में कम धनराशि प्राप्त हुई।

लागत वृद्धि का प्रावधान कम/नहीं होना

3.5 गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा दी गयी सैद्धांतिक/स्टेज I अनुमोदन में निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सीए योजनानुसार प्रचलित श्रम दरों पर सीए की लागत तथा सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो, सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तंभों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरणों द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। सीए का अनुरक्षण 10 वर्षों तक किया जायेगा। योजना में आगामी वर्षों हेतु निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जा सकता है।

2016–17 से 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए 26 वन प्रभागों में प्रयोक्ता एजेंसियों की ओर से सीए वृक्षारोपण के 157 प्राक्कलनों की जाँच से, लेखापरीक्षा ने 19 प्रभागों में देखा कि, 55 वित्तीय प्राक्कलनों में वन भूमि के व्यपवर्तन के अनुमोदन की शर्तों के अनुसार आगामी वर्षों में नियोजित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए वृद्धि प्रावधान सम्मिलित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 21 प्रभागों ने आगामी वर्षों में वृक्षारोपण एवं उसके अनुरक्षण के लिए 102 प्राक्कलनों में लागत वृद्धि का कम प्रावधान किया, जिसमें वृद्धि दर प्रति वर्ष[9] एक समान 10 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की सीमा में थी।

इस प्रकार, वन भूमि के व्यपवर्तन के अनुमोदन में निर्धारित प्रत्याशित लागत वृद्धि की वसूली की शर्त के उल्लंघन में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित वृक्षारोपण कार्यों के सम्बन्ध में ₹ 102.77 करोड़ **(परिशिष्ट–3.3)** की लागत वृद्धि धनराशि की वसूली करने में वन विभाग विफल रहा जो सीए वृक्षारोपण के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अधीन निर्गत दिशा–निर्देशों की हस्तपुस्तिका, 2019 के प्रस्तर 2.8 में प्रत्येक वर्ष के लिए लागत वृद्धि की दर के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। सभी सीए प्राक्कलन उचित पाए जाने पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने स्टेज I अनुमोदन में यह निर्धारित किया था कि योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित वृक्षारोपण कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किये जा सकते है, तथापि विभाग द्वारा सीए प्राक्कलन में प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए आवश्यक प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज वसूलने एवं सीएटी योजना लागू करने में विफलता

3.6 एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों (2019) के प्रस्तर 9.2 में कहा गया है कि सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के साथ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता तक) को छोड़कर विस्तृत कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) योजना अनिवार्य रूप से सम्मिलित

[9] श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए जारी श्रम की न्यूनतम दरों के आधार पर लागत में वार्षिक कम्पाउन्डिंग वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से प्रत्याशित लागत वृद्धि ली गयी है ।

की जाएगी। सीएटी योजना मिट्टी एवं नमी और जल व्यवस्था के प्रबंधन के संरक्षण के लिए स्थल–विशिष्ट जैविक और अभियांत्रिकी उपायों के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई/जल विद्युत परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक योजना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने जून/दिसम्बर 2020 में सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए राप्ती नहर निर्माण खण्ड–I/II, तुलसीपुर, बलरामपुर के लिए 3.571 हेक्टेयर एवं 6.8826 हेक्टेयर के दो टुकड़ों में आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन को अनुमोदित किया। प्रभाग ने आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया और कैचमेंट क्षेत्र के दोनों भागों के उपचार (वनीकरण/वृक्षारोपण) हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) योजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 32.44 लाख एवं ₹ 87.48 लाख के वित्तीय प्राक्कलन प्रेषित किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएटी योजनाओं के इन प्राक्कलनों में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों हेतु लागत वृद्धि का प्रावधान तथा कार्यों की प्राक्कलित लागत पर सेंटेज चार्जेज सम्मिलित नहीं था। फलस्वरूप, कैम्पा कोष में सीएटी योजनाओं के लिए ₹ 79.73 लाख[10] की धनराशि कम प्रदान की गयी। अग्रेतर, सीएटी योजनाओं के लिए ₹ 1.20 करोड़[11] के प्राक्कलनों के विरुद्ध अब तक (अप्रैल 2023) प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई वसूली नहीं की गयी। सीएटी चार्जेज की वसूली के अभाव में, सीएटी योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के कैचमेंट क्षेत्र को पारिस्थितिक क्षति हुई।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की गयी। अग्रेतर यह भी कहा कि 3.571 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा स्टेज I अनुमोदन में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गयी थी एवं 6.8826 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी से भारत सरकार के स्टेज I अनुमोदन के अनुपालन में सीएटी योजना चार्जेज की वसूली के लिए उच्च स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। अतः कोई सीएटी योजना चार्जेज नहीं लिया गया था। अग्रेतर, सीएटी योजना धनराशि पर सेंटेज चार्ज का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा–निर्देशों (2019) के प्रावधान के अनुसार सीएटी योजना की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जानी थी क्योंकि वर्तमान प्रकरणों में वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव विस्तृत सीएटी योजना के साथ होने थे।

निजी उद्यमियों का बिना वन अनुमति के कार्य करना

3.7 एफसी अधिनियम, 1980 के अधीन निर्गत दिशा–निर्देश (2019) के प्रस्तर 4.7 में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार, सरकारी विभागों/निजी प्रतिष्ठानों को प्रत्येक प्रकरण में वन भूमि के 0.1 हेक्टेयर से अधिक व्यपवर्तन न होने पर एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति देने पर सहमत हुई है। यह सामान्य अनुमोदन रेखीय परियोजनाओं के साथ पट्टी वृक्षारोपण में से पहुंच/अभिगम के लिए लागू है जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया गया है और जो वन विभाग के स्वामित्व में नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसियों को मंत्रालय के वेब पोर्टल *एचटीटीपी://परिवेश.एनआईसी.इन* पर राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अग्रेतर, उपरोक्त दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 1.21 (ii) के अनुसार, ऐसे प्रकरणों में जहां वन भूमि को वन अनुमति के पूर्व व्यपवर्तित किया जाता है, उल्लंघन के लिए शास्ति, निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित वास्तविक व्यपवर्तन की तिथि से प्रत्येक वर्ष के उल्लंघन के लिए प्रति

[10] लागत वृद्धि के लिए ₹ 66.98 लाख एवं सेंटेज चार्जेज के लिए ₹ 12.84 लाख ।

[11] ₹ 32.44 लाख + ₹ 87.48 लाख।

हेक्टेयर वन भूमि के एनपीवी के बराबर होगा जो जमा की तिथि तक एनपीवी का अधिकतम पाँच गुना और 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बरेली एवं रामपुर वन प्रभागों में, 15 उद्यमी **(परिशिष्ट–3.4)** सड़क स्थलों पर उस क्षेत्र मे स्थित प्रतिष्ठानों से अपना व्यवसाय चला रहे थे, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। एफसी अधिनियम, 1980 के प्रावधानों अनुसार उद्यमियों को अपने व्यवसायों को आरम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार से अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंच/अभिगम मार्ग के लिए वन अनुमति लेनी आवश्यक थी। लेकिन उद्यमियों ने वन अनुमति प्राप्त करने के लिए न तो वन विभाग से सम्पर्क किया और न ही वन विभाग ने दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई कार्यवाही आरम्भ की सिवाय बरेली प्रभाग में ऐसे निजी उद्यमियों को नोटिस निर्गत किये गये जबकि रामपुर प्रभाग वन भूमि के ऐसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को नोटिस निर्गत करने में भी विफल रहा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे पीएसयू सड़क किनारे रिटेल आउटलेट्स स्थापित करते समय पहुंच मार्ग के लिए वन अनुमति की अनुज्ञा ले रहे थे।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) कहा कि उद्यमियों द्वारा संरक्षित वन भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया, उन्होंने केवल सामुदायिक/सार्वजनिक पथ का उपयोग किया। विभाग ने अग्रेतर कहा कि उद्यमियों से गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने दोहराया कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के लिए गैर वन उपयोग की अनुमति तब स्वीकृत की जाती है, जब प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निजी उद्यमी आईएफए, 1927 के प्रावधान के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में आने वाले पथ का उपयोग मार्ग के अधिकार के रूप में कर रहे थे, जिसे एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार से उचित अनुमोदन के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए थी।

स्टेज I अनुमोदन की शर्तों को पूर्ण किए बिना बांध का निर्माण

3.8 दिशा–निर्देशों, 2019 के प्रस्तर 1.14 में कहा गया है कि यदि किसी परियोजना में वन के साथ–साथ गैर–वन भूमि भी सम्मिलित है तो अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि अवमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक गैर–वन भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि और जिस सीमा तक वन संरक्षण (एफसी) नियमों या उनके अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों द्वारा अनुमति न दी गयी हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ललितपुर वन प्रभाग में, 209.8070 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के पाँच टुकड़ों को जिला ललितपुर में भौंराट बांध के निर्माण के लिए आवश्यक गैर–वन उद्देश्यों हेतु सिंचाई विभाग को व्यपवर्तित किया जाना था। बांध परियोजना हेतु कुल 1266.6800 हेक्टेयर[12] भूमि की आवश्यकता थी। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई निर्माण खण्ड II, ललितपुर ने आरक्षित वन भूमि के उक्त क्षेत्र के व्यपवर्तन हेतु आवेदन[13] किया। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने 9 मई 2018 को प्रयोक्ता एजेंसी के प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन से पूर्व पूर्ण की जाने वाली कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन (स्टेज I) प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसी से सीए, एनपीवी और सीएटी योजना के मद में न तो ₹ 39.95 करोड़ की वसूली की और न ही इस उद्देश्य के लिए सीए भूमि चिन्हित की। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से अग्रेतर देखा कि रेंज अधिकारी–महरौनी ने डीएफओ,

[12] 209.807 हेक्टेयर वन भूमि एवं 1,056.873 हेक्टेयर गैर वन–भूमि।
[13] प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/आईआरआरजी/17563/2016।

ललितपुर वन प्रभाग को सूचित किया (23 अक्टूबर 2021) कि बांध का निर्माण प्रगति[14] पर था और एक या दो वर्ष के अन्दर पूर्ण होने की संभावना थी। अग्रेतर, नीचे दिखाई गयी 6 अप्रैल 2021 की सैटेलाइट इमेजरी (गूगल अर्थ) **(चित्र 3.1)**, भी यह दर्शाती है कि बांध का निर्माण तेजी से चल रहा था।

चित्र 3.1: जनपद ललितपुर में भौंराट बांध का निर्माण (दिनांक 6 अप्रैल 2021)

इस प्रकार, वन विभाग बांध क्षेत्र में आने वाली आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अंतिम अनुमोदन के बिना बांध के निर्माण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि बांध परियोजना का कार्य, गैर वन भूमि पर आरम्भ किया गया था एवं वन भूमि पर, अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। अग्रेतर यह सूचित किया गया कि सीए, एनपीवी और सीएटी धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी परियोजना में वन के साथ–साथ गैर–वन भूमि भी सम्मिलित है तो अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि अवमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने तक, जब तक कि और जिस सीमा तक एफसी नियमों या उनके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों द्वारा अनुमति न दी गयी हो, गैर–वन भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए। अग्रेतर, बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि को व्यपवर्तित माना जाएगा क्योंकि वह बांध से प्रभावित हो रही थी।

प्रतिपूरक वनीकरण के वृक्षारोपण कार्य पर सेंटेज चार्जेज आरोपित न किया जाना

3.9 उ.प्र. सरकार के आदेश (11 नवम्बर 2014) के साथ पठित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के प्रावधानों के अनुसार राज्य में अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/पीएसयू की ओर से वन विभाग द्वारा किए जाने वाले डिपाजिट कार्य के सम्बन्ध में कार्य की लागत का 6.875 प्रतिशत की दर से सेंटेज लिया जाएगा और सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 26 वन प्रभागों में देखा कि प्रभागों ने 2016–17 से 2021–22 के दौरान सीए के 166 प्रकरणों के प्राक्कलनों को अनुमोदित किया एवं प्रयोक्ता एजेंसियों से मांग की। प्रयोक्ता एजेंसियों ने सम्बन्धित प्रभागों द्वारा की गयी मांग के अनुसार सीए की धनराशि कैम्पा में जमा की। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि

[14] बांध परियोजना जुलाई 2016 से प्रगति पर थी।

प्रभागों ने प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 218.48 करोड़ मूल्य के वृक्षारोपण कार्यों पर की गयी मांग में ₹ 15.02 करोड़ के सेंटेज चार्जेज को सम्मिलित नहीं किया था। यद्यपि, इसे शासनादेश के अनुसार आरोपित किया जाना एवं वसूला जाना आवश्यक था **(परिशिष्ट–3.5)**। इस प्रकार, सीए के प्राक्कलनों में सेंटेज चार्जेज सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप निधि की वसूली नहीं हुई और राजकोष को ₹ 15.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। उल्लेखनीय है कि सात वन प्रभागों[15] ने प्रतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलनों को अनुमोदित करते हुए 25 प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 2.24 करोड़ के सेंटेज चार्जेज को आरोपित किया एवं वसूल किया।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में सेंटेज चार्जेज की वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। कुछ प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सेंटेज चार्जेज लगाये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सीए के लिए चिन्हित क्षेत्र की स्थल विशिष्ट योजना तैयार की एवं सीए के लिए प्राक्कलन भी तैयार किया। सीए की लागत सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वहन की जानी थी क्योंकि वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसियों की ओर से वृक्षारोपण करता है। इस प्रकार, शासनादेश के अनुसार सेंटेज चार्जेज आरोपित करना एवं वसूल किया जाना आवश्यक था।

सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा करने में विफलता

3.10 उ.प्र. सरकार के शासनादेश (25 जनवरी 2011) में निर्धारित किया गया है कि सेंटेज चार्जेज की धनराशि अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वन विभाग के नामित लेखा शीर्ष[16] में जमा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात वन प्रभागों ने 2016–17 से 2021–22 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के 25 प्रकरणों में गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में ₹ 2.24 करोड़ की धनराशि का सेंटेज चार्जेज आरोपित किया। सेंटेज चार्जेज की उपरोक्त ₹ 2.24 करोड़ धनराशि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा नामित सरकारी लेखा शीर्ष के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा की गयी थी। लेखा शीर्ष में जमा न किए गए सेंटेज चार्जेज का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: कैम्पा में जमा किये गये सेंटेज चार्जेज

क्र. सं.	वन प्रभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण/अन्य कार्यों के लिए प्राक्कलित व्यय (₹ करोड़ में)	आरोपित सेंटेज चार्जेज (₹ करोड़ में)
1	डीडीएसएफ कैमूर	3	2.37	0.16
2	डीडीएसएफ कानपुर देहात	5	3.48	0.23
3	डीडीएसएफ कानपुर नगर	5	4.25	0.29
4	डीडीएसएफ लखनऊ	1	7.84	0.46
5	डीडीएसएफ मथुरा	1	0.41	0.03
6	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	9	12.30	0.85
7	डीडीएसएफ श्रावस्ती	1	1.77	0.22
योग		**25**	**32.422**	**2.24**

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त अभिलेख

इस प्रकार, सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा नहीं करने के परिणामस्वरूप राजकोष ₹ 2.24 करोड़ के राजस्व से वंचित रह गया।

[15] कैमूर, कानपुर (डी), कानपुर (एन), लखनऊ, मथुरा, मिर्ज़ापुर और श्रावस्ती।
[16] लेखा शीर्ष 0406-01-800-01/ 0406-02-800-01।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में सेंटेज चार्ज की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं व्यपवर्तन के 25 प्रकरणों में सेंटेज चार्जेज आरोपित किये एवं वसूल किये और इसे सरकार के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा करने के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा कर दिया था।

प्रयोक्ता एजेंसियों पर एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि आरोपित नहीं किया जाना

3.11 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (मार्च 2008) के अनुपालन में, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने अपने आदेश (5 फरवरी 2009) में गैर–वन उपयोग के व्यपवर्तन के लिये, इको–क्लास और वन भूमि के क्राउन घनत्व के आधार पर, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त की जाने वाली एनपीवी की दरें तय की है। आदेश में यह भी कहा गया है कि एनपीवी की दर तीन वर्ष पश्चात् परिवर्तनाधीन है। अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली ने वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता वाले प्रस्तावों पर स्टेज I अनुमोदन के दौरान शर्त रखी थी कि एनपीवी की दरों में वृद्धि के प्रकरण में, प्रयोक्ता एजेंसियों को एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इस आशय की वचनबद्धता भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी।

एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने एनपीवी दरों को संशोधित (6 जनवरी, 2022) किया जैसा कि **तालिका 3.3** में नीचे वर्णित है ।

तालिका 3.3: संशोधित एनपीवी (प्रति हेक्टेयर) दरें

(धनराशि ₹ में)

इको–क्लास	अत्यंत सघन वन	सघन वन	खुला वन
श्रेणी-I	15,95,790	14,36,670	11,16,900
श्रेणी-II	15,95,790	14,36,670	11,16,900
श्रेणी-III	13,57,110	12,28,590	9,57,780
श्रेणी-IV	9,57,780	8,61,390	6,70,140
श्रेणी-V	14,36,670	12,92,850	10,05,210
श्रेणी-VI	15,16,230	13,72,410	10,69,470

अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने स्पष्ट किया (मार्च 2022) कि संशोधित दरें उन सभी प्रस्तावों पर लागू होंगी जिन्हें 6 जनवरी 2022 के बाद स्टेज I (सैद्धांतिक रूप से) अनुमोदन दिया गया है तथा उन प्रकरणों में भी जिन्हें स्टेज I अनुमोदन 6 जनवरी 2022 से पूर्व दी गयी थी, जहाँ पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी, स्टेज I अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण स्टेज II/अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गैर–वन उपयोगों के लिए 809.1907 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के आठ प्रकरणों में, जिसमें स्टेज II का अनुमोदन पाँच वर्ष से अधिक (फरवरी 2023) से लम्बित था, एनपीवी की धनराशि ₹ 81.67 करोड़ पूर्व–संशोधित दरों पर आरोपित की गयी थी। तथापि, वन विभाग मार्च 2022 के एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के आदेश के अनुसार संशोधित दरों पर इन प्रयोक्ता एजेंसियों पर ₹ 43.29 करोड़ **(परिशिष्ट–3.6)** की अतिरिक्त एनपीवी आरोपित करने में विफल रहा, जो राज्य के वन और वन्यजीवन के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि दरों में संशोधन के कारण एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

पट्टा समझौतों का पंजीकृत नहीं किया जाना तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूला नहीं/कम वसूला जाना

3.12 उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश (जुलाई 1999) के अनुसार, गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों से बाजार दर पर प्रीमियम एवं उस पर 10 प्रतिशत पट्टा किराया लिया जाएगा। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं 49 में कहा गया है कि वर्ष–दर–वर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए अचल सम्पत्ति के पट्टों से सम्बन्धित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। अग्रेतर, भारतीय स्टाम्प (आईएस) अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–बी का अनुच्छेद 35 विभिन्न प्रकार के पट्टों पर वसूले जाने वाले स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करता है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 78 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी पट्टाधारकों द्वारा करना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 वन प्रभागों ने 2016–17 एवं 2021–22 के मध्य 1,065.4614 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 31 प्रयोक्ता एजेंसियों को सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन के आधार पर पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत बिना पंजीकृत पट्टा अनुबंध हुए हस्तान्तरित कर दिया। अग्रेतर, आईएस अधिनियम, 1899 तथा पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पट्टा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि उपरोक्त 31 प्रकरणों में वन प्रभागों द्वारा व्यपवर्तित क्षेत्र पर ₹ 104.36 करोड़ मूल्य के भूमि प्रीमियम और पट्टा किराया वसूला नहीं/कम वसूला गया **(परिशिष्ट–3.7)**। इस प्रकार, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क के बिना आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के परिणामस्वरूप पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा आईएस अधिनियम, 1899 का उल्लंघन हुआ और राजकोष को प्रीमियम/पट्टा किराया (₹ 104.36 करोड़), पंजीकरण शुल्क (₹ 1.21 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹ 2.43 करोड़) के रूप में ₹ 108.00 करोड़ **(परिशिष्ट–3.7)** के राजस्व से वंचित होना पड़ा। अग्रेतर, किसी भी विवाद की स्थिति में, भविष्य में वन विभाग और प्रयोक्ता एजेंसियों के मध्य व्यपवर्तन के नियमों एवं शर्तों का वर्णन करने वाले पंजीकृत दस्तावेज़ के अभाव में यह विवादास्पद स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 में पट्टा विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। इसने अग्रेतर कहा कि वन भूमि के स्वामित्व की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह वन विभाग के पास है। ऐसे प्रकरणों में, प्रीमियम/पंजीकरण शुल्क/भूमि मूल्य एवं किराया आदि की वसूली की कोई शर्त नहीं है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जहां भी लागू हो, सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं 49 के साथ पठित उ.प्र. सरकार आदेश (जुलाई 1999) के अनुसार, वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए पट्टा समझौतों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और आईएस अधिनियम, 1899/पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

संस्तुति

3. वन विभाग को प्रतिपूरक वनीकरण के दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए एवं विद्यमान निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज, अतिरिक्त एनपीवी और सेंटेज चार्जेज आरोपित एवं वसूल करने चाहिए।

निष्कर्ष

वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से निर्धारित सीए चार्ज, अतिरिक्त एनपीवी एवं सेंटेज चार्जेज की वसूली नहीं की एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रख–रखाव के लिए आगामी वर्षों में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की लागत में वृद्धि की दरों को लागू करने में एकरूपता बनाए नहीं रखी। विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया और प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।

अध्याय-IV

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अध्याय-IV

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र

वन और ग्राम्य विकास विभाग वृक्षारोपण गतिविधियों का उचित रूप से अनुश्रवण करने में विफल रहे क्योंकि विभागों में प्रचलित प्रणाली वृक्षारोपण स्थलों के अतिव्यापन, ई–ग्रीन वॉच एवं वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली (पीएमएस) पोर्टलों पर अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आँकड़े अपलोड करने, वन ब्लॉकों के उपलब्ध क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर प्रतिवेदित वृक्षारोपण एवं प्रभागीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त क्षेत्रीय निरीक्षण जैसे प्रकरणों को इंगित नहीं कर सके।

वन विभाग वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने में भी विफल रहा।

प्रस्तावना

4.1 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम/योजना की सफलता की मेरुदण्ड हैं। यह किसी भी नीति, योजना, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं उससे अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता हैं। राष्ट्रीय वन नीति[1] के अनुसार देश में वन संसाधनों का सर्वेक्षण वैज्ञानिक आधार पर पूर्ण करने एवं सूचना अद्यतन करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का सहारा लेकर वन प्रबन्धन के प्रासंगिक पक्षों पर विश्वसनीय आँकड़ों के आवधिक संग्रह, मिलान और प्रकाशन में सुधार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनायी गयी उत्तर प्रदेश वन नीति, 1998 के अनुसार वन विभाग में कम्प्यूटर आधारित एमआईएस एवं जीआईएस प्रणाली पर बल दिया जायेगा ताकि सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से हो सके तथा योजना में इस गुणात्मक सुधार के माध्यम से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर्याप्त रूप से हो सके।

वृक्षारोपण एवं वानिकी गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उ.प्र. सरकार के आदेश (जुलाई 1982) के अनुपालन में पीसीसीएफ के कार्यालय में एक पूर्ण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विंग की स्थापना की गयी थी। विंग का मुख्य उद्देश्य राज्य के वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ वन आवरण में सुधार और वृक्षारोपण की नर्सरी, अग्रिम मृदा कार्यों और अन्य सम्बन्धित कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए वन विभाग के विभिन्न विंगों द्वारा किए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना है। वृक्षारोपण के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबन्धन के उद्देश्य से, राज्य के वन विभाग में 2016 में एक कम्प्यूटर आधारित वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली (पीएमएस) आरम्भ की गयी है। राज्य में किए गए सभी वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त सूचना पीएमएस पोर्टल पर अपलोड की जानी है जिससे कि वृक्षारोपण से सम्बन्धित सूचना ऑनलाइन प्राप्त की जा सके।

वृक्षारोपण का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुरक्षण

4.2 वृक्षारोपण संहिता के अनुसार, वन विभाग वृक्षारोपण वर्ष के बाद आगामी दो वर्षों तक वृक्षारोपण का अनुरक्षण करता है, जिसके दौरान पौधों की सुरक्षा और उत्तरजीविता के लिए विभाग द्वारा निराई, सिंचाई, पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव, सुरक्षा के लिए श्रमिकों की तैनाती जैसे उपाय किए जाते हैं। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार के आदेश (जुलाई 2003) ने प्रथम तीन वर्षों के लिए विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों के लिए पौधों की उत्तरजीविता दर 59 से 95 प्रतिशत निर्धारित की है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि वृक्षारोपण के आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के 10 प्रतिशत तक मृत पौधों का बीटिंग अप (प्रतिस्थापन) किया जाएगा।

विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016–17 से 2019–20 के दौरान, 26 वन प्रभागों में वृक्षारोपण की औसत वार्षिक उत्तरजीविता दर

---

[1] राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का प्रस्तर 4.14।

74.49 प्रतिशत से 90.16 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी। तथापि, सर्वेक्षण प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण और विश्वसनीय नहीं थे जैसा कि अनुवर्ती **प्रस्तर 4.3** में चर्चा की गयी है ।

सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में कमियाँ

4.3 वन विभाग की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विंग ने नमूना जाँच किए गए 26 वन प्रभागों में 2016–17 में किए गए वृक्षारोपण की उत्तरजीविता को सत्यापित करने के लिए 2019–20 के दौरान 534 वृक्षारोपण स्थलों का सर्वेक्षण[2] किया। उपरोक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के परीक्षण से, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 21 प्रभागों में मूल्यांकन दल ने 1,697 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले 192 स्थलों पर लगाए गए 18,74,313 पौधों में से 14,27,660 पौधों (76 प्रतिशत) के जीवित रहने का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा में आगे देखा कि सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में जीवित दर्शाए गए 14,27,660 पौधों में से, विभिन्न प्रजातियों के 3,02,542 पौधे सम्बन्धित वृक्षारोपण स्थलों के प्लांटेशन जर्नलों[3] में रोपित दर्शाए गए पौधों से अधिक थे।

इस प्रकार, वन विभाग ने पौधों की उत्तरजीविता को 16 प्रतिशत बढ़ा–चढ़ाकर बताया। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं थे और वन विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र में कमी थी ।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्जिट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान विभाग ने कहा कि मृत पौधों की बीटिंग अप के दौरान और जलवायु के अनुसार उसकी उत्तरजीविता के लिए किए गए वृक्षारोपण को प्लांटेशन जर्नल में प्रविष्ट नहीं किया गया था। इसकी प्रविष्टि प्लांटेशन जर्नल में करने के लिए डीएफओज़ को निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा तृतीय पक्ष अनुश्रवण किया गया था। इसलिए वैज्ञानिक माध्यम से अनुश्रवण किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में प्लांटेशन जर्नल के अनुसार लगाए गए पौधों की तुलना में अधिक पौधों का कारण न तो अभिलेखों में पाया गया, न ही सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में दिया गया था।

ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपर्याप्त डाटा बेस अपलोड किया जाना

4.4 प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 की धारा 16 राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये कोषों का उपयोग करके राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएं लगाकर कोषों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली की अपेक्षा करता है। एकीकृत कैम्पा समवर्ती मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली (आई–सीसीईएमएस)/ई–ग्रीन वॉच वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी सम्बन्धी कार्यों के लिये केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कैम्पा निधि एवं राज्य द्वारा निर्धारित अन्य निधियों के उपयोग से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के स्वचालन, सुव्यवस्थापन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा परिकल्पित एवं विकसित किया गया ई–गवर्नेंस पोर्टल है। यह प्रणाली सभी रेंज अधिकारियों, प्रभागीय अधिकारियों, राज्य वन विभाग, एमओईएफ और सीसी, एफएसआई एवं वानिकी कार्यों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों द्वारा मुख्य रूप से उपयोग करने के लिए परिकल्पित एवं लक्षित है।

---

[2] वर्ष में अक्टूबर से मार्च माह के दौरान तीन वर्ष पुराने वृक्षारोपण का सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें यादृच्छिक नमूने पर चयनित वृक्षारोपण के 20 से 25 प्रतिशत का सर्वेक्षण सम्मिलित है।

[3] प्रत्येक वन रेंज कार्यालय द्वारा वृक्षारोपण और अनुरक्षण से सम्बन्धित सभी गतिविधियों यथा स्थलाकृतिक मानचित्र, वृक्षारोपण स्थलों का नक्शा, जलवायु, मिट्टी का विवरण, वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट, आदि को अभिलेखित करते हुए प्लांटेशन जर्नल को अलग से बनाए रखना आवश्यक है।

4.4.1 वन भूमि के व्यपवर्तन से सम्बन्धित अभिलेखों और रेंज कार्यालयों एवं प्रभागीय कार्यालयों में डाटा अपलोड करने के लिए परिकल्पित किए गए ई–ग्रीन वॉच के मॉड्यूल की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वन प्रभागों द्वारा मॉड्यूल के केवल कुछ फील्ड ही पोर्टल पर भरे एवं अपलोड किए जा रहे थे। महत्वपूर्ण फील्डों से सम्बन्धित आँकड़े अर्थात् प्रशासनिक ईकाइयाँ, वन सीमाएँ, प्रजातियाँ, दरों की अनुसूची, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य प्राधिकरण को हस्तांतरित निधियाँ, विभिन्न मदों जैसे, सीए, एनपीवी, एसीए, पीए आदि में बाँटी गयी निधियाँ (राज्य कैम्पा), परियोजनाओं की सूची, संपूर्ण व्यपवर्तित भूमि का विवरण, समस्त सीए भूमि का विवरण, प्रयोक्ता एजेंसियों से मांग, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि, सम्पत्ति पंजीकरण, गैर–सीए/अन्य और सीए स्थलों पर वृक्षारोपण का विवरण आदि पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूलों पर अपलोड नहीं किए जा रहे थे। इन डाटा के अभाव में, कैम्पा निधि से कार्यान्वित किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों का समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सत्यापन योग्य नहीं था और न ही कैम्पा अधिनियम के प्रावधान और ई–ग्रीन वॉच पोर्टल के उद्देश्य के अनुरूप था। इसलिए, लेखापरीक्षा वृक्षारोपण योजना एवं वन विभाग द्वारा अंगीकृत अनुश्रवण प्रणाली की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रही।

4.4.2 इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने देखा कि ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में कैम्पा निधि के उपयोग से सम्बन्धित सभी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मास्टर डाटा मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एफसी एक्ट मैनेजमेंट, एसेट और वर्कसाइट्स मैनेजमेंट, कार्यों, प्राक्कलनों एवं रिर्पोटिंग तथा अनुश्रवण की प्रगति जैसी फील्ड को कैम्पा निधि के उपयोग से सम्बन्धित सभी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से परिकल्पित और विकसित किया गया था। ये प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से स्थलों और प्रजातियों के चयन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि गैर–सीए वृक्षारोपण स्थलों, सीए वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी भूमि आदि के फील्ड ही पोर्टल में क्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त, प्रभागीय वन कार्यालयों द्वारा गैर–सीए वृक्षारोपण के लिए चयनित स्थलों के सम्बन्ध में पोर्टल पर अपर्याप्त डाटा अपलोड किया जा रहा था।

नमूना जाँच किये गए 25 वन प्रभागों के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए गए गैर–सीए योजना के अन्तर्गत किए गयें वृक्षारोपण के 2,890 पॉलीगनों में से 1,344 पॉलीगनों की केएमएल फाइलों की लेखापरीक्षा ने जाँच की एवं 20 प्रभागों में 2,187 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले 182 वृक्षारोपण स्थलों पर आंशिक/लगभग पूर्ण अतिव्यापन पाया गया। वृक्षारोपण स्थलों के गूगल अर्थ पर पाए गए कुछ अतिव्यापित पॉलीगनों को नीचे दर्शाया गया हैं :

1. डीडीएसएफ बाराबंकी प्रभाग में वृक्षारोपण स्थलों के अतिव्यापित पॉलीगन (दिनांकः 16 नवम्बर 2022)

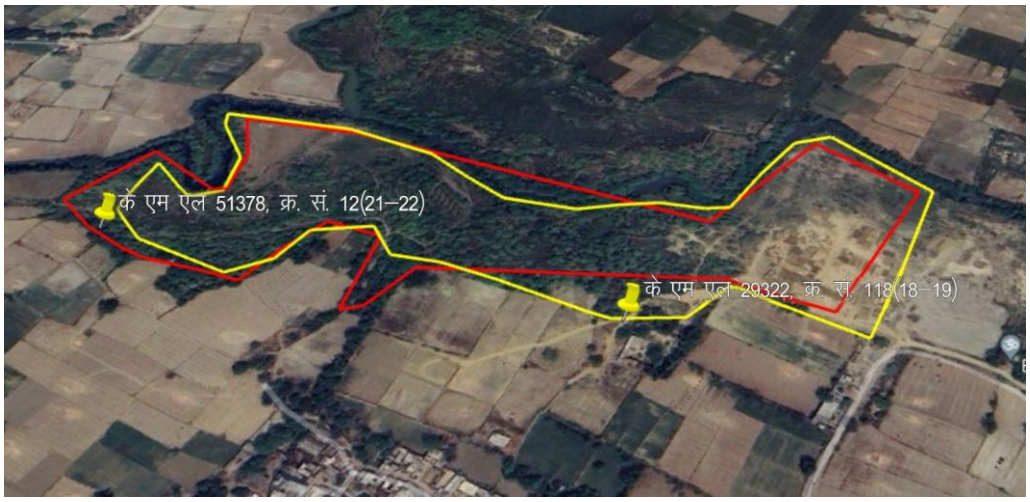

2. डीडीएसएफ बरेली प्रभाग में वृक्षारोपण स्थलों के अतिव्यापित पॉलीगन (दिनांकः 16 नवम्बर 2022)

3. डीडीएसएफ हमीरपुर प्रभाग में वृक्षारोपण स्थलों के अतिव्यापित पॉलीगन (दिनांकः 16 नवम्बर 2022)

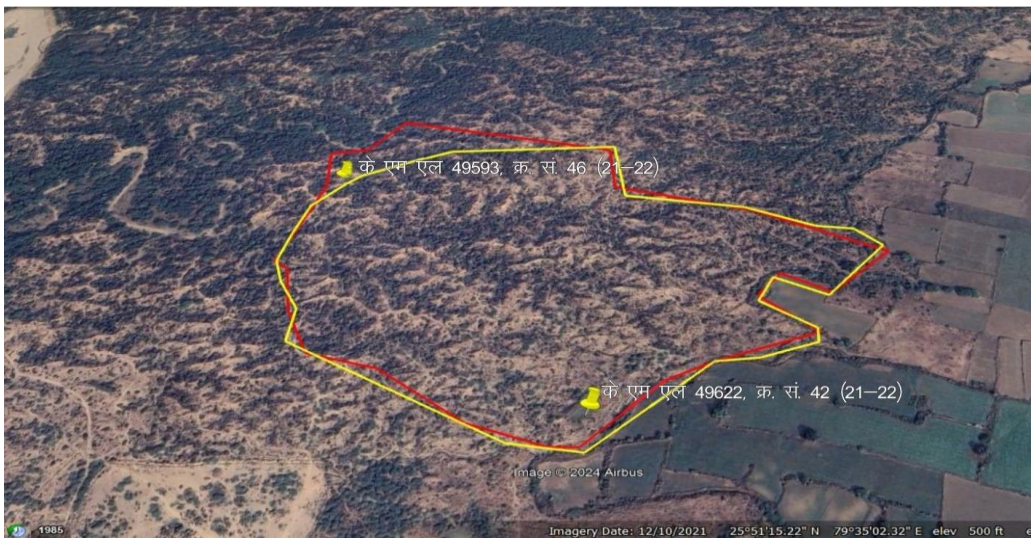

इन अतिव्यापी पॉलीगनों ने दर्शाया कि राज्य कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराए गए कोष से भूमि के उन्हीं टुकड़ों पर बार–बार वृक्षारोपण किया गया था, परिणामस्वरूप बताए गए क्षेत्र की तुलना में कम क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य हुआ, जो उन टुकड़ों में संदिग्ध वृक्षारोपण को इंगित करता है। पोर्टल पर अपेक्षित डाटा/सूचना के अभाव एवं इस तथ्य के उपरान्त भी कि राज्य में पोर्टल 2012 से क्रियाशील था, राज्य कैम्पा की अनुश्रवण की प्रणाली में कमी के कारण विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य कैम्पा से निर्गत धन के उचित उपयोग का अनुश्रवण ठीक से नहीं किया जा सका। वन विभाग ई–ग्रीन वॉच के डाटा की विश्वसनीयता बनाए रखने में भी विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण स्थलों का अतिव्यापन हुआ और इन स्थलों पर वृक्षारोपण कार्यों को बार–बार निष्पादित दर्शाया गया। इस प्रकार, सीएएफ अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कैम्पा निधि से हुये वृक्षारोपण का उचित अनुश्रवण और मूल्यांकन नहीं किया गया।

विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता

4.5 लेखापरीक्षा ने चयनित वन प्रभागों के 2016–17 से 2021–22 की अवधि के वृक्षारोपण अभिलेखों की संवीक्षा की और वन विभाग में संचालित वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली (पीएमएस) पोर्टल पर पाँच प्रभागों के वृक्षारोपण स्थलों के सम्बन्ध में अपलोड किए गए पॉलीगनों की 370 केएमएल फाइलें प्राप्त कीं। लेखापरीक्षा ने 42 प्रकरणों में अधोलिखित विसंगतियाँ देखीं :

- एक प्रभाग में, 0.73 हेक्टेयर क्षेत्र के एक पॉलीगन का उपयोग समान जीपीएस रीडिंग वाले 70 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले 15 विभिन्न स्थलों के वृक्षारोपण के लिए बार–बार किया गया था। वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार इन वृक्षारोपण स्थलों का क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से आठ हेक्टेयर तक था।
- 237 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले 25 प्रकरणों में, वृक्षारोपण का स्थल एवं क्षेत्र बताने वाले पॉलीगन एक दूसरे के साथ अतिव्यापी पाए गए।
- दक्षिण खीरी वन प्रभाग के 12 हेक्टेयर एवं 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दो अलग–अलग वृक्षारोपण स्थलों से सम्बन्धित दो पॉलीगन अपनी स्थिति कुशीनगर जिले में प्रदर्शित कर रहे थे।

विभिन्न स्थलों की जीपीएस रीडिंग समान नहीं हो सकती है। वन विभाग पॉलीगनों की पुनरावृत्ति और एक दूसरे पर अतिव्यापन का पता लगाने और रोकने में विफल रहा। इस प्रकार, वृक्षारोपण के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन और अनुश्रवण के उद्देश्य से विभाग में परिकल्पित और विकसित किया गया पीएमएस पोर्टल स्वयं डाटा/सूचना की सटीकता बनाए रखने में विफल रहा (**परिशिष्ट–4.1**)।

विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि अतिव्यापित पॉलीगनों को सुधार लिया गया है।

आरक्षित वन ब्लॉकों में कुल उपलब्ध क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण

4.6 राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता–2014 के अनुसार, कार्य योजना में वन प्रभाग के वनों के उचित प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक निर्देश सम्मिलित होते हैं। कार्य योजना को भू सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस के माध्यम से तैयार किए गए स्टॉक और वनस्पति मानचित्रों के आधार पर बनाया जाता है। कार्य योजना में, प्रभागों

के रेंज और ब्लॉक वार क्षेत्र, जिसमें आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र[4] सम्मिलित है, का विवरण दिया जाता है। कार्य योजना में कार्य योजना की अवधि के दौरान किए जाने वाले वनीकरण का वर्षवार विवरण भी सम्मिलित होता है। वन विभाग वन भूमि के साथ–साथ सामुदायिक भूमि पर भी कार्य योजना के अनुसार वृक्षारोपण करता है। वन भूमि में आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन सम्मिलित होते हैं। आरक्षित वन को वन के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए बीटों एवं ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। वृक्षारोपण का विवरण वन प्रभाग के वृक्षारोपण अभिलेखों में होता है।

लेखापरीक्षा ने 27 वन प्रभागों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि 16 प्रभागों ने 2016–17 से 2021–22 के दौरान 101 वन ब्लॉकों[5] में 7,078.7600 हेक्टेयर भूमि (प्रभागों के वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार) पर वृक्षारोपण किया था। तथापि, सम्बन्धित कार्य योजनाओं[6] के अनुसार आरक्षित वन के इन 101 वन ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 5,077.4660 हेक्टेयर **(परिशिष्ट–4.2)** था। इस प्रकार, कथित तौर पर वृक्षारोपण अभिलेखों में रोपित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया क्षेत्र संबंधित वन ब्लॉकों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में 2,001.2940 हेक्टेयर अधिक था। यह इंगित करता है कि विभाग ने वृक्षारोपण गतिविधि के निष्पादन का उचित अनुश्रवण नहीं किया था क्योंकि वृक्षारोपण ऐसे क्षेत्र पर किया जाना बताया गया था जो वन ब्लॉकों के क्षेत्र से अधिक था।

उत्तर में (अप्रैल 2023) विभाग ने कहा कि 2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य की वन नीति में परिकल्पित राज्य में 33 प्रतिशत हरित आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना के निर्देशों के अन्तर्गत विशेष वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से केवल वन ब्लॉकों के भीतर ही वृक्षारोपण किया गया था। विभाग ने अग्रेतर कहा कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, खुले वनों को मध्यम वन में और मध्यम सघन को सघन वन में परिवर्तित करने की दृष्टि से सामान्य भूमि पर 1,600 पौधे/हेक्टेयर की उच्च घनत्व दर और वनों में खुली पाई जाने वाली ऊसर भूमि पर 2,500 पौधे/हेक्टेयर की उच्च घनत्व दर पर वृक्षारोपण करना आवश्यक था। पौधों की संख्या के आधार पर वृक्षारोपण के क्षेत्रफल का आंकलन नहीं किया जा सकता है ।

वन विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन में वृहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से, विगत वर्षों में वृक्षारोपण लक्ष्य हेक्टेयर के स्थान पर पौधों की संख्या के आधार पर निर्धारित किये गये हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को शासित करने वाले मूल उद्देश्य में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि वृक्षारोपण विशेष रूप से बंजर, अवनत और अनुत्पादक भूमि पर किया जाना था। कार्य योजनाओं, वृक्षारोपण अभिलेखों और पीएमएस पोर्टल के अनुसार उक्त वन ब्लॉकों में सामान्य/पठारी/बीहड़ प्रकार की भूमि पर 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर और ऊसर भूमि पर 2,000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण दर्शाया गया था। इसलिए, सम्बन्धित वन ब्लॉकों में उपलब्ध भूमि के कुल क्षेत्रफल से अधिक में वृक्षारोपण किया गया दर्शाया गया है जो विभाग के अनुश्रवण तंत्र में कमी को दर्शाता है।

---

[4] भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 की क्रमशः धारा 4/20 और धारा 29 के अन्तर्गत अधिसूचित।

[5] प्रत्येक वन रेंज को अनुभागों में विभाजित किया गया है जिन्हें आगे बीटों में विभाजित किया जाता है। बीटों को आगे वन ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है।

[6] राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता–2014 के अनुसार, कार्ययोजना में रेंजवार संपूर्ण वन क्षेत्र आच्छादित किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत विफल वृक्षारोपण

4.7 सीए की सफलता पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने कैमूर वन्यजीव वन प्रभाग, मिर्ज़ापुर से भूमि व्यपवर्तन के एक प्रकरण से सम्बन्धित वृक्षारोपण स्थलों की पाँच केएमएल फाइलें प्राप्त की।

सैटेलाइट छवियों के माध्यम से वृक्षारोपण का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ (जीई) हिस्टोरिकल इमेजरी टूल का प्रयोग किया और वृक्षारोपण स्थलों के सभी 43 पॉलीगनों के जीपीएस निर्देशांक जीई पर प्लॉट किए। यह देखा गया कि 2015–16 (वृक्षारोपण का समय) से 2021–22 की अवधि के दौरान क्राउन घनत्व/वनस्पति आच्छादन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि कैम्पा से उपलब्ध कराई गयी निधि से उनका नियमित रूप से अनुरक्षण किया जा रहा था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने एमएनएनआईटी इलाहाबाद की सहायता से वृक्षारोपण स्थलों के चार पॉलीगनों का विश्लेषण किया। एमएनएनआईटी ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि इन स्थलों का क्राउन घनत्व नवम्बर 2021 में 0.36 प्रतिशत से 26.40 प्रतिशत तक था, जो कि प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम[7] के पाँचवें वर्ष में आवश्यक न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक कैनोपी/क्राउन घनत्व से काफी कम था। वृक्षारोपण के क्राउन घनत्व का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: मिर्ज़ापुर में चार वृक्षारोपण स्थलों का क्राउन घनत्व

वृक्षारोपण का स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नवम्बर 2018 में क्राउन घनत्व (प्रतिशत में)	नवम्बर 2021 में क्राउन घनत्व (प्रतिशत में)
कवलझर-1ए	15	17.37	18.6
परसिया-1ए	15	0.7	1.07
परसिया-1सी	20	0.33	**0.36**
मतवार-2,3ए	15	16.32	26.4

स्रोतः जीआईएस सेल, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, प्रयागराज

मिर्ज़ापुर के परसिया–1 सी में नवम्बर 2021 में 0.36 प्रतिशत क्राउन घनत्व वाले वृक्षारोपण स्थल की प्रतिनिधिक सैटेलाइट इमेज **(इमेज 4.1)** नीचे दी गयी है।

इमेज 4.1: मिर्ज़ापुर में परसिया–1सी का वृक्षारोपण स्थल (नवम्बर 2021)

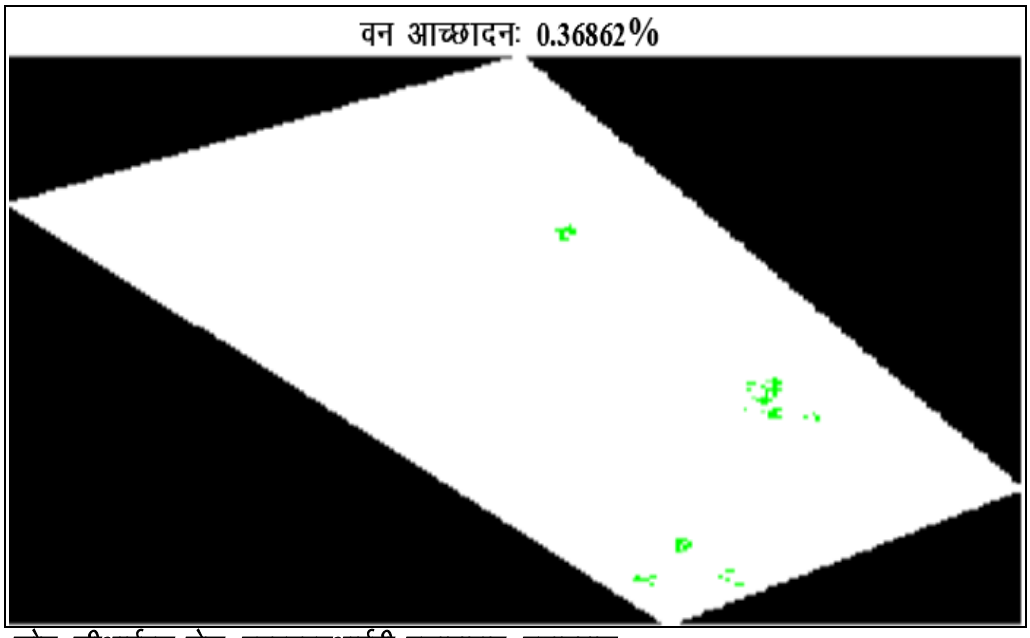

स्रोतः जीआईएस सेल, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, प्रयागराज

[7] जैसा कि संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2022 में निर्दिष्ट है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इन भूखण्डों पर किया गया वृक्षारोपण सफल नहीं रहा और वृक्षारोपण पर किया गया व्यय लाभकर नहीं रहा।

विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथ्य सही हैं। यह भी बताया गया कि यह संभव है कि बीज बुआई के माध्यम से उगाए गए पौधों के क्राउन घनत्व को सैटेलाइट इमेजरी पकड़ न पा रही हो। अग्रेतर, अन्य दो स्थानों पर, पौधों को ग्रामीणों द्वारा उखाड़ दिया गया और उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अग्रेतर, सैटेलाइट इमेजरी द्वारा क्राउन घनत्व को पकड़ न पाने के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन विभाग स्वयं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वृक्षारोपण स्थलों के चयन के लिए सैटेलाइट इमेजरी डाटा का विश्लेषण करता है।

जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुश्रवण में कमी

4.8 शासनादेश (अप्रैल 2018) के अनुसार, ग्राम्य विकास विभाग वृक्षारोपण वर्ष के बाद अगले दो वर्षों तक वृक्षारोपण का अनुरक्षण करता है। अग्रेतर, वन विभाग की वृक्षारोपण मैनुअल, वृक्षारोपण संहिता (जून 2016) में बताया गया है कि विगत वर्ष को देखते हुए जिलेवार वृक्षारोपण की उपलब्धि का आकलन करने के लिए नियमित समीक्षा की जानी है। उ.प्र. सरकार के आदेशों (मार्च 2016 एवं नवम्बर 2019) में प्रावधान है कि वृक्षारोपण की योजना और कार्यान्वयन जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) के समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत किया जाना था। शासनादेश ने पौधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा के महत्व पर बल दिया और प्रावधानित किया कि वन विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा किए गए वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा डीपीसी के माध्यम से अंतर–विभागीय निरीक्षण समितियों का गठन करके किया जाना था ।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 22 जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि सम्बन्धित जिलों/ब्लॉकों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निष्पादित वृक्षारोपण का डीपीसी द्वारा उचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गयीं:

- वृक्षारोपण के सम्बन्ध में डीपीसी के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बलरामपुर को छोड़कर, जहाँ वृक्षारोपण का सत्यापन केवल 2019–20 में दो ब्लॉक के लिए किया गया था, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थी ।
- पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए।
- वृक्षारोपण के अनुरक्षण के अभाव के कारण 22 जिलों में केवल 28.45 प्रतिशत पौधे ही जीवित रहे, जो सम्बन्धित क्षेत्रों में 59 से 95 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्डों के सापेक्ष कम था ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण में कमी थी। वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान ग्रा.वि.वि. द्वारा किए गए वृक्षारोपण के सापेक्ष पौधों की निराशाजनक उत्तरजीविता का एक कारण खराब अनुश्रवण था।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने कहा कि वृक्षारोपण कार्य का सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा जिला, ग्रा.वि.वि. एवं वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रा.वि.वि. खराब अनुश्रवण के कारण वृक्षारोपण की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने में विफल रहा। अग्रेतर, वर्ष 2019–20 के लिए

बलरामपुर जिले के दो ब्लॉक को छोड़कर, वृक्षारोपण का कोई भी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

संस्तुति

4. वन विभाग ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर पूर्ण एवं सही डाटा अपलोड करना और मॉड्यूलों की सभी फील्ड को भरना सुनिश्चित कर सकता है। अग्रेतर, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गए वृक्षारोपण का अनुश्रवण और आवधिक रिर्पोटिंग, विभाग द्वारा वन विभाग के समन्वय से सुनिश्चित की जा सकती है।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

4.9 सरल शब्दों में, आन्तरिक नियंत्रण वे गतिविधियाँ और सुरक्षा उपाय हैं, जो किसी संगठन/विभाग के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि उसकी गतिविधियाँ योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। किसी सफल संगठन के लिए एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पूर्व–अपेक्षित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया जाना

4.9.1 लेखापरीक्षा मैनुअल आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों, प्रलेखों, मानकों के प्राधिकार और परिसीमा की रूपरेखा तैयार करती है और सुसंगत दिशा–निर्देश एवं प्रक्रियाएं प्रदान करती है। ये दिशा–निर्देश सामंजस्य, स्थिरता, निरंतरता, स्वीकार्य निष्पादन मानकों को बढ़ावा देते हैं और लेखापरीक्षा कर्मचारियों के प्रयासों को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने के साधन हैं। उ.प्र. सरकार के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2003 में विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया था। आदेश में आगे प्रावधान किया गया है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी को आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार करना और समय–समय पर इसे अद्यतन करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वन विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अपनी गतिविधियों को आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के बिना कार्यान्वित कर रही थी। मैनुअल के अभाव में, शाखा की व्यवस्थित कार्यप्रणाली अर्थात योजना, क्रियान्वयन, प्रतिवेदिता, लेखापरीक्षा का अनुपालन, लेखापरीक्षा कार्य की गुणवत्ता, लेखापरीक्षा कार्मिकों के उत्तरदायित्वों को उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मानकीकृत नहीं किया जा सका। अग्रेतर, प्रभागों की 2016–17 से 2021–22 की अवधि के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की टिप्पणियाँ मुख्य गतिविधियों यथा नर्सरी उगाना, वृक्षारोपण, पौधों की सुरक्षा और वनों का संरक्षण, गैर–वन उपयोगों के लिए वन भूमि का व्यपवर्तन आदि के स्थान पर अधिकांशतः गैर–प्रमुख प्रकरणों जैसे वन अपराध के प्रकरण, जब्त की गयी लकड़ी के निस्तारण, बकाया राजस्व, जीपीएफ पासबुक और कर्मचारी की सेवा पुस्तिकाएं आदि से सम्बन्धित थीं। इस प्रकार, मैनुअल के अभाव ने आंतरिक लेखापरीक्षा दलों के कार्यकलाप और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया।

विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा तैयार की गयी है और सरकार को अनुमोदन हेतु अग्रसारित कर दी गयी है।

वन भूमि का अतिक्रमण

4.10 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980[8] के अधीन निर्गत दिशा–निर्देशों (जून 2004) में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 24 जनवरी 1980 के बाद हुए अतिक्रमण को

[8] अनुलग्नक–IV (3.1)।

नियमित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार नए अतिक्रमणकारियों को कोई लाभ नहीं दे सकती है। अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने वन विभाग, उ.प्र. सरकार को जुलाई 2002 से प्रारम्भ करके वन भूमि में अतिक्रमणों को हटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और सभी अतिक्रमणों की समग्र सूची और कृत कार्रवाई, खाली कराया गया क्षेत्र और पुनः प्राप्त/रोपित क्षेत्र का विस्तृत त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश (3 मई 2002) दिया। साथ ही, इस प्रकरण को देखने और वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने/हटाने में राजस्व अधिकारियों सहित क्षेत्रीय संगठन की विफलता के लिए उत्तरदायित्व तय करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2022 तक 17 वन प्रभागों में 5,407 प्रकरणों में सम्मिलित 8,508.9007 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इसमें से, 310 प्रकरणों में 5,229.2961 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण 2016–17 से 2021–22 के दौरान किया गया था **(परिशिष्ट–4.3)** जो नये अतिक्रमण इंगित करता हैं। 2016–17 से 2021–22 के दौरान वन विभाग केवल 760 प्रकरणों में 2,515.9761 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटा सका। वन विभाग द्वारा एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया था और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए कोई अनुश्रवण समिति गठित की गयी थी। इस प्रकार, वन विभाग वन भूमि के अनुश्रवण करने और उन्हें अतिक्रमणकारियों से खाली कराने या आगे के अतिक्रमण को रोकने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप वनीकरण गतिविधियों के लिए वन भूमि की कम उपलब्धता हुई ।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि भूमि से अतिक्रमण हटाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रकरण न्यायालयों में लम्बित हैं, फिर भी अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए नियमित प्रयास किये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग विद्यमान अतिक्रमणकारियों को हटाने और नए अतिक्रमणों को रोकने में विफल रहा क्योंकि 2016–17 से 2021–22 की अवधि के दौरान, 5229.2961 हेक्टेयर वन भूमि पर और अतिक्रमण किया गया था।

संस्तुति

5. वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के समन्वय से वन भूमि के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाना सुनिश्चित कर सकता है।

प्रभागीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त क्षेत्रीय निरीक्षण

4.11 वनों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए और वृक्षारोपण के माध्यम से वनों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, उ.प्र. सरकार ने (जनवरी 2007) वन विभाग के अधिकारियों को वृक्षारोपण से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों अर्थात् अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण और इसका अनुरक्षण आदि के निरीक्षण एवं सत्यापन के लिए निर्देश निर्गत किए जैसा कि नीचे **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: निरीक्षण की अपेक्षित मात्रा

अधिकारी का पदनाम	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण	प्रथम वर्ष में अनुरक्षण	द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण
उप वन संरक्षक (डीसीएफ)	प्रभाग के लक्ष्य का 50 प्रतिशत	प्रभाग के लक्ष्य का 25 प्रतिशत	प्रभाग के लक्ष्य का 10 प्रतिशत
सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)	प्रभाग के लक्ष्य का 100 प्रतिशत	प्रभाग के लक्ष्य का 50 प्रतिशत	प्रभाग के लक्ष्य का 25 प्रतिशत

लेखापरीक्षा ने 26 वन प्रभागों में 2016–17 से 2019–20 की अवधि के लिए 1,607 वृक्षारोपण स्थलों के वन विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विंग की वृक्षारोपण सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा से पाया कि डीसीएफ और एसीएफ ने केवल 56 और 131 वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण किया था जो वृक्षारोपण स्थलों के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्डों के सापेक्ष, सर्वेक्षण किये गये स्थलों का क्रमशः 3.48 प्रतिशत एवं 8.15 प्रतिशत था, जैसा कि नीचे दी गयी **तालिका 4.3** में बताया गया है।

तालिका 4.3: क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की मात्रा

वृक्षारोपण वर्ष	कुल वृक्षारोपण स्थल	सर्वेक्षण किए गए स्थलों की संख्या	एसीएफ द्वारा पर्यवेक्षित स्थलों की संख्या	एसीएफ द्वारा पर्यवेक्षित स्थलों का प्रतिशत	डीसीएफ द्वारा पर्यवेक्षित स्थलों की संख्या	डीसीएफ द्वारा पर्यवेक्षित स्थलों का प्रतिशत
2016	2,315	534	48	9	27	5
2017	1,462	279	4	1	7	3
2018	1,712	394	14	4	4	1
2019	2,420	400	65	16	18	5
योग	**7,909**	**1,607**	**131**		**56**	

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 26 प्रभागों के डीसीएफ/एसीएफ ने वृक्षारोपण का उचित अनुश्रवण एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अप्रैल 2022 तक वन विभाग में 85 डीसीएफ और 250 एसीएफ की स्वीकृत मानवशक्ति के सापेक्ष मात्र 28 डीसीएफ एवं 183 एसीएफ तैनात थे।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान बताया कि अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का अनुश्रवण आईटी के माध्यम से किया जा रहा था। आगे कहा गया कि सभी अधिकारियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त विभागीय अधिकारी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण गतिविधि का निरीक्षण और सत्यापन करने में विफल रहे। अग्रेतर, विभाग में 57 डीसीएफ और 67 एसीएफ की काफी अधिक रिक्तियाँ थीं ।

संस्तुति

6. वन अधिकारियों को वृक्षारोपण गतिविधियों के कुशल अनुश्रवण के लिए निर्धारित निरीक्षण करना चाहिए और वृक्षारोपण गतिविधियों का सत्यापन करना चाहिए।

वृक्षारोपण कार्य के विरुद्ध भुगतान

4.12 उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड–VII के अध्याय IX (संरक्षण एवं कार्य–माप) के प्रस्तर 138 में प्रावधानित है कि ठेकेदारों को कार्यों या आपूर्ति हेतु भुगतान केवल प्रभागीय अधिकारी या अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा मात्रा और दरों के साथ–साथ कार्यों की गुणवत्ता या आपूर्ति और अन्य आवश्यक कारकों के सम्बन्ध में दावे की सत्यता स्वीकार न कर ली जाए।

26 प्रभागों में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के लिए विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान के 3,142 वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि 11 वन प्रभागों ने वृक्षारोपण एवं संरक्षण के उद्देश्य से गड्ढे और खाई खोदने, खाद, रेत, मिट्टी आदि के परिवहन का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से ट्रैक्टर और उत्खनन जेसीबी का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया था। भुगतान वाउचरों में, जिन्हें भुगतान किया गया था उन ठेकेदारों का नाम, ट्रैक्टर/जेसीबी जिसके माध्यम से कार्य सम्पादित किया गया था आदि की पंजीकरण

संख्या का विवरण, कार्यान्वित कार्यों, दरों और कार्यों के विरुद्ध भुगतान की गयी धनराशि आदि का विवरण सम्मिलित होता है।

लेखापरीक्षा ने भुगतान वाउचरों में उल्लिखित ट्रैक्टर/जेसीबी पंजीकरण संख्या को उ.प्र. सरकार के परिवहन विभाग के एम–परिवहन ऐप/(वाहन.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध पंजीकरण संख्या से प्रति सत्यापित किया। प्रति सत्यापन से यह देखा गया कि 37 भुगतान वाउचरों में दर्शायी गयी वाहन पंजीकरण संख्याएं ट्रैक्टर और जेसीबी के अलावा अन्य वाहनों यथा मोटरसाइकिल, स्कूटर, ई–रिक्शा, माल वाहक आदि के रूप में पंजीकृत थी, जिसके सापेक्ष प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त प्रकरणों में गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके कार्यों का कार्यान्वयन संदिग्ध था और सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारियों द्वारा इसके विरुद्ध ₹ 6.77 लाख का भुगतान इन वृक्षारोपण कार्यों के लिए उपयोग किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्याओं की सत्यता की पुष्टि किए बिना किया गया था ।

विभाग ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि उपलब्ध कराए गए विवरण पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

संस्तुति

7. वन विभाग गलत वाहन पंजीकरण संख्याओं का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाने का दावा किए गये वृक्षारोपण कार्यों के भुगतान के मामलों की जाँच कर सकता है और उत्तरदायित्व तय कर सकता है।

राज्य कैम्पा द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का न तैयार करना एवं विधानमण्डल में नहीं रखा जाना

4.13 प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 की धारा 28 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अपना वार्षिक प्रतिवेदन, अपनी विगत वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित राज्य सरकार को, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर अग्रसारित करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाये और राज्य प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान करेगा :

(i) प्रत्येक पुनर्वनीकरण, वनीकरण एवं संरक्षण गतिविधि की संख्या और स्थान;

(ii) गतिविधि के सम्बन्ध में साफ की गयी, संरक्षित एवं रोपित की गयी भूमि की मात्रा और स्थान; तथा

(iii) वनीकरण हेतु संगृहीत एवं व्यय की गयी धनराशि।

अग्रेतर, अधिनियम की धारा 29 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रतिवेदन और उसमें सम्मिलित संस्तुति पर कृत कार्रवाई के ज्ञापन को रखेगी। यही आशय एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2009 में निर्गत पूर्व दिशा–निर्देश में भी निहित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016–17 से 2021–22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन केवल 2020–21 और 2021–22 के लिए तैयार किया गया था, जबकि इसे 2010 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक तैयार करना था। राज्य विधानमण्डल में इसे प्रस्तुत किए जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, राज्य कैम्पा प्राधिकरण, प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 में निर्धारित भूमिकाओं का पालन करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों पर विधायी पर्यवेक्षण बाधित हुआ।

सरकार ने एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान कहा कि भारत सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है एवं इसे राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाएगा।

निष्कर्ष

वन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग अपर्याप्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के कारण वृक्षारोपण गतिविधियों का उचित अनुश्रवण करने में विफल रहे। वन विभाग कैम्पा निधि से किए गए वृक्षारोपण गतिविधियों का समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए बनाए गये ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर आवश्यक डाटा अपलोड करने में विफल रहा। विभाग वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन और अनुश्रवण के उद्देश्य से बनाए गए पीएमएस पोर्टल पर डाटा की सटीकता बनाए रखने में भी विफल रहा। वन ब्लॉकों के कुल क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण प्रतिवेदित किया गया। अग्रेतर, प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत असफल वृक्षारोपण के दृष्टांत भी देखे गए।

वन विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग बिना आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के अपनी गतिविधियाँ निष्पादित कर रही थी। वन विभाग वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और नए अतिक्रमण रोकने में भी विफल रहा।

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 9 जून 2024

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 12 JUN 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–2.1
(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)
कार्य योजनाओं को प्रेषित करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	विगत कार्य योजना/कार्य स्कीम की अवधि	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम की अवधि	कार्य योजना अथवा कार्य स्कीम	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम प्रेषित करने की तिथि	एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को कार्य योजना/कार्य स्कीम प्रेषित करने में विलम्ब (दिनों में)	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन की तिथि	अवधि जिसके लिए वन/प्रभाग ने वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य किया	अवधि जिसके लिए वन/प्रभाग ने वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य किया (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डीएफओ अम्बेडकर नगर	2015-16 से 2016-17	2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	24.05.2018	236	12.03.2019	01.10.2017 से 11.03.2019	527
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	08.11.2019	39	24.12.2019	01.10.2019 से 23.12.2019	84
2	डीएफओ अमेठी	2006-07 से 2015-16	2016-17 से 2018-19	कार्य स्कीम	26.01.2019	848	19.02.2019	01.10.2016 से 18.02.2019	871
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	04.11.2019	35	26.12.2019	01.10.2019 से 25.12.2019	86
3	डीडीएसएफ बाराबंकी	2015-16 से 2016-17	2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	16.05.2019	593	24.05.2019	01.10.2017 से 23.05.2019	600
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	08.11.2019	39	23.12.2019	01.10.2019 से 22.12.2019	83
4	डीएफओ कानपुर देहात	2005-06 से 2014-15	2015-16 से 2016-17	कार्य स्कीम	21.05.2019	1,329	04.06.2019	01.10.2015 से 03.06.2019	1,342
			2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	21.05.2019	598	04.06.2019	01.10.2017 से 03.06.2019	611
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	01.10.2019	-	06.02.2020	01.10.2019 से 05.02.2020	128
5	डीडीएसएफ ललितपुर	2007-08 से 2016-17	2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	22.02.2018	145	22.05.2019	01.10.2017 से 21.05.2019	598
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	27.01.2020	119	01.06.2020	01.10.2019 से 31.05.2020	243
6	डीएफओ महोबा	2015-16 से 2016-17	2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	16.01.2019	473	05.04.2019	01.10.2017 से 04.04.2019	551
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	26.02.2020	149	03.06.2020	01.10.2019 से 02.06.2020	245
7	डीएफओ मिर्ज़ापुर	2011-12 से 2013-14	2014-15 से 2023-24	कार्य योजना	06.01.2016	463	11.02.2016	01.10.2014 से 10.02.2016	498
8	डीडीएसएफ रामपुर	2005-06 से 2014-15	2015-16 से 2016-17	कार्य स्कीम	14.01.2019	1,202	25.07.2019	01.10.2015 से 30.09.2017	731
			2017-18 से 2018-19	कार्य स्कीम	14.01.2019	471	25.07.2019	01.10.2017 से 24.07.2019	662
			2019-20 से 2028-29	कार्य योजना	25.02.2020	148	15.06.2020	01.10.2019 से 14.06.2020	257
9	डीडीएसएफ सिद्धार्थनगर	2009-10 से 2018-19	2019-20 से 2020-21	कार्य स्कीम	13.01.2020	105	10.06.2020	01.10.2019 से 09.06.2020	252
			2021-22 से 2023-24	कार्य स्कीम	10.09.2021	-	22.10.2021	01.10.2021 से 21.10.2021	21
10	डीडीएसएफ सीतापुर	2009-10 से 2018-19	2019-20 से 2020-21	कार्य स्कीम	20.11.2019	51	10.06.2020	01.10.2019 से 09.06.2020	252

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	विगत कार्य योजना/कार्य स्कीम की अवधि	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम की अवधि	कार्य योजना अथवा कार्य स्कीम	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम प्रेषित करने की तिथि	एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को कार्य योजना/कार्य स्कीम प्रेषित करने में विलम्ब (दिनों में)	वर्तमान कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन की तिथि	अवधि जिसके लिए वन/प्रभाग ने वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य किया	अवधि जिसके लिए वन/प्रभाग ने वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य किया (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2021-22 से 2023-24	कार्य स्कीम	10.09.2021	-	30.03.2022	01.10.2021 से 29.03.2022	180
11	डीएफओ सोनभद्र	2011-12 से 2013-14	2014-15 से 2023-24	कार्य योजना	07.02.2019	1,591	03.10.2019	01.10.2014 से 02.10.2019	1,828
12	डीएफओ ओबरा	2002-03 से 2011-12 2012-13	2012-13	कार्य स्कीम	09.01.2020	2,657	20.01.2020	01.10.2012 से 30.09.2013	365
			2013-14 से 2022-23	कार्य योजना	20.08.2013*	324	20.01.2020	01.10.2013 से 19.01.2020	2,302

* एमओईएफ ने दिनांक 17.01.2014 पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत वन प्रभाग से सम्बन्धित वन निपटान प्रकरणों को उठाया।

परिशिष्ट–2.2
(प्रस्तर 2.7.1 में संदर्भित)
कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	कार्य योजना में चिन्हित सीमा से अधिक वृक्षारोपण वाले वन ब्लॉक की संख्या	वृक्षारोपण हेतु कुल चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य योजना में चिन्हित सीमा से अधिक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कार्य योजना/कार्य स्कीम की अवधि	वृक्षारोपण वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमेठी	4	0.000	55.940	55.940	2009-10 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
2	बागपत	9	45.000	174.750	129.750	2014-15 से 2023-24	2016-17 से 2021-22
3	बरेली	1	0.000	42.000	42.000	2015-16 से 2016-17 2017-18 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
4	हमीरपुर	21	1100.000	1791.000	691.000	2017-18 से 2018-19 2019-20 से 2028-29	2017-18 से 2021-22
5	जालौन	58	480.000	1817.720	1337.720	2017-18 से 2018-19	2017-18 से 2018-19
6	कानपुर देहात	30	450.000	1173.560	723.560	2015-16 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
7	लखनऊ	48	420.000	1116.130	696.130	2009-10 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
8	मथुरा	6	10.000	85.000	75.000	2014-15 से 2023-24	2016-17 से 2021-22
9	मिर्ज़ापुर	39	1460.000	4707.540	3247.540	2014-15 से 2023-24	2016-17 से 2021-22
10	ओबरा	29	505.000	1073.460	568.460	2013-14 से 2022-23	2016-17 से 2021-22
11	उत्तर खीरी	21	20.000	493.000	473.000	2013-14 से 2022-23	2016-17 से 2020-21
12	रेनुकूट	90	716.000	2749.080	2033.080	2013-14 से 2022-23	2016-17 से 2021-22
13	श्रावस्ती	29	385.000	1628.218	1243.218	2015-16 से 2016-17 2017-18 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
14	सिद्धार्थ नगर	13	89.070	242.090	153.020	2009-10 से 2018-19 2019-20 से 2020-21 2021-22 से 2023-24	2016-17 से 2021-22
15	सीतापुर	36	28.000	711.700	683.700	2009-10 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
16	सोनभद्र	51	770.000	2595.000	1825.000	2014-15 से 2023-24	2016-17 से 2021-22
17	दक्षिण खीरी	45	241.500	1413.172	1171.672	2010-11 से 2019-20 2020-21 से 2024-25	2016-17 से 2021-22
18	सुल्तानपुर	7	72.500	115.000	42.500	2016-17 से 2018-19	2016-17 से 2018-19
योग		**537**	**6792.070**	**21984.360**	**15192.290**		

परिशिष्ट–2.3
(प्रस्तर 2.7.2 में संदर्भित)
टीक (सागौन) वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	वर्ष	लागू कार्य योजना/ कार्य स्कीम	वृक्षारोपण स्थलों की कुल संख्या			कुल क्षेत्र हेक्टेयर में			कम सागौन वृक्षारोपण वाले वृक्षारोपण स्थलों की संख्या			कम सागौन वृक्षारोपण वाले वृक्षारोपण स्थलों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में			कुल रोपित पौधों की संख्या	मानदण्डों के अनुसार सागौन के रोपित किए जाने वाले पौधे	वास्तविक रूप से रोपित किए गए सागौन के पौधे	सागौन के कम लगे पौधे
				2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	ललितपुर	2016-17 से 2021-22	2007-08 से 2016-17, 2017-18 से 2018-19, 2019-20 से 2028-29	141	252	117	2055	3506	1692	3	4	2	60	40	27	92000	59800	30328	29472
2	ओबरा	2016-17 से 2021-22	2013-14 से 2022-23	105	194	110	1573	2411	1108	1	4	7	15	50	75	65060	28000	4645	23355
योग				**246**	**446**	**227**	**3628**	**5917**	**2800**	**4**	**8**	**9**	**75**	**90**	**102**	**157060**	**87800**	**34973**	**52827**

परिशिष्ट–2.4
(प्रस्तर 2.7.3 में संदर्भित)
बांस के वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वर्ष	लागू कार्य योजना / कार्य स्कीम	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या (हेक्टेयर में क्षेत्र सहित)			रोपित किए गए पौधों की संख्या			कुल पौधों की संख्या	मानदण्डों के अनुसार रोपित किए जाने वाले बांस के पौधे			वास्तविक रूप से रोपित किए गए बाँस के पौधे			अन्य रोपित प्रजातियाँ			कुल रोपित अन्य प्रजातियाँ	कुल वृक्षारोपण में अन्य प्रजातियों	मानदण्ड से अधिक अन्य प्रजातियाँ		
				2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17 से 2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22	2016-17 से 2021-22	का प्रतिशत	2016-17	2017-18 से 2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ललितपुर	2016-17 से 2021-22	2007-08 से 2016-17, 2017-18 से 2018-19, 2019-20 से 2028-29	10 (135)	19 (271)	14 (180)	115438	128750	96000	340188	115438	128750	96000	5500	18400	5540	109938	110350	90460	310748	91	109938	110350	90460
2	ओबरा	2016-17 से 2021-22	2013-14 से 2022-23	19 (300)	33 (419)	18 (179.50)	326665	460971	197450	985086	277665	391825	167833	6610	15750	500	320055	445221	196950	962226	98	271055	376075	167333
योग				**29 (435)**	**52 (690)**	**32 (359.50)**	**442103**	**589721**	**293450**	**1325274**	**393103**	**520575**	**263833**	**12110**	**34150**	**6040**	**429993**	**555571**	**287410**	**1272974**		**380993**	**486425**	**257793**

परिशिष्ट–2.5
(प्रस्तर 2.12 में संदर्भित)
वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में सम्मिलित सीए वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	सीए वृक्षारोपण	लक्ष्य प्राप्ति में सम्मिलित सीए वृक्षारापण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	डीएफओ अमेठी	2016-17	800000	800172	219720	219548
2	डीएफओ बाराबंकी	2016-17	910000	912091	204841	202750
3	डीएफओ बरेली	2016-17	243000	255301	19666	7365
4	डीएफओ जालौन	2017-18	1622000	1649542	251592	224050
5	डीएफओ कानपुर देहात	2016-17	610000	624383	25156	10773
6	डीएफओ दक्षिण खीरी	2017-18	905350	909357	51157	47150
7	डीएफओ लखनऊ	2018-19	850226	854783	297100	292543
8	डीएफओ रामपुर	2016-17	290000	291472	127197	125725
		2018-19	143105	143205	88240	88140
9	डीएफओ श्रावस्ती	2016-17	1260000	1260375	26225	25850
10	डीएफओ सिद्धार्थनगर	2016-17	607847	607874	175614	175587
11	डीएफओ सीतापुर	2018-19	941836	971607	79400	49629
12	डीएफओ सुल्तानपुर	2016-17	735528	735528	9453	9453
योग			**9918892**	**10015690**	**1575361**	**1478563**

परिशिष्ट–2.6
(प्रस्तर 2.13 में संदर्भित)
गौण खनिज पट्टाधारकों द्वारा न किये गये अनिवार्य वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	पट्टों की संख्या	भूमि का कुल क्षेत्रफल (हक्टेयर में)	भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	200 पौधे प्रति एकड़ की दर से रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या	पट्टे निर्गत करने की अवधि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	डीडीएसएफ अम्बेडकर नगर	13	72.46530	179.06570	35813	02.06.2017 से 09.06.2020
2	डीडीएसएफ बागपत	5	77.77540	192.18300	38437	19.02.2018 से 15.06.2018
3	डीडीएसएफ सोहेलवा वन्यजीव बलरामपुर	4	15.22600	37.62430	7525	15.11.2018 से 11.11.2020
4	डीडीएसएफ बरेली	1	2.21400	5.47091	1094	15.11.2018
5	डीडीएसएफ हमीरपुर	22	551.20900	1362.06710	272413	04.12.2018 से 07.01.2021
6	डीडीएसएफ जालौन	23	210.51900	520.20377	104041	16.03.2018 से 08.03.2021
7	डीडीएसएफ ललितपुर	8	7.74610	19.14100	3828	17.06.2016 से 04.01.2022
8	डीडीएसएफ महोबा	109	153.16600	378.48100	75696	17.06.2016 से 20.03.2021
9	डीडीएसएफ मथुरा	3	20.80700	51.41521	10283	05.02.2018 से 11.12.2018
10	डीडीएसएफ मिर्जापुर	156	381.29400	942.19000	188438	23.08.2018 से 05.01.2022
11	डीडीएसएफ सिद्धार्थनगर	8	38.24000	94.49310	18899	06.04.2018 से 03.01.2022
12	डीडीएसएफ ओबरा सोनभद्र	28	57.16350	141.25400	28251	23.05.2016 से 06.11.2020
योग		**380**	**1587.82530**	**3923.58909**	**784718**	

परिशिष्ट–2.7
(प्रस्तर 2.14 में संदर्भित)
नर्सरियों की क्षमता से अधिक उगाए गए पौधों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	अवधि	नर्सरियों की संख्या	नर्सरियों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल उपलब्ध पौधे	पौधों[1] के उगाने की कुल क्षमता	क्षमता से अधिक उगाए गए पौधे
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=6-7**
1	अम्बेडकरनगर	2019-20 से 2021-22	5	5.00	2014023	1600000	414023
2	अमेठी	2020-21 से 2021-22	10	8.00	3430441	2560000	870441
3	बाराबंकी	2019-20 से 2021-22	4	4.00	1480542	1280000	200542
4	बरेली	2020-21 से 2021-22	14	11.00	4554193	3520000	1034193
5	हमीरपुर	2018-19 से 2021-22	20	11.45	6241534	3664000	2577534
6	ललितपुर	2020-21	2	4.00	1394897	1280000	114897
7	लखनऊ	2019-20 से 2020-21	4	1.87	533000	480000	53000
8	मिर्जापुर	2020-21 से 2021-22	7	7.25	2964994	2320000	644994
9	महोबा	2019-20 से 2021-22	16	12.15	5297270	3888000	1409270
10	कैमूर, मिर्जापुर	2020-21 से 2021-22	10	6.00	2833597	1920000	913597
11	श्रावस्ती	2020-21 से 2021-22	22	15.50	6648811	4960000	1688811
12	सीतापुर	2019-20 से 2021-22	14	14.00	5237292	4480000	757292
13	सोनभद्र	2021-22	2	2.00	786146	640000	146146
14	ओबरा	2020-21 से 2021-22	4	2.00	1069105	640000	429105
15	रेनूकूट	2020-21 से 2021-22	12	9.85	3869188	3152000	717188
16	सुल्तानपुर	2021-22	3	3.50	1392360	1120000	272360
योग			**149**	**117.57**	**49747393**	**37504000**	**12243393**

[1] पौधशाला दिग्दर्शिका के अनुसार एक हेक्टेयर भूमि में 13,200 से 3,20,000 पौधे उगाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने नर्सरियों की पौधे उगाने की क्षमता की गणना एक हेक्टेयर में उगाए जाने वाले पौधों की अधिकतम संख्या अर्थात् 3,20,000 कों संज्ञान में रखते हुए की है।

परिशिष्ट–2.8
(प्रस्तर 2.15 में संदर्भित)
वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	कार्य/आपूर्ति का विवरण						
			कार्य/ आपूर्ति का नाम	मात्रा	वाउचर संख्या	माह और वर्ष	एसओआर के अनुसार दर (₹ में)	लागू दर (₹ में)	निष्पादित कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	जालौन	उरई	सिरस बीज	2 किलोग्राम	109,110	मार्च-20	59.44	180.00	241.12
2	जालौन	उरई	आवला बीज	8 किलोग्राम	109,110	मार्च-20	1131.00	1500.00	2952.00
3	जालौन	उरई	के. सेमिया बीज	6 किलोग्राम	109,110	मार्च-20	130.50	400.00	1617.00
4	जालौन	उरई	बांस का बीज	8 किलोग्राम	109,110	मार्च-20	298.73	500.00	1610.16
5	कानपुर देहात	प्रभाग	जिप्सम	4639 मीट्रिक टन	130 वाउचर	मार्च-18, फरवरी-19, मार्च-19, दिसम्बर-19, जनवरी-20, फरवरी-20	3150.00	3727.50	2679022.50
6	कानपुर नगर	कानपुर	प्रॉस्पिस बीज	224 किलोग्राम.	47, 53, 56, 57	मार्च-21	250.00	270.00	4480.00
7	कानपुर नगर	कानपुर	सफेद सिरस बीज	42 किलोग्राम	54,55,58	मार्च-21	68.70	350.00	11814.60
8	कानपुर नगर	कानपुर	गोबरखाद	143 घनमीटर	279, 16, 35, 37, 38, 53	मार्च-20	675.00	681.56	938.08
9	महोबा	महोबा	मिट्टी	18 हजार	21	मार्च-19	835.65	929.67	1692.36
10	महोबा	महोबा	मिट्टी	18 हजार	22	मार्च-19	835.65	929.67	1692.36
11	महोबा	महोबा	मिट्टी	14 हजार	23	मार्च-19	835.65	929.67	1316.28
12	महोबा	महोबा	रेत	25 हजार	24	मार्च-19	522.00	727.48	5137.00
13	महोबा	महोबा	रेत	25 हजार	26	मार्च-19	522.00	727.48	5137.00
14	महोबा	महोबा	ट्रेंच	1040 मीटर	76 से 79	मार्च-19	75.00	88.50	14040.00
15	मथुरा	बलदेव	के. सेमिया बीज	6 किलोग्राम	61	मार्च-21	160.80	450.00	1735.20
16	मथुरा	बलदेव	गोलमोहर बीज	6 किलोग्राम	61	मार्च-21	80.40	350.00	1617.60
17	मथुरा	बलदेव	प्रॉस्पिस बीज	6 किलोग्राम	61	मार्च-21	5.63	250.00	1466.22
18	मथुरा	बलदेव	बकैन बीज	10 किलोग्राम	61	मार्च-21	16.08	50.00	339.20
19	मथुरा	बलदेव	इमली बीज	10 किलोग्राम	61	मार्च-21	40.20	80.00	398.00
20	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	शीशम बीज	22 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	32.16	144.00	2460.48
21	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	सागौन बीज	12 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	28.14	124.00	1150.32
22	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	खैर बीज	6 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	72.36	226.00	921.84
23	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	काला सिरस बीज	6 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	60.30	144.00	334.80
24	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	कांजी बीज	6 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	24.12	72.00	574.56
25	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	आवला बीज	6 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	40.20	1856.00	3631.60
26	मथुरा	कोसी और गोवर्धन	नीम बीज	6 किलोग्राम	142,117	मार्च-21	8.04	144.00	1087.68
27	मथुरा	मथुरा	कुटिया निर्माण	1 संख्या	336	मार्च-20	3300.00	6400.00	3100.00
28	मथुरा	मथुरा	कुटिया निर्माण	1 नग	337	मार्च-20	3300.00	3600.00	300.00
29	रामपुर	बिलासपुर	गड्ढा खोदना	2750 नग	42	मार्च-20	7.00	7.24	660.00
30	रामपुर	बिलासपुर	गड्ढा खोदना	2750 नग	45	मार्च-20	7.00	7.24	660.00
31	रामपुर	बिलासपुर	गड्ढा खोदना	2750 नग	46	मार्च-20	7.00	7.24	660.00
32	रामपुर	बिलासपुर	गड्ढा खोदना	2750 नग	71	मार्च-20	7.00	7.24	660.00
33	रामपुर	बिलासपुर	ट्रेंच	250 मीटर	76	मार्च-20	50.40	50.78	95.00
34	रेनुकूट	बभनी	मिट्टी	69.59 घनमीटर	14	मार्च-21	253.30	254.20	62.63
35	रेनुकूट	बभनी	मिट्टी	96.8 घनमीटर	18	मार्च-21	253.30	254.20	87.12
36	रेनुकूट	बभनी	मिट्टी	15.49 घनमीटर	83	मार्च-21	253.30	254.20	13.94
37	रेनुकूट	अनपरा	झाड़ियाँ साफ करना/काटना	1 नग	47	मार्च-21	1732.00	2763.00	4584.86
योग									**2758291.51**

परिशिष्ट–2.9
(प्रस्तर 2.18 में संदर्भित)
पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिल का नाम	वृक्षारोपण की कुल संख्या	मानदण्ड के अनुसार उत्तरजीविता	वास्तविक उत्तरजीविता	उत्तरजीविता प्रतिशत	मानदण्ड से कम उत्तरजीविता	वास्तविक व्यय (₹ में)	प्रति पौधा व्यय (₹ में)	निष्फल व्यय (₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	हमीरपुर	4114770	2857561	1077691	26.19	1779870	67005370	16.28	30929032.20
2	महोबा	3058193	2149399	1237684	40.47	911715	29515881	9.65	12824071.65
3	ललितपुर	5033850	3719205	1946137	38.66	1583738	137286600	27.27	51019652.15
4	जालौन	5722845	3980731	1142347	19.96	2838641	183181992	32.01	91961455.26
5	बरेली	5431808	4124861	2428753	44.71	1696108	76182741	14.03	23398573.89
6	रामपुर	3656417	2977194	1272679	34.81	1704515	67382400	18.43	33435305.85
7	कानपुर नगर	3624263	2987192	583713	16.00	2403479	53511660	14.76	35362948.84
8	कानपुर देहात	4044940	3325494	1567881	38.76	1757613	61193600	15.13	26861362.40
9	लखीमपुर खीरी	10842955	8977394	2302996	21.24	6674398	116871994	10.78	70709952.16
10	बाराबंकी	7341094	6506571	1449326	19.74	5057245	116680466	15.89	78724546.66
11	अम्बेडकर नगर	4443155	3927835	1139264	25.64	2788571	64971570	14.62	40138590.66
12	अमेठी	3765666	3075800	648428	17.22	2427372	55925020	14.85	36293393.38
13	सीतापुर	8784502	7200917	2003819	22.81	5197098	197523741	22.49	109857017.89
14	मथुरा	4658812	3200585	1288703	27.66	1911883	71681918	15.39	28955531.26
15	बलरामपुर	4198450	3516633	1043853	24.86	2424888	105901442	25.22	60882085.48
16	श्रावस्ती	1520739	1254558	856752	56.34	397806	31314550	20.59	8584474.30
17	मिर्जापुर	5343476	3727425	1050907	19.67	2676518	74395470	13.92	35251178.51
18	सोनभद्र	8854661	6305854	1934553	21.85	4371301	95221390	10.75	49029511.86
19	बागपत	1732020	1169936	89945	1.81	1079991	19124597	11.04	9614623.54
20	सिद्धार्थ नगर	6201447	4967841	3810969	61.45	1156872	133608500	21.54	28104335.12
21	सुल्तानपुर	6764340	5673974	1828441	27.03	3887142	35402817	5.23	18496651.46
22	लखनऊ	1111083	979778	658239	59.24	321539	28809371	25.93	7277291.36
	योग	**110249486**	**86606739**	**31363080**	**28.45**	**55048303**	**1822693090**		**887711585.89**

परिशिष्ट–2.10
(प्रस्तर 2.19 में संदर्भित)
अनुरक्षण के प्रावधानों के बिना वृक्षारोपण के प्राक्कलन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	वर्ष	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5
1	अम्बेडकर नगर	2020-21	भियाँव	नवादा कला
2	अम्बेडकर नगर	2021-22	भियाँव	चकौरापुर
3	अमेठी	2019-20	गौरीगंज	अट्टानगर
4	अमेठी	2020-21	साहगढ़	चंदौकी
5	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	इन्हौना
6	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	मिर्जागढ़
7	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	शेखनगांव
8	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	गोयन
9	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	जगतपुर
10	अमेठी	2021-22	सिंहपुर	खड़गपुर
11	बागपत	2021-22	खेकड़ा	ललियाना
12	बलरामपुर	2019-20	पचपेड़वा	हरनवा परसिया
13	बलरामपुर	2019-20	हरैया सतघरवा	बेलभरिया
14	बलरामपुर	2019-20	पचपेड़वा	रामनगर
15	बलरामपुर	2020-21	पचपेड़वा	तिलकहना
16	बलरामपुर	2020-21	पचपेड़वा	हरनवा परसिया
17	बलरामपुर	2020-21	पचपेड़वा	मानपुर सोनबरसा
18	बलरामपुर	2021-22	हरैया सतघरवा	बिनोहानिकाला
19	बलरामपुर	2021-22	हरैया सतघरवा	चद्ररीडीह
20	बलरामपुर	2021-22	पचपेड़वा	हरनवा परसिया
21	बलरामपुर	2021-22	हरैया सतघरवा	टेढ़ीप्राश
22	बलरामपुर	2021-22	पचपेड़वा	मानपुर सोनबरसा
23	बलरामपुर	2021-22	पचपेड़वा	राम नगर
24	बलरामपुर	2021-22	पचपेड़वा	शंकरपुर कला
25	बाराबंकी	2021-22	फतेहपुर	पटना
26	बाराबंकी	2021-22	फतेहपुर	रीवा छपरी
27	जालौन	2019-20	कुठौंद	बस्तेयपुर
28	जालौन	2020-21	डकोर	रूरा अद्दू
29	जालौन	2020-21	रामपुरा	रामपुरा देहात
30	जालौन	2021-22	नदीगांव	खजूरी
31	जालौन	2021-22	नदीगांव	फकरौली
32	जालौन	2021-22	डकोर	औंटा
33	जालौन	2021-22	कोंच	इमलौरी
34	जालौन	2021-22	कोंच	शंकरपुरी पचीपुरी
35	जालौन	2021-22	कोंच	आसुपुरा
36	जालौन	2021-22	कुठौंद	गिगौरा
37	खीरी	2019-20	निघासन	रकठी
38	खीरी	2019-20	निघासन	ढकेरवा खालसा
39	खीरी	2019-20	खीरी	मुड़िया खेड़ा
40	खीरी	2019-20	बांकेगंज	जलालपुर
41	खीरी	2019-20	बांकेगंज	जलालपुर
42	खीरी	2020-21	नकहा	मजहरा
43	खीरी	2020-21	फूलबेहड़	तीतरपुर
44	खीरी	2020-21	मोहम्मदी	गोकन
45	खीरी	2020-21	मितौली	सेनपुर
46	खीरी	2021-22	कुंभी गोला	अल्लीपुर
47	खीरी	2021-22	नकहा	अमृतपुर
48	खीरी	2021-22	निघासन	बंगला कुटी

क्र. सं.	जिला का नाम	वर्ष	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5
49	खीरी	2021-22	खीरी	अमनलाला
50	मिर्ज़ापुर	2020-21	छानबे	महदौरा
51	मिर्ज़ापुर	2020-21	पहाड़ी	हिनोती
52	मिर्ज़ापुर	2020-21	पहाड़ी	चेंदुली
53	मिर्ज़ापुर	2020-21	पहाड़ी	तोसावा
54	मिर्ज़ापुर	2020-21	पहाड़ी	गहिरा
55	मिर्ज़ापुर	2021-22	हलिया	अहुगीकला
56	मिर्ज़ापुर	2021-22	हलिया	अहुगीकला
57	मिर्ज़ापुर	2021-22	राजगढ़	कूडी
58	मिर्ज़ापुर	2021-22	राजगढ़	बिशुनपुरा
59	मिर्ज़ापुर	2021-22	जमालपुर	गोरखी
60	मिर्ज़ापुर	2021-22	राजगढ़	रामपुर बरहा
61	मिर्ज़ापुर	2021-22	जलालपुर	जलालपुर
62	मिर्ज़ापुर	2021-22	हलिया	अहुगी कला
63	मिर्ज़ापुर	2021-22	राजगढ़	खोराडीह
64	मिर्ज़ापुर	2021-22	पटेहरा कला	बेडौली
65	मिर्ज़ापुर	2021-22	पटेहरा कला	रायकरा
66	मिर्ज़ापुर	2021-22	पटेहरा कला	अमोई
67	मिर्ज़ापुर	2021-22	कोन	जगपट्टी
68	मिर्ज़ापुर	2021-22	राजगढ़	ढोरवा
69	मिर्ज़ापुर	2021-22	पटेहरा कला	गोपालपुर
70	रामपुर	2019-20	बिलासपुर	कमुआ नगला
71	रामपुर	2021-22	बिलासपुर	पैपुरा
72	श्रावस्ती	2019-20	हरिहरपुर रानी	पतिझिया
73	श्रावस्ती	2019-20	हरिहरपुर रानी	केवलपुर
74	श्रावस्ती	2019-20	हरिहरपुर रानी	ऐलहवा
75	श्रावस्ती	2020-21	सिरसिया	लालपुर अयोध्या
76	श्रावस्ती	2020-21	इकौना	जयचंदपुर कटघरा
77	श्रावस्ती	2021-22	इकौना	अकबरपुर
78	श्रावस्ती	2021-22	गिलौला	बरदेहरा भारी
79	श्रावस्ती	2021-22	जमुनहा	तेंदूरतनपुर
80	सिद्धार्थनगर	2019-20	बर्डपुर	बरगदवा
81	सिद्धार्थनगर	2019-20	बर्डपुर	सेमरी
82	सिद्धार्थनगर	2019-20	डुमरियागंज	भादरिया
83	सिद्धार्थनगर	2019-20	लोटन	महदेइया
84	सिद्धार्थनगर	2019-20	लोटन	पनेरा
85	सिद्धार्थनगर	2019-20	नौगढ़	रामपुर
86	सिद्धार्थनगर	2019-20	बांसी	ओडनताल
87	सिद्धार्थनगर	2019-20	बांसी	तारा गुजरौला
88	सिद्धार्थनगर	2019-20	बरहनी	खरी सीथल प्रसाद
89	सिद्धार्थनगर	2020-21	इटवा	पिपरामुर्गीहवा
90	सिद्धार्थनगर	2020-21	बर्डपुर	सेमरी
91	सिद्धार्थनगर	2020-21	डुमरियागंज	गौरहाई बुजुर्ग
92	सिद्धार्थनगर	2020-21	लोटन	बनियाडीह
93	सिद्धार्थनगर	2020-21	लोटन	पोखरभितवा
94	सिद्धार्थनगर	2020-21	नौगढ़	पिपरा पांडे
95	सिद्धार्थनगर	2020-21	नौगढ़	सोनवल
96	सिद्धार्थनगर	2020-21	बांसी	भगुतापुर
97	सिद्धार्थनगर	2020-21	बांसी	हाता खास
98	सिद्धार्थनगर	2020-21	डुमरियागंज	भादरिया
99	सिद्धार्थनगर	2020-21	डुमरियागंज	मेहनैली
100	सिद्धार्थनगर	2020-21	बरहनी	सेमरहवा

क्र. सं.	जिला का नाम	वर्ष	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**
101	सिद्धार्थनगर	2020-21	बरहनी	औरहवा
102	सिद्धार्थनगर	2020-21	डुमरियागंज	महुवा खुर्द
103	सिद्धार्थनगर	2021-22	जोगिया	पकरी
104	सिद्धार्थनगर	2021-22	बर्डपुर	बरगदवा
105	सिद्धार्थनगर	2021-22	बर्डपुर	बर्डपुर–1
106	सिद्धार्थनगर	2021-22	जोगियान	सिसवा बुजुर्ग
107	सिद्धार्थनगर	2021-22	डुमरियागंज	धनखरपुर
108	सिद्धार्थनगर	2021-22	डुमरियागंज	गौरहाई बुजुर्ग
109	सिद्धार्थनगर	2021-22	डुमरियागंज	मिश्रौलिया माफी
110	सिद्धार्थनगर	2021-22	लोटन	अकेडेंगवा
111	सिद्धार्थनगर	2021-22	नौगढ़	पटखौली
112	सिद्धार्थनगर	2021-22	नौगढ़	सेमरियांव
113	सिद्धार्थनगर	2021-22	नौगढ़	सेमरियांव
114	सिद्धार्थनगर	2021-22	बांसी	चेतिया
115	सिद्धार्थनगर	2021-22	बांसी	उसका
116	सिद्धार्थनगर	2021-22	इटवा	केसर
117	सिद्धार्थनगर	2021-22	इटवा	पिपरामुर्गीहवा
118	सिद्धार्थनगर	2021-22	डुमरियागंज	जमौती
119	सिद्धार्थनगर	2021-22	सोहरतगढ़	चिल्हिनया
120	सिद्धार्थनगर	2021-22	बढ़नी	पथरदेई
121	सीतापुर	2020-21	सकरन	सांडा
122	सीतापुर	2020-21	बिसवां	सुखावांकला
123	सीतापुर	2021-22	बिसवां	अहमदाबाद
124	सोनभद्र	2021-22	चतरा	किचार
125	सोनभद्र	2021-22	चतरा	बरैल

परिशिष्ट–3.1
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	अनुरक्षण की प्रावधानित अवधि वर्षों में	सीए हेतु चार्ज की जाने वाली देय धनराशि	जमा की गयी सीए धनराशि	कम चार्ज की गयी धनराशि	6.875 प्रतिशत की दर से कम जमा सेंटेज धनराशि	कुल कम चार्ज की गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=5-6**	**8**	**9=7+8**
1	डीएफओ बागपत	1	8	2130380	1769192	361188	24832	386020
2	डीएफओ जालौन	2	8	14908000	14067000	841000	57819	898819
3	डीएफओ लखनऊ	4	7-8	42219429	38374303	3845126	264352	4109478
4	डीएफओ मथुरा	3	8	14940716	13010716	1930000	132688	2062688
5	डीएफओ मिर्ज़ापुर	3	8-9	62886939	58831419	4055520	278817	4334337
6	डीएफओ कैमूर	1	8	469628000	420778000	48850000	3358438	52208438
7	डीएफओ रामपुर	2	8	31137294	27676056	3461238	237960	3699198
8	डीएफओ श्रावस्ती	2	5	22627020	17419970	5207050	357985	5565035
9	डीएफओ सीतापुर	1	9	17927800	17175800	752000	51700	803700
10	डीएफओ रेनुकूट	1	8	5183900	4286000	897900	61731	959631
योग		**20**		**683589478**	**613388456**	**70201022**	**4826322**	**75027344**

परिशिष्ट–3.2
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण के लिए कम आरोपण को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	प्रकरणों की संख्या	सीए हेतु चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पेड़ों की संख्या जिन पर सीए धनराशि की गणना की गयी	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सीए में जमा की गयी धनराशि	पेड़ों की संख्या, जिन पर सीए धनराशि की गणना की जानी चाहिए थी	सीए की जमा की जान वाली अपेक्षित धनराशि	उन पेड़ों की संख्या, जिनके लिए सीए धनराशि वसूल नहीं की गयी	कम वसूल की गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 = 7 – 5**	**10 = 8- 6**
1	डीडीएसएफ अम्बेडकर नगर	8	65.4992	66060	21895673	72049	24191845	5989	2296172
2	डीडीएसएफ अमेठी	3	0.8826	441	681848	971	1485667	530	803819
3	डीडीएसएफ सोहेलवा वन्यजीव बलरामपुर	2	27.5586	17418	7225450	30315	12572268	12897	5346818
4	डीडीएसएफ बाराबंकी	2	0.7201	360	160347	792	352802	432	192455
5	डीडीएसएफ बरेली	9	7.9314	6850	7747790	8725	9804443	1875	2056653
6	डीडीएसएफ जालौन	2	2.4800	1240	1316604	2728	2896529	1488	1579925
7	डीडीएसएफ कानपुर देहात	1	0.4578	229	39512	504	86885	275	47373
8	डीडीएसएफ उत्तर खीरी	1	0.1615	100	334200	178	593839	78	259639
9	डीडीएसएफ लखनऊ	1	25.0000	15625	5953825	27500	10478732	11875	4524907
10	डीडीएसएफ महोबा	3	1.2390	416	603454	1363	1944481	947	1341027
11	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	4	0.5864	400	1727921	645	2786247	245	1058326
12	डीडीएसएफ रामपुर	7	4.9568	4088	9616200	5452	10923315	1364	1307115
13	डीडीएसएफ सिद्धार्थनगर	5	1.3975	774	1517076	1537	2597806	763	1080730
14	डीडीएसएफ सीतापुर	1	62.0000	20000	31567700	68200	107645857	48200	76078157
योग		**49**	**200.8709**	**134001**	**90387600**	**220959**	**188360716**	**86958**	**97973116**

परिशिष्ट–3.3
(प्रस्तर 3.5 में संदर्भित)
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण क लिए लागत वृद्धि की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	लागत वृद्धि के बिना प्रकरणों की संख्या	लागत वृद्धि वाले प्रकरणों की संख्या	प्रभाग द्वारा आगणित सीए की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार वृद्धि की 10 प्रतिशत की दर से वसूल की जाने वाली सीए धनराशि	कम जमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=6-5**
1	डीडीएसएफ अम्बेडकर नगर	3	6	93394197	154678289	61284092
2	डीडीएसएफ अमेठी	6	0	55624626	91155680	35531054
3	डीडीएसएफ बागपत	1	3	36153882	43560925	7407043
4	डीडीएसएफ सोहेलवा वन्यजीव बलरामपुर	0	6	13184655	16535683	3351028
5	डीडीएसएफ बाराबंकी	2	6	72715673	118113223	45397550
6	डीडीएसएफ बरेली	1	10	14694650	20386506	5691856
7	डीडीएसएफ हमीरपुर	0	9	73415072	81489922	8074850
8	डीडीएसएफ जालौन	0	8	34878968	37344264	2465296
9	डीडीएसएफ कानपुर देहात	0	3	9169200	11238910	2069710
10	डीडीएसएफ कानपुर नगर	2	2	71257040	88836324	17579284
11	डीडीएसएफ उत्तर खीरी	4	0	17950600	31453329	13502729
12	डीडीएसएफ दक्षिण खीरी	4	1	43224541	70731546	27507005
13	डीडीएसएफ ललितपुर	1	3	49134914	65111453	15976539
14	डीडीएसएफ लखनऊ	2	2	132461539	193907140	61445601
15	डीडीएसएफ महोबा	3	3	31861066	50833305	18972239
16	डीडीएसएफ मथुरा	4	12	88758934	112341610	23582676
17	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	5	7	146435010	199139375	52704365
18	डीडीएसएफ कैमूर	2	1	585004618	891444449	306439831
19	डीडीएसएफ रामपुर	8	0	39514687	57071662	17556975
20	डीडीएसएफ श्रावस्ती	1	0	70659970	107026916	36366946
21	डीडीएसएफ सिद्धार्थनगर	0	5	1517004	1834126	317122
22	डीडीएसएफ सीतापुर	3	0	83971800	131585042	47613242
23	डीडीएसएफ सोनभद्र	0	2	8695600	11069542	2373942
24	डीडीएसएफ रेनुकूट	1	5	324334536	500859187	176524651
25	डीडीएसएफ ओबरा	0	2	54649416	67316890	12667474
26	डीडीएसएफ सुल्तानपुर	2	6	39397493	64706934	25309441
योग		**55**	**102**	**2192059691**	**3219772232**	**1027712541**

परिशिष्ट–3.4
(प्रस्तर 3.7 में संदर्भित)
पहुंच मार्ग के लिए बिना वन अनुमति के परिचालन करने वाले निजी उद्यमियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निजी उद्यमियों का नाम	संरक्षित वन भूमि का प्रभावित क्षेत्र हेक्टेयर में	उल्लंघन की तिथि
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रेम प्रकाश गुप्ता फाउंडेशन बरेली–शाहजहांपुर रोड, ग्राम–केसरपुर, तहसील–फरीदपुर, बरेली	0.0400	17.02.2020
2	श्री सचिन भसीन, पुत्र स्वर्गीय राजकुमार भसीन, सचिन हुंडई (नताशा ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड), बरेली–रामपुर रोड, केएम–4, सीबी गंज, बरेली	0.0900	14.02.2020
3	श्री उमेश नैमानी, पुत्र श्री गौरी शंकर नैमानी, निवासी–43, केसर एन्क्लेव, 143, सिविल लाइंस, बरेली	0.0552	06.09.2019
4	श्री रमनदीप सिंह, रेरा अध्यक्ष, एलायंस बिल्डर्स, मॉडल टाउन के सामने, स्टेडियम रोड, बरेली एवं श्री अनिल शर्मा, प्रबंधक एलायंस बिल्डर्स	0.0980	25.11.2019
5	श्री रामेश्वर दयाल कठेरिया, पुत्र श्री केहरी लाल, निवासी–ग्राम–धीमरी, तहसील–नवाबगंज, बरेली	0.0238	24.12.2020
6	श्री महताब सिद्दीकी, पुत्र हाजी जमीर अहमद, निवासी–400, मलूकपुर, छोटी मस्जिद के पास, बरेली	0.0238	03.10.2020
7	श्री भगवान सिंह बिष्ट, पुत्र श्री देवी सिंह बिष्ट, निवासी–105/02, आशीष रॉयल पार्क, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली	0.0080	18.09.2017
8	राशिद खान पुत्र जमील खान, निवासी पैंदीनगर, अजीमनगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
9	शफीक पुत्र अहमद नवी, निवासी खौद, अजीम नगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
10	अरमान पुत्र मोहम्मद अली, निवासी बेनजीर, थाना–गंज, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
11	पप्पू, पुत्र धन सिंह, निवासी खौद, अजीम नगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
12	जीतेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी–खौदका मझारा, अजीम नगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
13	अजय सैनी पुत्र प्रीतम सैनी निवासी खौदका मझारा, अजीम नगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
14	शजीर पुत्र साबिर निवासी मिलक, अब्बू, अजीम नगर, रामपुर	लागू नहीं	10.09.2020
15	अनिल कुमार जैन पुत्र रामनिवास जैन	लागू नहीं	30.07.2020

परिशिष्ट–3.5
(प्रस्तर 3.9 में संदर्भित)
सेंटेज चार्जेज नहीं लगाए जाने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	इकाइयों के नाम	सीए प्रकरणों की संख्या	सीए की कुल प्राक्कलित	सेंटेज धनराशि आरोपित नहीं की गयी अर्थात् 6.875 प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	डीडीएसएफ अम्बेडकर नगर	9	1529.92	105.18
2	डीडीएसएफ अमेठी	6	556.25	38.24
3	डीडीएसएफ बागपत	4	341.06	23.45
4	डीडीएसएफ सोहेलवा वन्यजीव बलरामपुर	6	131.85	9.06
5	डीडीएसएफ बाराबंकी	8	1140.66	78.42
6	डीडीएसएफ बरेली	11	146.95	10.10
7	डीडीएसएफ हमीरपुर	10	1014.21	69.73
8	डीडीएसएफ जालौन	12	711.20	48.90
9	डीडीएसएफ कानपुर देहात	2	48.95	3.37
10	डीडीएसएफ कानपुर नगर	7	1021.31	70.21
11	डीडीएसएफ उत्तर खीरी	4	179.51	12.34
12	डीडीएसएफ दक्षिण खीरी	5	772.42	53.10
13	डीडीएसएफ ललितपुर	4	491.35	33.78
14	डीडीएसएफ लखनऊ	3	470.23	32.33
15	डीडीएसएफ महोबा	8	390.01	26.81
16	डीडीएसएफ मथुरा	18	883.80	60.76
17	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	3	234.05	16.09
18	डीडीएसएफ कैमूर	6	5610.20	385.70
19	डीडीएसएफ रामपुर	9	506.63	34.83
20	डीडीएसएफ श्रावस्ती	1	532.40	36.60
21	डीडीएसएफ सिद्धार्थनगर	6	19.98	1.37
22	डीडीएसएफ सीतापुर	3	839.74	57.73
23	डीडीएसएफ सुल्तानपुर	8	393.89	27.08
24	डीडीएसएफ सोनभद्र	2	86.95	5.98
25	डीडीएसएफ रेनुकूट	6	3243.59	223.00
26	डीडीएसएफ ओबरा	5	550.41	37.84
योग		**166**	**21847.52**	**1502.00**

परिशिष्ट–3.6
(प्रस्तर 3.11 में संदर्भित)
प्रयोक्ता एजेंसियों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की न लगाई गयी अतिरिक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	परियोजना विवरण	स्टेज-I	भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	एनपीवी की लगायी गयी दर	वसूल की गयी एनपीवी	एनपीवी की लागू दर	लगाये जाने योग्य एनपीवी	कम लगायी गयी एनपीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डीएफओ कानपुर नगर	आईआईटी कानपुर से पॉलिटेक्निक कानपुर तक एनएच–91 का चौड़ीकरण, पीएफ भूमि क्षेत्र 4.6 हेक्टेयर का व्यपवर्तन	24.07.2015	4.6000	626000	2879600	957780	4405788	1526188
2	डीएफओ दक्षिण खीरी	गोला शाहजहाँपुर रोड (एसएच–93) को 0.0 किमी से 49.0 किमी का चौड़ीकरण, 1.998 हेक्टेयर आरएफ और 47.1 हेक्टेयर पीएफ भूमि का व्यपवर्तन	14.11.2017	49.0980	803000	39425694	1228590	60321312	20895618
3	डीएफओ ललितपुर	ऊटारी बांध परियोजना, 67.194 हेक्टेयर आरएफ भूमि का व्यपवर्तन	26.02.2015	67.1940	920000	61818480	1407600	94582274	32763794
4	डीएफओ लखनऊ	किमी 104 से 159 (पलिया – शाहजहाँपुर – लखनऊ) तक 2 लेन से 4 लेन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़करण, 184.0787 हेक्टेयर व्यपवर्तन	02.08.2016	184.0787	626000	115233266	957780	176306897	61073631
5	डीएफओ महोबा	जनपद महोबा एवं झांसी में लहचूरा बाँध परियोजना के निर्माण/आधुनिकीकरण हेतु 48.212 हेक्टेयर वन भूमि का व्यपवर्तन	22.03.2005	48.2120	626000	30180712	957780	46176489	15995777
6	डीएफओ कैमूर	765 केवीएस/सी अनपरा डी झूंसी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, मिर्ज़ापुर मंडल में आरएफ क्षेत्र 39.104 हेक्टेयर और पीएफ क्षेत्र 0.173 हेक्टेयर का व्यपवर्तन (कुल 360.848 हेक्टेयर)	07.04.2016	34.2400	626000	21434240	957780	32794387	11360147
				86.4070	887000	76643009	1357110	117263804	40620795
				142.3260	887000	126243162	1357110	193152038	66908876
				13.4660	626000	8429716	957780	12897465	4467749
				45.1320	626000	141263160	957780	216132635	74869475
				39.2770	626000	122937010	957780	188093625	65156615
7	डीएफओ श्रावस्ती	0–450 किमी से 6–600 के बीच राप्ती मुख्य नहर का निर्माण, भूमि क्षेत्र 60.150 हेक्टेयर आरक्षित वन का व्यपवर्तन	06.04.2016	60.1500	803000	48300450	1228590	73899689	25599239
8	डीएफओ सुल्तानपुर	134.700 से 178.300 किमी तक सुल्तानपुर–वाराणसी तक एनएच–56 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, 35.01 हेक्टेयर पीएफ भूमि का व्यपवर्तन	04.02.2015	35.0100	626000	21916260	957780	33531878	11615618
		योग		**809.1907**		**816704759**		**1249558282**	**432853522**

परिशिष्ट–3.7
(प्रस्तर 3.12 में संदर्भित)

गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु पंजीकृत नहीं हुए पट्टा समझौता और नहीं/कम चार्ज किये गये भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराये को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	आरक्षित वन भूमि का व्यपवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	डीएम सर्किल रेट के अनुसार देय प्रीमियम	देय पट्टा किराया	कुल प्रीमियम और पट्टा किराया	प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया गया प्रीमियम जमा	प्रीमियम और पट्टा किराया की कम जमा धनराशि	देय स्टांप शुल्क यदि पट्टा समझौता पंजीकृत होता	पट्टा समझौता के पंजीकरण पर देय पंजीकरण शुल्क	कुल कम जमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7= 6+5**	**8**	**9= 7-8**	**10**	**11**	**12=10+11**
1	डीडीएसएफ सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर	4	16.3802	25271920	2527192	27799112	5713,600	22085512	555982	277991	833973
2	डीडीएसएफ हमीरपुर	1	50.7963	58502181	5850218	64352399	0	64352399	1287048	643524	1930572
3	डीडीएसएफ कानपुर देहात	1	8.1494	14294048	1429405	15723453	0	15723453	314469	157235	471704
4	डीडीएसएफ ललितपुर	3	167.2390	122804112	12280411	135084523	51528712	83555811	2701690	1350845	4052536
5	डीडीएसएफ महोबा	1	1.7900	1342500	134250	1476750	0	1476750	29535	14768	44303
6	डीडीएसएफ कैमूर वन्यजीव मिर्ज़ापुर	4	86.4680	162223300	16222330	178445630	111794870	66650760	3568913	1784456	5353369
7	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	7	552.1491	494140338	49414034	543554372	0	543554372	10871087	5435544	16306631
8	डीडीएसएफ रामपुर	1	25.0746	16298490	1629849	17928339	0	17928339	358567	179283	537850
9	डीडीएसएफ सोनभद्र	2	23.2650	59670000	5967000	65637000	0	65637000	1312740	656370	1969110
10	डीडीएसएफ ओबरा	2	2.4760	14856000	1485600	16341600	0	16341600	326832	163416	490248
11	डीडीएसएफ रेनुकूट	4	71.5238	105926401	10592640	116519041	0	116519041	2330381	1165190	3495571
12	डीडीएसएफ श्रावस्ती	1	60.1500	27067500	2706750	29774250	0	29774250	595485	297743	893228
	योग	**31**	**1065.4614**	**1102396790**	**110239679**	**1212636469**	**169037182**	**1043599287**	**24252729**	**12126365**	**36379094**

परिशिष्ट–4.1
(प्रस्तर 4.5 में संदर्भित)
वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	रेंज का नाम	वृक्षारोपण पुस्तिका की क्र.सं.	योजना का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	लगाये गये पौधों की संख्या	केएमएल फाइल संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मथुरा	2018-19	गोवर्धन	1	जिला योजना	एलएसी मील-84 सदरपटरी	5	5500	13398	0.73 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक ही पालिगॉन का उपयोग 15 विभिन्न स्थलों के लिए किया गया
2	मथुरा	2018-19	बलदेव	1	जिला योजना	बलदेव पचवरराजवाह	5	5500	14700	
3	मथुरा	2018-19	बलदेव	2	जिला योजना	अलीपुर नाला	5	5500	16497	
4	मथुरा	2018-19	मथुरा	1	जिला योजना	झंडीपुर ग्राम समाज	8	5000	16498	
5	मथुरा	2018-19	मथुरा	2	जिला योजना	झंडीपुर ग्राम समाज	7	7700	13371	
6	मथुरा	2018-19	मांट	1	जिला योजना	बरौठ खादर	5	5500	13375	
7	मथुरा	2018-19	मांट	2	जिला योजना	ओहावाबांगर ग्राम समाज	6	6600	16500	
8	मथुरा	2018-19	मांट	3	कुल वन आवरण	बरौठ खादर	2	2200	16499	
9	मथुरा	2018-19	कोशी	1	कुल वन आवरण	छाता–शेरगढ़ मार्ग किमी-2 से 6 तक	5	5500	16504	
10	मथुरा	2018-19	कोशी	2	कुल वन आवरण	ऊपरी आगरा नहर मील-50, बायीं ओर	6	6600	16503	
11	मथुरा	2018-19	कोशी	3	जिला योजना	ऊपरी आगरा नहर मील-51, बायीं ओर	2	2200	14648	
12	मथुरा	2018-19	कोशी	4	कुल वन आवरण	ऊपरी आगरा नहर मील-52, दायीं ओर	3	3300	15488	
13	मथुरा	2018-19	कोशी	5	कुल वन आवरण	ऊपरी आगरा नहर मील-55, बायीं ओर	2	2200	16502	
14	मथुरा	2018-19	कोशी	6	कुल वन आवरण	ऊपरी आगरा नहर मील-56, दायीं ओर	6	6600	14649	
15	मथुरा	2018-19	कोशी	7	कुल वन आवरण	ऊपरी आगरा नहर मील-50, दायीं ओर	3	3300	16501	
16	बागपत	2020-21	बड़ौत	28	सामाजिक वानिकी	खपराना वन ब्लॉक भाग-1	5	5500	29653	अतिव्यापन
17	बागपत	2020-21	बड़ौत	29	सामाजिक वानिकी	खपराना वन ब्लॉक भाग-2	5	5500	29805	
18	बागपत	2020-21	बड़ौत	21	सामाजिक वानिकी	बरनावा वन ब्लॉक भाग-1	5	5500	29909	अतिव्यापन
19	बागपत	2020-21	बड़ौत	22	सामाजिक वानिकी	बरनावा वन ब्लॉक भाग-2	5	5500	36607	
20	बागपत	2021-22	बड़ौत	39	वन निक्षेप	खपराना वन ब्लॉक भाग-3	5	10000	44237	अतिव्यापन
21	बागपत	2021-22	बड़ौत	28	सामाजिक वानिकी	खपराना वन ब्लॉक भाग-1	5	5500	36688	
22	उत्तर खीरी	2020-21	मझगयी	43	गैर सीए	धरमपुर वन ब्लॉक	8	8800	32612	अतिव्यापन
23	उत्तर खीरी	2020-21	मझगयी	39	सामाजिक वानिकी	धरमपुर वन ब्लॉक प्लॉट-1	10	11000	32595	
24	उत्तर खीरी	2020-21	मझगयी	40	सामाजिक वानिकी	धरमपुर वन ब्लॉक प्लॉट-2	10	11000	32600	
25	उत्तर खीरी	2019-20	दक्षिण निघासन	42	गैर सीए	बैलाहा वन ब्लॉक प्लॉट-2	10	11000	19556	अतिव्यापन
26	उत्तर खीरी	2019-20	दक्षिण निघासन	59	गंगा किनारे	बैलाहा वन ब्लॉक प्लॉट-1	20	12500	25681	
27	उत्तर खीरी	2019-20	संपूर्णानगर	29	सामाजिक वानिकी	कबीरगंज वन ब्लॉक प्लॉट-1	10	11000	25623	अतिव्यापन
28	उत्तर खीरी	2019-20	संपूर्णानगर	54	गैर सीए	कबीरगंज वन ब्लॉक प्लॉट	10	11000	20096	

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	रेंज का नाम	वृक्षारोपण पुस्तिका की क्र.सं.	योजना का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	लगाये गये पौधों की संख्या	केएमएल फाइल संख्या	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
29	सीतापुर	2021-22	सिधौली	151	सामाजिक वानिकी	नीलगांव कृषि प्रक्षेत्र-3	5	10000	41120	अतिव्यापन
30	सीतापुर	2021-22	सिधौली	152	सामाजिक वानिकी	नीलगांव कृषि प्रक्षेत्र-4	5	5500	45766	
31	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	59	सामाजिक वानिकी	गोला पश्चिम 7-III	10	11000	46578	अतिव्यापन
32	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	62	सामाजिक वानिकी	गोला पश्चिम 9 भाग 2	10	11000	46600	
33	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	73	सामाजिक वानिकी	गोला पूर्वी कम्पार्टमेंट 10	14	15400	46716	
34	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	71	सामाजिक वानिकी	गोला पूर्वी कम्पार्टमेंट 3	10	11000	38523	अतिव्यापन
35	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	76	गैर सीए	गोला पूर्वी कम्पार्टमेंट 3	10	11000	40825	
36	दक्षिण खीरी	2021-22	गोला	77	सामाजिक वानिकी	गोला पूर्वी कम्पार्टमेंट 3, भाग 2	10	11000	43796	
37	दक्षिण खीरी	2016-17	शारदानगर	23	--	जमुनिया वन ब्लॉक 1	20	22000	4132	अतिव्यापन
38	दक्षिण खीरी	2016-17	शारदानगर	20	--	जमुनिया वन ब्लॉक 2	15	16500	2945	
39	दक्षिण खीरी	2016-17	शारदानगर	22	--	सकेथू वन ब्लॉक भाग 2	10	11000	722	अतिव्यापन
40	दक्षिण खीरी	2016-17	शारदानगर	19	--	सकेथू वन ब्लॉक भाग 3	10	11000	724	
41	दक्षिण खीरी	2016-17	गोला	25	--	बरवा बीरन-1	12.00	7500	708	कुशीनगर जिले में अपनी स्थिति प्रदर्शित कर रहे पालिगॉन।
42	दक्षिण खीरी	2016-17	मोहम्मदी	11	--	बेला पहाड़ कम्पार्टमेन्ट 3बी भाग 2	10.00	11000	711	
योग							**329**	**351900**		

परिशिष्ट–4.2
(प्रस्तर 4.6 में संदर्भित)
आरक्षित वन ब्लॉकों में उपलब्ध कुल क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	अधिक वृक्षारोपण क्षेत्र वाले वन ब्लाकों की संख्या	वन ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बेडकर नगर	1	46.100	72.500	26.400	2016-17 से 2020-21 तक
2	अमेठी	8	309.639	375.200	65.561	2016-17 से 2021-22 तक
3	बागपत	1	48.200	51.000	2.800	2016-17 से 2021-22 तक
4	बाराबंकी	19	542.141	781.420	239.279	2016-17 से 2021-22 तक
5	हमीरपुर	11	871.027	1040.000	168.973	2016-17 से 2021-22 तक
6	जालौन	5	246.360	302.000	55.640	2016-17 से 2021-22 तक
7	कानपुर देहात	3	196.964	292.580	95.616	2016-17 से 2021-22 तक
8	कानपुर नगर	5	346.745	464.830	118.085	2016-17 से 2021-22 तक
9	ललितपुर	5	167.222	240.000	72.778	2016-17 से 2020-21 तक
10	लखनऊ	2	162.330	175.000	12.670	2016-17 से 2021-22 तक
11	महोबा	15	628.216	1153.000	524.784	2016-17 से 2021-22 तक
12	रेनुकूट	7	000.000	231.100	231.100	2016-17 से 2021-22 तक
13	श्रावस्ती	8	1323.390	1570.000	246.610	2016-17 से 2021-22 तक
14	सिद्धार्थनगर	3	91.120	217.500	126.380	2016-17 से 2021-22 तक
15	सीतापुर	1	47.770	48.000	0.230	2016-17 से 2021-22 तक
16	सुल्तानपुर	7	50.242	64.630	14.388	2016-17 से 2021-22 तक
योग		**101**	**5077.466**	**7078.760**	**2001.294**	

परिशिष्ट–4.3
(प्रस्तर 4.10 में संदर्भित)
वन भूमि पर अतिक्रमण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वर्ष 2016–17 के आरम्भ में अतिक्रमण		वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान समाधान/निपटान		वर्ष 2021–22 के अंत में समापन शेष	
		संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अमेठी	34	2.6140	0	0.0000	0	0.0000	34	2.6140
2	बाराबंकी	114	142.6763	0	0.0000	2	1.2500	112	141.4263
3	हमीरपुर	8	32.6830	0	0.0000	5	15.8540	3	16.8290
4	जालौन	52	16.8670	11	368.4200	56	365.2774	7	20.0096
5	कैमुर वन्य जीव मिर्ज़ापुर	406	372.6290	70	2305.6053	286	729.9920	190	1948.2423
6	ललितपुर	3	5.7100	109	505.4010	57	351.5150	55	159.5960
7	लखनऊ	453	72.5192	0	0.0000	0	0.0000	453	72.5192
8	मथुरा	20	3.7438	0	0.0000	0	0.0000	20	3.7438
9	मिर्ज़ापुर	29	182.7120	11	676.9687	29	620.0581	11	239.6226
10	ओबरा	181	183.1640	47	175.3330	131	74.3530	97	284.1440
11	रामपुर	1865	2028.8600	0	0.0000	0	0.0000	1865	2028.8600
12	रेनुकूट	2002	1923.6220	20	28.6220	185	68.1144	1837	1884.1296
13	सीतापुर	4	0.1740	3	0.5160	0	0.1222	7	0.5678
14	सेहेलवा वन्य जीव बलरामपुर	0	0.0000	2	6.0086	0	0.0000	2	6.0086
15	सोनभद्र	22	66.0480	37	1160.2890	9	289.4400	50	936.8970
16	दक्षिण खीरी	664	746.3814	0	0.0000	0	0.0000	664	746.3814
17	सुल्तानपुर		15.1770		2.1325	0	0.0000	0	17.3095
योग		**5857**	**5795.5807**	**310**	**5229.2961**	**760**	**2515.9761**	**5407**	**8508.9007**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in